





SMT. ALKA TIWARI Chairperson & Managing Director W.E.F. 14.06.2017



SHRI DHARAM PAL Chairman and Managing Director From 1.12.2016 to 14.06.2017



SHRI NIRANJAN LAL
Director
W.E.F. 13.11.2017



SHRI PRABHAS KUMAR
Director
From 23.05.2017 to 13.11.2017



MAJOR VIKRAM SINGH RANA
Director
From 4.04.2013 to 23.05.2017



SHRI ANILKUMAR V. PATIL

Director

W.E.F. 16.09.2014



SHRI SUNIL SINGHI Director W.E.F.30.09.2016



SHRI C.V.R. MURLY
Director
W.E.F. 21.06.2016





अनुक्रमणिका

	Contents	पृष्ट संख्या
1.	अध्यक्षीय भाषण Chairperson Speech	3–6
2.	कम्पनी की दूरदर्शिता,लक्ष्य एवं उद्देश्य Vision, Mission and Objectives	7
3.	सूचना Notice	8
4.	अनुलग्नकों सहित निदेशकों का प्रतिवेदन Directors' Report along with annexures	9-38
5.	प्रबन्ध चर्चा एवं विश्लेषण का प्रतिवेदन Management Discussion and Analysis Report	39–45
6.	अनुलग्नकों सहित लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन Auditors' Report along with annexures	46-58
7.	तुलन पत्र Balance Sheet	59-60
8.	लाभ हानि विवरण Profit and Loss Statement	61–62
9.	नकद प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	63-64
10.	नोट संख्या 1 से 39 Note No. 1 to 39	65—106
11.	नोट संख्या 40 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां Note No. 40 Significant Accounting Policies	107—110
12.	प्रतिपुरूष फार्म Proxy Form	111-112



PRINCIPAL EXECUTIVES प्रमुख कार्यपालक

Smt. Alka Tiwari, IAS

Chairperson and Managing Director (w.e.f. 14.06.2017)

श्रीमती अल्का तिवारी, आई.ए.एस.

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (दिनांक 14.06.2017 से)

Shri Dharam Pal, IAS

Chairman and Managing Director (w.e.f. 01.12.2016 to 14.06.2017)

श्री धरम पाल, आई.ए.एस.

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (दिनांक 01.12.2016 से दिनांक 14.06.2017 तक)

Shri T.V. Reddy, IFS

Chief Vigilance Officer (w.e.f. 18.12.2017)

श्री टी.वी. रेड्डी, आई.एफ.एस.

मुख्य सर्तकता अधिकारी (दिनांक 18.12.2017 से)

Dr. Kavitha Gotru, ICAS

Chief Vigilance Officer (w.e.f. 21.12.2016 to 18.12.2017)

डा. कविता गोतरू, आई.सी.ए.एस.

मुख्य सर्तकता अधिकारी (दिनांक 21.12.2016 से दिनांक 18.12.2017 तक)

SENIOR EXECUTIVES वरिष्ठ अधिकारी

Shri S.S.Shekhawat

General Manager श्री एस.एस. शेखावत महाप्रबन्धक

Shri R.Senthil Kumar

Dy. General Manager(T)

श्री आर. सेन्थिल कुमार उपमहाप्रबन्धक(तकनीकी)

Shri Rajendra Singh Rathore

Asst. General Manager (Mining)

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़

सहायक महाप्रबन्धक (खनन)

Shri Arvind Kumar Jain

Senior Manager (Mining) श्री अरविन्द कुमार जैन

वरिष्ठ प्रबन्धक (खनन)

Shri M.S. Parihar

Senior Manager (Mining)

श्री एम.एस. परिहार

वरिष्ठ प्रबन्धक (खनन)

Shri Bhojraj

Senior Manager (Mining)

श्री भोजराज

वरिष्ठ प्रबन्धक (खनन)

COMPANY SECRETARY कम्पनी मचिव

Shri Siddharth Kumar

Company Secretary सिद्धार्थ कुमार कम्पनी सचिव

Registered & Administrative Office पंजीकृत एवं प्रशासनिक कार्यालय

Mangu Singh Rajvi Marg, Paota "B" Road, Jodhpur (Rajasthan) मांगू सिंह राजवी मार्ग पावटा बी रोड़ जोधपुर

Auditor

M/s. Mertia Daga & Associates

Chartered Accountants, Jodhpur

लेखा परीक्षक मै मेड़ितया डागा एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार, जोधपुर

Bankers:

State Bank of India
Oriental Bank of Commerce
Union Bank of India
ICICI Bank
Axis Bank

बैकर्सः

भारतीय स्टेट बैंक ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया आई सी आई सी आई बैंक एक्सिस बैंक





अध्यक्षीय भाषण

प्रिय अंशधारकों एवं निदेशक मण्डल के सदस्यों

फेगमिल की 15वीं वार्षिक आम सभा में आपका स्वागत है। फेगमिल के निदेशकों की ओर से मैं आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद प्रकट करती हूँ। आपकी उपस्थिति ही कम्पनी में आपके सहयोग एवं भागीदारी का प्रमाण है।

वर्ष 2017—18 के दौरान, ग्राहको को बेहतर सेवायें देने के लिए हमने अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाया है। आप अत्यधिक विनियमित उद्योग की वजह से कम्पनी की चुनौतियों से अवगत है परन्तु इसके बावजूद हमने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्ष 2016—17 के दौरान हमारी कम्पनी का एम. ओ.यू. स्कोर 45.66 था जिसके अन्तर्गत हम ''उचित'' वर्ग के अन्दर आये परन्तु इस वर्ष आपकी कम्पनी का एम.ओ.यू. स्कोर 52.46 है जिसके अन्तर्गत हम ''अच्छे'' वर्ग के अन्तर्गत आते है।

अब मै इस अवसर पर कम्पनी के वित्तीय परिणामों एवं भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी।

वित्तीय एंव भौतिक प्रदर्शन

पिछले वर्ष 581981 मैं. टन व 563926 मैं. टन जिप्सम के उत्पादन व विक्रय की तुलना में इस वर्ष कम्पनी ने क्रमशः 326661 मैं. टन व 428748 मैं. टन जिप्सम का उत्पादन व विक्रय किया। इसी तरह पिछले वर्ष विक्रय ₹ 51.33 करोड़, व कर पूर्व लाभ ₹ 36.25 करोड़ की तुलना में इस वर्ष कम्पनी का विक्रय ₹ 48.60 करोड़ व कर पूर्व लाभ ₹ 31.58 करोड़ रहा। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष विक्रय व

Chairperson Speech

Dear Shareholders and Board Members,

Welcome to the 15th Annual General Meeting of FAGMIL. On behalf of the FAGMIL Board of Directors, I thank you for joining us today. Your presence is indeed a true testimony to your involvement and support for the Company.

During fiscal year 2017-18, we continued to build our capabilities to serve our customers in a better way. You are aware of the challenges the company is facing because of the highly regulated industry environment but still we have performed better in compared to last year. During the year 2016-17, our MOU Score was 45.66 under "Fair" category but this year our MOU score is 52.46, which qualifies your company for "Good" category.

I take this opportunity to share my views on the financial performance and future outlook of the company.

Financial Performance:

During the year under review, the company produced and sold 326661 MT and 428748 MT gypsum respectively as against 581981 MT and 563926 MT gypsum respectively of last year. The sales turnover and profit before extraordinary items & tax are Rs.48.60 crore and Rs.31.58 crore as against Rs.51.33 crore and Rs.36.25 crore respectively of last year. Decrease in Sales and PBT over previous year are mainly due to





लाभ में कमी मुख्यतः आयतित जिप्सम के कारण सीमेंट उद्योगो की अस्थिर मांग, मोहनगढ़ खान समूह से कम बिक्री व निजी समूहों की भागीदारी की वजह से है।

कम्पनी नियमित रूप से अपने ग्राहको एवं कर्मचारियों को कम्पनी के सुधार के लिए अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कम्पनी बिहार में भी अपने करोबार के विस्तार की कोशिश कर रही है जो कि यदि सफल होती है तो कम्पनी के कारोबार में वृद्धि होगी।

डीपीई के दिशानिर्देशों व लाभांश भुगतान के लगातार ट्रैक को ध्यान में रखते हुए, आपके निदेशकों ने पूर्णदत्त पूंजी के 41% के बराबर ₹ 12.30 करोड़ के लाभांश भुगतान की सिफारिश की है। इस भुगतान के साथ ही कम्पनी ने 15 वर्षों में भारत सरकार को पूर्णदत्त पूंजी का 254.11% करीब ₹ 76.33 करोड़ का भुगतान भारत सरकार को किया है।

विविधीकरण एवं विस्तार

उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में होने के कारण, आपकी कम्पनी ने गतिविधियों के विविधीकरण और विस्तार के लिए खनिजों के खनन व एस.एस.पी. के उत्पादन की योजना बनायी है।

कम्पनी ने उर्वरक विभाग के द्वारा खनन मंत्रालय भारत सरकार के समक्ष रॉक फास्फेट, डोलोमाइट व चूना पत्थर के कुछ ब्लॉक के आरक्षण के लिए आवेदन किया था। खनन मंत्रालय भारत सरकार ने इस प्रस्ताव पर राजस्थान सरकार की टिप्पणी मांगी थी। राजस्थान सरकार रॉक फास्फेट व डोलोमाइट के आरक्षण पर सहमत है। अब खनन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी किया जाना शेष है।

कम्पनी ने 800 मै. टन क्षमता वाले ₹ 98.70 करोड़ की कीमत के एस एस पी प्लाण्ट को चित्तौड़गढ़ में स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त कर ली है। इसके लिए कम्पनी ने पण्डोली गांव, कपासन हाइवे के निकट 11.01 हेक्टेअर भूमि तथा गोसुण्डा बांध से जल के उपयोग की मंजूरी राजस्थान सरकार से प्राप्त कर ली है। कम्पनी ने पर्यावरण विभाग से पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति व स्थापित करने की सहमति भी प्राप्त कर ली है। प्रोजेक्ट मैनेजमेण्ट कन्सल्टेंट का कार्य भी पी.डी.आई.एल को सौप दिया है। टोपोग्राफिकल सर्वे व भू—तकनीकी सर्वे का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। एल.एस.टी.के. अनुबन्ध व अन्य सामान्य कार्यों के लिए निविदा जारी करने की प्रक्रिया जारी है। कम्पनी गोसुण्डा बांध से

volatile demand by cement industries and lesser offtake from Mohangarh Mines and stiff competition with private players.

The Company is regularly encouraging the customers and employees to share their views and give suggestions for betterment of the Company. The company is also trying to expand its business in Bihar, which will increase the sales turnover of the Company.

Further keeping in view the DPE guidelines and consistent track record of payment of dividend, I would like to inform you that Board of Directors of your company has recommended a dividend of Rs.12.30 crore @ 41.00% on paid up capital of the company. With the payment of this dividend, the Company has paid Rs.76.23 crores (i.e. 254.11% of paid up capital of the Company) to the Government of India within a short span of 15 years.


Diversification and expansion:

Being a PSU under the administrative control of DOF, your company has focussed on two pronged strategy for diversification and expansions of its activities i.e. mining of minerals and production of SSP.

FAGMIL has applied for reservation of mineral blocks of Rock Phosphate, Dolomite and SMS Grade Lime Stone through Department of Fertilizers to Ministry of Mines, Government of India. Ministry of Mines, Government of India sought the comments of Government of Rajasthan. The Government of Rajasthan has agreed on the Reservation proposals for Rock Phosphate and Dolomite. Now the Gazette notification is to be issued by Ministry of Mines, Government of India.

The company got approval of Central Government for establishing a SSP plant in Chittorgarh of 800 tpd at an investment of Rs.98.70 crore. For this, the company has acquired 11.01 Ha of land in Pandauli village on Kapasan Highway at Chittorgarh and obtained the permission for use of water from Gosunda Dam. The company has also obtained the Environment Clearance and Consent to Establish from Pollution Control Board and awarded the job of Project Management Consultant to M/s PDIL. Topographical Survey and Geo-Technical Survey jobs are complete. NIT for LSTK contract and civil jobs are under





कम्पनी ने सफेद सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के खनन कार्य हेतु हिमांचल प्रदेश में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है एवं सह सहयोग में सफेद सीमेंट प्लाण्ट लगाने की भी इच्छुक है। इसके लिए कम्पनी ने सफेद सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के एक खनन पट्टा व चार पूर्वेक्षण पट्टे के लिए आवेदन किया है। क्षेत्र की संयुक्त सीमांकन प्रक्रिया का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं हिमांचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 27.06.2018 को इस आशय का आज्ञा पत्र निर्गमित कर दिया है।

सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व एवं धारणीय विकास

एक जागरूक सामाजिक निगमित व्यक्ति होने के कारण कम्पनी विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी गतिविधियों में भी अग्रसर है। इसके लिए कम्पनी प्रत्येक वर्ष अपने लाभ का कुछ हिस्सा सी. एस. आर. कोष में हस्तान्तरित करती है जिसे कि विभिन्न कल्याणकारी कार्यो पर प्रति वर्ष व्यय किया जाता है। वर्ष के दौरान ₹111.07 लाख विभिन्न कल्याणकारी कार्यो जैसे शिक्षा, पीने की पानी की सुविधा, शौचालय निर्माण, स्वच्छ भारत व एन एस डी एफ कोष में अंशदान किया है।

कम्पनी धारणीय विकास के कार्यों को भी महत्व देती है। अतः इसकें लिए कम्पनी ने मुख्य कार्यालय एवं खान कार्यालय में कार्बन फुट प्रिंट कम करने के लिए सोलर सिस्टम लगाया है। इससे कम्पनी प्रति वर्ष 5500 यूनिट बिजली की बचत करती है।

कम्पनी कारपोरेट प्रशासन के मानको को निरन्तर एक नई ऊचाई देने को प्रतिबद्ध है एवं देश में बदलते परिवेश के साथ तालमेल रखने के लिए लगातार अपनी प्रक्रियाओं और प्रणाली की समीक्षा करती है। इसलिए कम्पनी हमेशा डी.पी.ई द्वारा कारपोरेट गवर्नेस दिशानिर्देश 2010 के प्रावधानों का अनुपालन करती है। उर्वरक विभाग के माध्यम से त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजिनक उद्यम विभाग को सौपी जाती है। डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के अतिरिक्त कम्पनी, कम्पनी अधिनियम—2013, सी. ए. जी., सी.वी.सी. व आर.टी. आई. के विनियमनों के द्वारा भी परिचालित होती है। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं अन्य निदेशकों की नियुक्तियां स्वतन्त्र रूप से निर्धारित दिशानिदेशों के अनुरूप होती है। वैधानिक अंकेक्षक सी.ए. जी. द्वारा नियुक्त किये जाते है। प्रबन्धन की कार्यवाहियों को रिट याचिका के द्वारा चुनौती दी जा सकती है। निदेशको व कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण भारत सरकार द्वारा निर्मित वेतन निर्धारण

process. The company is in process of laying pipe line directly from Gosunda Dam to proposed site. The application for supply of electricity has been submitted. It is expected that the plant will be commissioned by October 2019.

The company also intends to mine white cement grade lime stone and to establish a white cement plant in joint venture mode in Himachal Pradesh. For this, the company applied for one mining lease and four prospective licences of white cement grade lime stone. Letter of Intent for the applied mining lease has been issued on 27.06.2018 by Government of Himachal Pradesh.

Corporate Social Responsibility and Sustainable Development

As a socially conscious corporate citizen, your company is in forefront in various CSR initiatives. For this, every year your company appropriates some part of its profit towards Corporate Social Responsibility Fund which is spent for the welfare of the society nearby its mines and offices. During this year, your company has spent Rs. 111.07 lakh on various social welfare activities like promoting education, providing drinking water facilities, Construction of toilets, Contribution to Swachh Bharat Kosh and Contribution to NSDF etc.

The company also understands the need of sustainable development. Therefore the company has installed at its head office as well as its mines office solar system to reduce the carbon foot print. The company succeeded to save 5500 units of electricity every year.

Corporate Governance

FAGMIL is committed to continue its efforts towards raising the standards in Corporate Governance and also review its procedure and system constantly in order to keep pace with fast changing environment in the country. Therefore the company always complies with the provisions of Corporate Governance Guidelines 2010 issued by DPE. The quarterly and yearly reports are also submitted within time to DPE through DOF. Apart from the instructions of DPE, the CPSEs are governed by the Companies Act, 2013 and regulations of various authorities like Comptroller and Auditor General of India (C&AG), Central Vigilance Commission (CVC), and



समिति की सलाह पर किया जाता है।

अन्ततः मै उर्वरक विभाग, खनन मंत्रालय भारत सरकार राजस्थान राज्य सरकार के मूल्यवान मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ।

इसके अतिरिक्त मै कम्पनी के सचालन में कर्मचारियों के अथक प्रयासों को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।

> (अल्का तिवारी) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

RTI etc. Chairman, Managing Director and Directors are appointed independently through a prescribed procedure. Statutory auditors are appointed independently by the C&AG. Arbitrary actions, if any, of the Management can be challenged through writ petitions. Remuneration of Functional Directors and employees are determined on the basis of recommendations of Pay Revision Committee constituted for this purpose by Government of India.

Finally, I would like to place on record the valuable guidance and support of the DOF, Ministry of Mines, Government of India, State Government of Rajasthan and last but not the least to FAGMIL family who have contributed through their sincere and enthusiastic efforts in the operations of this company.

Thanking you.

Sd/-(Alka Tiwari)

Chairperson and Managing Director



कम्पनी का दूरदर्शिता लक्ष्य एवं उद्देश्य दूरदर्शिता

जिप्सम का भूमि सुधार एवं मृदा में गंधकीय पोषक तत्वों द्वारा स्वास्थ्य वृद्धि हेतु खनन कार्य करना एवं विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण खनिजों के खनन एवं उर्वरकों के उत्पादन में अग्रणी कम्पनी बनना एवं सीमेंट उद्योगों को जिप्सम की आपूर्ति द्वारा आधारभूत संरचना के विकास में योगदान देना।

लक्ष्य

कम्पनी का लक्ष्य भारत में अथवा संसार के किसी भी भाग में जिप्सम तथा अन्य खनिजों एवं उसके उपोत्पादों तथा सभी कार्बोनिक व अकार्बोनिक रसायन कम्पाउण्ड व उपोत्पादों के संबंध में उनके यौगिक और मिश्रण सहित सभी प्रकार के व्यापार को स्थापित करना और उसे आगे बढाना है।

उहेश्य

कम्पनी का मुख्य उद्देश्य जोधपुर खनन संस्थान (जे. एम. ओ.) को जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है और फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की एक इकाई थी को अंगीकृत करना तथा बी आई एफआर/केन्द्र सरकार के अनुमोदन के अनुसार 1 अप्रैल, 2003 में अविलयन योजना को प्रभावित करना था।

कम्पनी के अन्य उद्देश्य इस प्रकार है:-

- (क) जिप्सम व खनिजों का दक्षता पूर्वक, किफायती और पर्यावरण मित्रवत विधि से खनन व विपणन करना है।
- (ख) कम्पनी की परिसम्पत्ति और संसाधनों का दक्षता पूर्वक प्रबंधन एवं निवेश पर उचित लाभ को सुनिश्चित करना और आन्तरिक स्त्रोतों को बढाना है।
- (ग) समृद्धि के लिये विविधिकरण / विस्तार योजनाओ पर कार्य करना और कम्पनी की लाभदायकता को बढ़ाना एवं सरकार की नीतियों / निर्देशों को सत्यनिष्ठा एवं संगत तरीके से लगातार प्रोन्नत करना है।
- (घ) अन्य उर्वरकों जैसे एस.एस.पी. के उत्पादन में सरकारी नीतियों / दिशा निर्देशों के अन्तर्गत उत्पादन कार्य के उद्यम में संलग्न होना।
- (ड़) जन संसाधन की गुणवत्ता को लगातार बढ़ाना तथा संगठन व प्रबंधन के विकास को प्रोन्नत करना है।
- (च) पर्यावरण को संरक्षित करना एवं उसका ध्यान रखना और प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा स्थापित मानकों का पालन करना है।
- (छ) बेहतर उत्पाद और उपलब्धता के द्वारा ग्राहको की संतुष्टि को बढावा देना।

Vision, Mission and Objectives of the Company Vision

To become a leader in Mining of strategic minerals including gypsum for reclamation of land improving the health of the soil with sulphur nutrients, infrastructure development through supply of ROM gypsum to cement industries and producing various types of Fertilizers.

Mission

The Company's mission is to establish and carry on in India or in any part of the World all kinds of business relating to Gypsum and other minerals and their byproducts and manufacture of various types of fertilizers, all organic and inorganic chemical compounds including by products, derivatives and mixtures thereof.

Objectives

The main objective of the Company was to take over the entire unit known as Jodhpur Mining Organization (JMO) situated in the State of Rajasthan, being a Unit of Fertilizer Corporation of India Limited and to carry into effect the Scheme of separation (de-merger) of JMO with effect from 1st April 2003, as approved by Honb'le BIFR/the Central Government in this regard.

The other objectives of the company are as under:

- (a) To mine and market Gypsum & other organic and inorganic minerals efficiently and economically in an environmental friendly manner.
- (b) To effectively manage the assets & resources of the company to ensure a reasonable return on investments and to maximize internal resources.
- © To work out diversification / expansion schemes for the growth and to increase the Profitability of the Company and promote forward integration consistent with govt. policies/guidelines.
- (d) To venture into Production of other fertilizers such as SSP etc. in consistence with Govt. policies/ guidelines.
- (e) To continuously upgrade the quality of human resources and promote organizational and Management development.
- (f) To care for & protect the environment and also improving on the standards laid down by Pollution Control Authorities.
- (g) To increase customers satisfaction by providing quality products & services.



सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है एफ.सी.आई. अरावली जिप्सम एवं मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड की 15 वीं वार्षिक आम सभा गुरूवार 20.09.2018 को दोपहर 4.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय मांगू सिंह राजवी मार्ग, पावटा बी रोड, जोधपुर में निम्न व्यापार के लिए आयोजित की जायेगी.

साधारण व्यापार

- 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरण सहित निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को गृहण व अंगीकृत करना।
- 2. कम्पनी के सामान्य अंशों पर लाभांश घोषित करना।
- यदि उपयुक्त समझा जाए तो संशोधनों सहित अथवा बिना संशोधन के लेखा परीक्षकों के परिश्रमिक के निर्घारण के प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव की तरह विचार करना.

'संकल्पित किया जाता है कि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 142 व अन्य लागू उपबन्धों के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2018—19 के लिए नियुक्त किये जाने वाले कम्पनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों का परिश्रमिक कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित किया जाए।'

> निदेशक मण्डल के आदेश से एफ सी आई अरावली जिप्सम एवं मिनरल्स इण्डिया की ओर से (सिद्धार्थ कुमार)

> > कम्पनी सचिव

नोट:-प्रत्येक सदस्य बैठक में उपस्थित होकर अपना मत दे सकता है एवं अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में उपस्थित होने एवं मत देने के लिए नियुक्त कर सकता है। प्रतिनिधी के लिए सदस्य होना आवश्यक होना आवश्यक नहीं है।

सेवा में

- 1 सभी सदस्यगण एवं निदेशक मण्डल के सदस्य
- 2 मेड़तिया डागा एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार प्लाट नं 155 , पत्रकार कालोनी, न्यू पावर हाऊस रोड़, जोधपुर— 342003 (राजस्थान)

NOTICE

Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting of the members of the Company FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited will be held on Thursday 20th September, 2018 at 4:00 p.m., at registered office of the company at Mangu Singh Razvi Marg, Paota B Road, Jodhpur to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS:

- To receive, consider and adopt the audited Financial Statement of the Company for the financial year ended March 31, 2018, the reports of the Board of Directors' and Auditors' thereon; and
- 2. To declare dividend on Equity Shares of the Company; and
- 3. To fix the remuneration of auditors and to consider and if thought fit, to pass the following resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to section 142 and any other applicable provisions of Companies Act 2013, Rules framed thereunder (including any statutory modifications or enactment thereof for the time being in force), the remuneration of Statutory Auditors of the Company, who has been appointed by the Comptroller & Auditor General of India (CAG) for the financial year 2018-19, be fixed by the Board of Directors of the Company."

Dated: 21.08.2018 Place: Jodhpur.

By order of the Board of Directors, For FCI Aravali Gypsum & Minerals India Limited (Siddharth Kumar) Company Secretary

Note: A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy to attend & vote instead of himself. A proxy need not be a shareholder of the company.

Copy to:

- 1. All Shareholders & Board of Directors
- 2. Mertia Daga & Associates, Chartered Accountants, Statutory Auditors, Plot-155, Patrakaar Colony, New Power House Road, Jodhpur-342003, Rajasthan.





(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अनुसार)

प्रिय सदस्यगणों.

निदेशक मण्डल की ओर से मुझे कम्पनी की पन्द्रवी वार्षिक आम सभा में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निदेशकों व अंकेक्षकों के प्रतिवेदनों सहित अंकेक्षित लेखो को प्रस्तृत करने में प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

(1) वित्तीय परिणाम एवं विनियोजन

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 4860.05 लाख (पिछले वर्ष ₹ 5133.23 लाख) की बिक्री के साथ ₹ 4187.64 लाख (पिछले वर्ष ₹ 5519.02 लाख) का कर पूर्व लाभ अर्जित किया। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष विक्रय व लाभ में कमी मुख्यतयः आयातित जिप्सम के कारण सीमेंट उद्योगों की अस्थिर मांग, मोहनगढ खान समृह से बिक्री में कमी व निजी समूहों की भागीदारी की वजह से है। कम्पनी ने पिछले वर्ष ₹ 3603.38 लाख की तुलना में इस वर्ष ₹ 2703.49 लाख का कर पश्चात लाभ अर्जित किया। कम्पनी की वित्तीय उपलब्धियों से सम्बन्धित वर्ष 2017-18 के प्रमुख आंकड़े नीचे प्रस्तुत है:-

DIRECTORS' REPORT

(In accordance with the section 134(3) of the Companies Act, 2013)

Dear Members,

On behalf of Board of Directors, I take pleasure to present the audited accounts of the company along with Auditors' and Directors' Report in 15th Annual General Meeting for the year ended on 31st March, 2018.

1. FINANCIAL RESULTS & APPROPRIATIONS:

During the year under review, the company achieved turnover of Rs. 4860.05 lakh (previous year Rs. 5133.23 Lakh) with Profit before tax of Rs. 4187.64 lakh (previous year Rs. 5519.02 Lakh). Decrease in Sales and PBT over previous year are mainly due to volatile demand by cement industries due to imported gypsum and lesser offtake from Mohangarh Mines and supplies by private players. Post-Tax profit is Rs. 2703.49 lakh (previous year Rs. 3603.38 Lakh). The key figures relating to financial performance of the company for the year 2017-18 are given below:-

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
सकल बिक्री	Turnover	4860.06	5133.23
कर, ब्याज, असाधारण, अपवादिक मद, पूर्वावधि मद, व मूल्यह्रास से पूर्व लाभ	Profit before Depreciation, Prior Period, Exceptional, Extra-ordinary items, Interest & Tax	3192.48	3659.18
मूल्य हास	Depreciation	(21.46)	(28.20)
ब्याज	Interest Paid	(12.75)	(5.91)
मूल्यहास व ब्याज पश्चात लाभ	Net Profit after Depreciation & Interest	3158.27	3625.07
पूर्वावधि मद	Prior period adjustment	(0.03)	(0.30)
कर, अपवादिक व असाधारण मद पूर्व लाभ	Profit before exceptional and extra-ordinary item and tax	3158.23	3624.77
अपवादिक मद—आय/(व्यय)	Exceptional Items- Income/ (Expenditure)	1029.41	1894.25
असाधारण मद व कर पूर्व लाभ	Profit before extra-ordinary item and tax	4187.64	5519.02
असाधारण मद	Extra-ordinary item	0	0
कर पूर्व लाभ	Profit before Tax	4187.64	5519.02
वर्तमान वर्ष के लिए कर प्रावधान	Provision for Current Tax	(1191.79)	(1291.05)
आस्थगित कर	Deferred tax Charge	(292.35)	(635.52)
पिछले वर्ष का कर समायोजन	Tax adjustment for previous year	0	10.93
कर पश्चात लाभ	Profit after Tax(PAT)	2703.49	3603.38
लाभ हानि खाते से हस्तान्तरण	Transfer from P&L Account	4661.11	4175.10





विनियोजन	Appropriatian		
लाभांश	Dividend paid	1187.43	1026.17
लाभांश पर कर	Tax on Dividend paid	241.73	208.90
सामान्य संचय में हस्तान्तरित	Transfer to General Reserve	270.35	360.34
विकास संचय में हस्तान्तरित	Transfer to Development Reserve	854.47	1521.96
अगले वर्ष ले जाया गया शुद्ध अधिक्य	Net closing surplus carried to next year	4810.63	4661.11

2. अंशपूंजी

कम्पनी की अधिकृत पूंजी पिछले वर्ष के समान ₹ 30 करोड़ रही। कम्पनी ने वर्ष के दौरान ₹ 10 वाले 2,26,70,200 समता अंश भारत सरकार को बोनस अंश की तरह निर्गमित किये। इस तरह कम्पनी की पूर्णदत्त पूंजी ₹ 30 करोड़ हो गई।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का Differential Right, ESOP या Sweat equity जारी नहीं किया है।

3.लांभाश

आपकी कम्पनी ने अब तक सतत् रूप से लाभांश का भुगतान किया है। अतः इस वर्ष भी कम्पनी के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए वर्ष 2017—18 के लिए आपके निदेशको ने पूर्ण दत्त पूंजी के 41 प्रतिशत ₹ 12.30 करोड़ (पिछले वर्ष पूर्ण दत्त पूंजी का 162 प्रतिशत ₹ 11.87 करोड़) के लाभांश की सिफारिश की है, जिसे यदि पन्द्रवी वार्षिक आम सभा में समर्थन मिलता है तो कम्पनी के पंजीकृत अंशधारियों / सदस्यों को वितरित किया जायेगा।

4. उपलब्धियाँ

(अ) समझौता ज्ञापनः एम.ओ.यू. भारत सरकार व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन के बीच एक पराक्रम्य समझौता है। जिसके अन्तर्गत, प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है एवं प्रति वर्ष जिसका मूल्यांकन ''पांच सूत्री पैमाने'' पर किया जाता है।

प्रतिकूल व्यापारिक परिस्थितियों के कारण (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) आपकी कंपनी ने 100 में से 45.66 अंकों के साथ वर्ष 2016—17 के लिए ''औसत'' एम.ओ.यू. दर्जा प्राप्त किया है। वर्ष 2017—18 के लिये भी आपकी कंपनी को 'औसत' एम.ओ.यू. दर्जा प्राप्त करने की आशा है।

2. SHARE CAPITAL:

The Authorized Share Capital has remained at the same level of previous year ie. Rs. 30 crore. The Company has issued 2,26,70,200 equity shares @ Rs. 10 each as bonus shares to its existing shareholder Government of India during the year. Thus the paid up capital of the company is Rs. 30 crore.

During the year the company has not made any type of issue of capital with reference to Differential rights, Employees Stock option and Sweat Equity either to its employees or other person.

3. DIVIDEND:

Your company has consistent track record of dividend payment so far. Therefore keeping in view the good performance of the company, your Directors have recommended a dividend of Rs. 12.30 crore @ 41.00% of paid up capital (Rs.4.10 per share of Rs. 10/- each) for the year 2017-18 (Previous year Rs. 11.87 crore) which if approved at the ensuing 15th Annual General Meeting (AGM), will be paid to all the shareholders whose names appear in the Register of Members.

4. ACHIEVEMENTS:

a. MOU rating: MoU is a mutually negotiated agreement between the management of the Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and the Government of India. Under this agreement, the CPSE undertakes to achieve the targets set in the agreement at the beginning of the year and the performance is rated every year on a five point scale.

Due to adverse business conditions (as mentioned above), your company has achieved "Fair" MOU ranking with 45.66 score out of 100 for the year 2016-17. For the year 2017-18 also, your company is expecting "Fair" MOU ranking.





(MOU for the year 2018-19 being exchanged between Secretary (F), Smt. Bharathi Sivaswami Sihag and CMD FAGMIL, Smt. Alka Tiwari)

- (ब) राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापनः कम्पनी ने खनन क्षेत्र में 250 करोड़ रूपये की राशि निवेश करने के लिए 16 अक्टूबर 2015 को राजस्थान सरकार के साथ Resurgent Rajasthan Partnership Summit, 2015 के अन्तर्गत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। हालांकि राजस्थान सरकार ने अभी तक जैसलमेर में एस.एम.एस. ग्रेड लाइमस्टोन के आरक्षण पर अपनी सहमति नही दी है, परन्तु उन्होने रॉक फास्फेट व डोलोमाइट के आरक्षण पर अपनी सहमति दे दी है। अब यह फाइल खान मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष अधिसूचना हेतु लंबित है।
- (स) मिनीरत्ना दर्जाः कम्पनी स्थापना के समय से, अर्थात वर्ष 2003–04 के पश्चात से ही निरंतर लाभ कमा रही है। इसलिए इसके प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए, भारत सरकार ने दिनांक 06.06.2011 को पत्र संख्या 18018/2/2011–FC। के द्वारा मिनीरत्ना–।। का दर्जा प्रदान किया है।
- (द) आई. एस. ओ. प्रमाणीकरण: स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण द्वारा निर्धारित मानदण्डो के अन्तर्गत ग्राहको को अच्छे गुणवत्ता वाले उत्पाद व सतत् सेवाये, सुनिश्चित कराने में आई.एस.ओ. महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 - अतः कम्पनी ने व्यवसायिक बीमारियों से सुरक्षा, वातावरण प्रबन्धन एवं गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली हेत् समूह का अकेक्षण

- b. MOU with State Government: The Company has also signed a MoU under Resurgent Rajasthan Partnership Summit, 2015 with the Government of Rajasthan on 16th of October, 2015 for investing an amount of Rs. 250 crore in the mining sector. However, State Government of Rajasthan has not yet agreed to reserve the blocks of SMS grade Limestone in Jaisalmer. Although they have agreed for reservation of Rock Phosphate and Dolomite. Now the file is pending with Ministry of Mines, Government of India for Gazette Notification.
- c. Miniratna Category: The Company has been making continuous profit since inception i.e. 2003-04. Therefore, keeping in view the consistent performance, the Government of India conferred the status of "Miniratna-II" category to the company on 06.06.2011 vide letter no. 18018/2/2011-FCA.
- d. ISO Certification: ISO helps us to ensure that customers get consistent and good quality of product and services under specified criteria and fulfil the standard laid down for protection of health, safety and environment.

Therefore the company got its establishment audited w.r.t. Quality Management System (QMS), Environmental Management System (EMS) and



करवाया है। जिसके लिए एकीकृत प्रमाण पत्र (14001: 2015 एवं BS OHSAS 18001: 2007 एवं ISO 9001: 2015) मोहनगढ़, सूरतगढ़, बीकानेर खान समूह व जोधपुर कार्यालय के लिए दिनांक 7 जून, 2017 को प्राप्त किया है जोकि 5 जून, 2020 तक वैध रहेगा।

5 प्रदर्शन

(अ) उत्पादन / बिक्री उपलिक्ष्यां पिछले वर्ष 581981 मै.टन जिप्सम उत्पादन की तुलना में इस वर्ष जिप्सम का कुल उत्पादन 326661 मै.टन रहा है। इसमें से कम्पनी ने 428748 मै.टन (पिछले वर्ष 563926 मै.टन) जिप्सम मैसर्स यू.पी. स्टेट एग्रो, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, राजस्थान स्टेट मार्केटिंग को आपरेटिव फेंडरेशन, एचएलआरडीसी, डी डी एस एफ एवं अन्य सीमेंट कम्पनियों को बेचा। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बिक्री व कर पूर्व लाभ में कमी मुख्यतः आयितत जिप्सम के कारण सीमेंट उद्योगों की अस्थिर मांग, मोहनगढ़ खान समूह से कम उठाव एवं निजी खातेदारों द्वारा बिक्री के कारण हुई है।

Occupational Health and Safety Services and obtained one Integrated Certificate (ISO 14001:2015 and BS OHSAS 18001:2007 and ISO 9001:2015) on 07, June, 2017 which is valid upto 05, June, 2020 for its Mohangarh, Suratgarh, Bikaner group of mines and Jodhpur Office.

5. PERFORMANCE HIGHLIGHTS

a. Production / Sales Performance

During the year, the total production of Gypsum was 326661 MT as compared to 581981 MT production of previous year. The company sold 428748 MT (previous year 563926 MT) of gypsum to Uttar Pradesh Bhumi Sudhar Nigam Limited, HLRDC, Rajasthan State Marketing Co-operative Federation, DDSF and various other cement companies. Decrease in Sales and PBT over previous year are mainly due to volatile demand by cement industries due to imported gypsum and lesser offtake from Mohangarh Mines and supplies by private players.

पिछले तीन वर्षों की उत्पादन स्थिति निम्न प्रकार हैं:

वर्ष	बिक्री	उत्पादन	क्षमता	क्षमता का प्रयोग
2015—16	729721	634097	1160000	54.66%
2016—17	563926	581981	1225000	47.51%
2017—18	428748	326661	1225000	26.67%

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का प्रत्येक खानों की बिक्री निम्न प्रकार है।

खान समूह	2016—17	2017—18	वार्षिक क्षमता	उपलब्धि क्षमता के % रूप मे
मोहनगढ़	1.65	0.78	5.50	14.18
बीकानेर	0.44	0.41	1.05	39.04
सूरतगढ़	2.09	1.52	3.70	41.08
रामसिंहपुर	1.46	1.58	2.00	79.00
कुल	5.64	4.29	12.25	35.02



(ब) वित्तीय प्रदर्शनः

कम्पनी ने ₹ 48.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 51.33 करोड) की बिक्री व ₹ 41.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 55.19 करोड) का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। कर पश्चात् लाभ ₹ 27.03 करोड (पिछले वर्ष ₹ 36.03 करोड) का रहा। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बिक्री व कर पूर्व लाभ में कमी मुख्यतः आयतित जिप्सम के कारण सीमेंट उद्योगों की अस्थिर मांग, मोहनगढ़ खान समूह से कम उठाव एवं निजी खातेदारों द्वारा बिक्री के कारण हुई है।

(स) विक्रय संवर्धनः

विक्रय संवर्धन एक ऐसा गतिविधियों का समूह है जिसमें संभावित ग्राहको को तलाशने व ग्राहको को उत्पादित वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें न केवल विज्ञापन वरन् व्यापारिक मेलो में भागीदारी भी निहित होती है। हालांकि कि कम्पनी किसी भी कृषि मेले में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती और न ही ऐसे किसी मेले का आयोजन करती है परन्तु विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से किसानों के बीच जिप्सम की उपयोगिता से संबन्धित प्रचार सामग्रियों को प्रसारित करती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने लघु उद्योग भारती द्वारा जयपुर में आयोजित मेले में भाग लिया। कंपनी विभिन्न फसलों में जिप्सम के प्रयोग के लिए मोबाइल परीक्षण वैन भी संचालित करती है। विभिन्न समितियाँ नियमित रूप से बिक्री को बढावा देने के लिए हमारे ग्राहकों से संपर्क करती है।

(द) एमएसएमईसेक्रयः

घरेलू सूक्ष्म, मध्यम एवं लधु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने सभी प्रकार के क्रय का 20 प्रतिशत इन उद्योगों से क्रय करने के लिए राजपत्र दिशा निर्देश सं. 581(2)दिनांकः 23.03.2012 जारी किया। अतः वर्ष 2017—18 में फेगमिल ने कुल क्रय ₹ 179.00 लाख के सापेक्ष ₹ 131.16 लाख (73.27%) का क्रय सूक्ष्म एवं लधु उद्योगों से किया है।

(6) राजकोष में अंशदानः

वित्तीय वर्ष 2017—18 के दौरान कम्पनी ने कुल ₹ 36.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 44.95 करोड़) का योगदान आयकर, बिक्री कर, उत्पादन शुल्क, सेवा कर, अधिशुल्क, न्यूनतम किराया, सेवा शुल्क, भूमि कर, पर्यावरण व स्वास्थ्य कर, माल और सेवाओं पर कर, लाभांश एवं लाभांश पर कर के आदि के रूप में केन्द्रीय व राजकीय राजकोषों में किया।

b. Financial Performance

The Company has achieved Sales turnover and Profit before tax of Rs. 48.60 crores (previous year Rs. 51.33 crore) and Rs.41.88 crore (Previous year Rs. 55.19 crore) respectively. The post-tax profit is at Rs.27.03 crore (previous year Rs. 36.03 crore). Decrease in Sales and PBT over previous year are mainly due to volatile demand by cement industries due to imported gypsum and lesser offtake from Mohangarh Mines and supplies by private players.

c. Sales Promotion

Sales promotions are set of marketing activities undertaken to boost up the sales by persuading potential customers to buy the product. It not only includes advertising campaigns but also includes participation in various trade fairs etc. The Company does not take part or organize any agriculture mela directly, however through various agriculture universities it educates the farmers about the utility of mineral gypsum. During the year, the company participated in a fair organised by Laghu Udyog Bharti in Jaipur. The company also operates mobile testing van to make aware the farmer about the use of gypsum in different soils for various crops. The various committees regularly interact with our customer to boost up the sale.

d. PROCUREMENT FROM MSME:

In a major boost to the domestic Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the Government has decided to reserve 20 percent of all government purchases for the MSME sector. Therefore against Gazette notification no. 581(2) dated 23.03.12, FAGMIL purchased items worth of Rs. 131.16 lakh (73.27%) from micro and small enterprises out of total purchase of Rs. 179.00 lakh during 2017-18.

E. CONTRIBUTION TO NATIONAL EXCHEQUER:

The Company made a contribution of Rs. 36.03 crore (previous year Rs. 44.95 crore) by way of Income Tax, Sales Tax, Excise duty, Service Tax, Royalty, Dead Rent, Service Charges, Land Tax, Environment & Health cess, Goods and Service Tax, Dividend and tax thereon etc. to the Central and State exchequer during the financial year 2017-18.



(7) वर्तमान व प्रस्तावित खनन पट्टो की स्थिति

वर्तमान खनन पट्टो की स्थिति इस प्रकार है :

क्र. स.	खान का नाम व स्थान	पट्टे का क्षेत्र (हेक्टेयर)	खनन पट्टो /कार्यानुमति की स्वीकृति तिथि	क्षमता (मै.टन)	टिप्पणी
1.	मोहनगढ़— जैसलमेर	501.68	06.11.1967	450000	भारत सरकार के दिनांक 20.02.1964 के अधिसूचना के अन्तंगत एक अनिष्ठित अवधि के लिए धारित क्षेत्र तथा भारत सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्यरत अतः पष्टा अनुबंध अपेक्षित नहीं है। पर्यावरण अनुमति प्राप्त खान प्रचलन में है।
2.	मोहनगढ़—I जैसलमेर	200	17.12.2007	100000	खान प्रचलन में है।
3.	करणीसर–श्रीगंगानगर	48.76	14.09.1966	40000	खान प्रचलन मे है।
4.	रधुनाथपुरा–I श्रीगंगानगर	95.10	14.09.1966	30000	खान प्रचलन मे है।
5.	रधुनाथपुरा–मुख्य श्रीगंगानगर	81.29	14.09.1966	10000	खान प्रचलन मे है।
6.	रधुनाथपुरा–IIIश्रीगंगानगर	4.747	22.02.2010	50000	खान प्रचलन मे है।
7.	ठेठार श्री गंगानगर	100.81	16.05.2007	90000	खान प्रचलन मे है।
8.	पदमपुरा श्री गंगानगर	120.00	19.12.2008	50000	खान प्रचलन मे है।
9.	किशनपुरा—अ	4.98	24.04.2014	50000	खान प्रचलन मे है।
10.	किशनपुरा—ब	4.98	24.04.2014	50000	खान प्रचलन मे है।
11.	कावनी, बीकानेर	250.53	14.09.1966	50000	खान प्रचलन मे है।
12.	भारू, बीकानेर	111.49	14.09.1966	40000	खान प्रचलन मे है।
13.	रणधीसर, बीकानेर	200.00	11.05.2007	15000	खान प्रचलन मे है।
14.	खाल-श्री गंगानगर	86.12	16.05.2007	50000	खान प्रचलन में हैं।
15.	कुपली, श्रीगंगानगर	4.8	07.07.2010	50000	खान प्रचलन में हैं।
16.	धाधड़ा, श्री गंगानगर	132.37	25.08.1967	100000	खान प्रचलन मे है।
	कुल			1225000	

(8) विविधीकरण और विस्तार

प्रत्येक विविधीकरण व विस्तार अव्यवस्थित जोखिम को हटाने का प्रयास करता है ताकि सकारात्मक प्रदर्शनों के प्रभाव से नकारात्मक प्रदर्शनों के प्रभाव को निष्क्रीय किया जा सकें। यह न सिर्फ कम्पनी की आय को बढ़ाता है बिल्क उद्देश्यों की प्राप्ति, बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने, साख बनाने व नई पहचान प्राप्त करने में भी कम्पनी की मद्द करता है।

अतः उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने भी विभिन्न प्रकार से विविधीकरण योजना बनायी है, जो इस प्रकार हैं:

(अ) जिप्सम

फेगमिल के पक्ष में 4 जिप्सम के क्षेत्रों को आरक्षित करने के लिए खान मत्रांलय, भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को सदर्भ संख्या 4/11/2016-M-VI दिनांक 27.02.2017 के अन्तर्गत पत्र लिखा गया, जो कि राजस्थान के शासन के पास लंबित है।

F. STATUS OF EXISTING & PROPOSED MINING LEASES:

The details of our existing mining leases are as under:-Status of existing Mines

S. No.	Name & Location of the Mines	Lease Area	Date of Grant of Mining Lease	Capacity in MT	Remarks
1.	Mohangarh, Jaisalmer	501.68	06.11.1967	450000	Area held under GOI notification dated 20.02.1964. Working as agent of GOI. Environment clearance obtained. Mine is operational.
2.	Mohangarh-1, Jaisalmer	200	17-12-2007	100000	Mine is operational
3.	Karnisar, Sriganganagar	48.76	14-09-1966	40000	Mine is operational
4.	RP-1, Sriganganagar	95.10	14-09-1966	30000	Mine is operational
5.	RP- Main, Sriganganagar	81.29	14-09-1966	10000	Mine is operational
6.	RP-III, Sriganganagar	4.747	22-02-2010	50000	Mine is operational
7.	Thethar, Sriganganagar	100.81	16-05-2007	90000	Mine is operational
8.	Padampura, Srigangarnagar	120.00	19-12-2008	50000	Mine is operational
9.	Kishanpura-A	4.98	24-04-2014	50000	Mine is operational
10.	Kishanpura-B	4.98	24-04-2014	50000	Mine is operational
11.	Kaoni, Bikaner	250.53	14-09-1966	50000	Mine is operational
12.	Bharru, Bikaner	111.49	14-09-1966	40000	Mine is operational
13.	Randhisar, Bikaner	200.00	11-05-2007	15000	Mine is operational
14.	Khal, Sriganganagar	86.12	16-05-2007	50000	Mine is operational
15.	Kupli, Sriganganagar	4.8	07-07-2010	50000	Mine is operational
16.	Dhandra, Sriganganagar	132.37	25-08-1967	100000	Mine is operational
	Total			1225000	

8. DIVERSIFICATION AND EXPANSION:

Diversification and Expansion strive to smooth out unsystematic risk events in a business. It not only helps the company to increase revenue but also helps in achieving the set objectives, increases the market share, goodwill, reputation and gains new identity in corporate world.

Therefore keeping in view of the above, the company has made its diversification and expansion plan as under:

A. Gypsum

To reserve the 4 areas of gypsum in favour of FAGMIL, Ministry of Mines, Government of India has written to Government of Rajasthan vide reference number 4/11/2016-M-VI dated 27.02.2017, which is pending with Government of Rajasthan.





फेगमिल ने रॉक फास्फेट, डोलोमाइट एवं एस.एम.एस. ग्रेड लाइन स्टोन के आरक्षण हेतु उर्वरक विभाग के माध्यम से खान मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष आवेदन किया था। खान मंत्रालय भारत सरकार ने राजस्थान सरकार से इस संदर्भ में टिप्पणी मांगी थी। राजस्थान सरकार रॉक फास्फेट एवं डोलोमाइट के आरक्षण पर सहमत हो गयी है। अब खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिकृत अधिसूचना जारी किया जाना शेष है।

(स) सफोद सीमेंट संयंत्र

कम्पनी ने सफेद सीमेंट के खनन् कार्य हेतु हिमांचल प्रदेश में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है एवं सह— सहयोग में सफेद सीमेंट प्लाण्ट लगाने की भी इच्छुक है। इसके लिए कम्पनी ने सफेद सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के एक खनन पट्टा एवं चार पूर्वेक्षण पट्टों के लिए आवेदन किया है। क्षेत्र की सयुंक्त सीमांकन प्रक्रिया का कार्य पूर्ण हो चुका है। पूर्वेक्षण पट्टा अपेक्षित होना अभी शेष है।

सिंगल सुपर फास्फेट (एस. एस. पी.)

कम्पनी ने 800 मै0टन क्षमता वाले ₹ 98.70 करोड़ की कीमत के एस एस पी प्लांट को चित्तौड़गढ़ में स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमित प्राप्त कर ली है। इसके लिए कम्पनी ने पण्डोली गांव, कपासन हाईवे के निकट, चित्तौड़गढ़ में 11.01 हेक्टेअर भूमि तथा साथ ही गोसुण्डा बांध से जल के उपयोग की मंजूरी राजस्थान सरकार से प्राप्त कर ली है। कम्पनी ने पर्यावरण अनुमित भी पर्यावरण विभाग से प्राप्त कर ली है एवं मैसर्स पी.डी. आई.एल को इस परियोजना के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेण्ट कन्सल्टेंट के तौर पर कार्य सौप दिया गया है। टोपोग्राफिकल सर्वे एवं भू—तकनीकी सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। एल.एस.टी. के. अनुबंध के लिए निविदा जारी कर दी गयी है। अन्य कार्यों के लिये निविदाये जल्द ही जारी की जायेगी। कम्पनी बांध से प्लाण्ट की साइट तक पाइप लाइन बिछाने के प्रक्रिया में है। बिजली के प्रयोग के लिए जल्द ही आवेदन किया जाएगा। संयंत्र को अक्टूबर 2019 तक शुरू किये जाने की संभावना है।

(१) मानव संसाधन प्रबन्धन :

मानव संसाधन प्रबन्धन संगठन का एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसे कि कम्पनी के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कर्मचारियों के प्रदर्शन में सुधार के लिए डिजाइन किया गया है। इसका कार्य संगठन में नीतियों के अन्तर्गत कर्मचारियों को सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित करने का होता है। प्रशिक्षण, विकास, प्रदर्शन मूल्यांकन एवं पुरस्कार के माध्यम से कर्मचारियों के कल्याण हेतु यह विभाग दायी होता है। अतः कर्मचारियों को प्रेरित करने एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए, कम्पनी ने विभिन्न प्रकार के कदम उठाये हैं:—

B. Reservation of Mineral Blocks of Rock Phosphate and Dolomite

FAGMIL has applied for reservation of mineral blocks of Rock Phosphate, Dolomite and SMS Grade Lime Stone through Department of Fertilizers to Ministry of Mines, Government of India. Ministry of Mines, Government of India sought the comments of Government of Rajasthan. The Government of Rajasthan has agreed on the Reservation proposals for Rock Phosphate and Dolomite. Now the Gazette notification is to be issued by Ministry of Mines, Government of India.

C. White Cement Plant

The company also applied for mining of white cement grade lime stone in Himachal Pradesh and intends to establish white cement plant in joint venture mode. For this the company applied for one mining lease and four prospective licences of white cement grade lime stone. Joint demarcation of applied area has been done. Lol for the applied mining lease is expected shortly.

Single Super Phosphate (SSP)

The company got approval of Central Government for establishing the SSP plant in Chittorgarh of 800 tpd at an investment of Rs. 98.70 crore. For this, the company has acquired 11.01 Ha of land in Pandauli village on Kapasan Highway at Chittorgarh and obtained the permission for use of water from Gosunda Dam. The company has also obtained the Environment Clearance and Consent to Establish from Pollution Control Board and awarded the job of Project Management Consultant to M/s PDIL. Topographical Survey and Geo-Technical Survey jobs are complete. NIT for LSTK contract and civil jobs were floated. The company is in process of laying pipe line directly from Gosunda Dam to proposed site. The application for supply of electricity will be made soon. The plant will be commissioned by October 2019.

9. HUMAN RESOURCE MANAGMENT:

HRM is a function in an organisation designed to maximize the employees' performance in achieving employer's strategic objects. HR is primarily concerned with management of people within organization, focusing on policies & systems. It is also responsible for welfare of employees by way of training & development, performance appraisal & reward. Therefore, to motivate the employees and implementing the welfare schemes, the company has taken various steps as under:



अ. कर्मचारी कल्याण:-

कम्पनी ने आई. डी. ए. पैटर्न की तीसरी वेतन प्रणाली की सिफारिशों को 2017 से लागू किया है। कर्मचारियों के आकिस्मक निधन अथवा विकलांग होने की दशा में उनके परिवार की सुरक्षा हेतु सामूहिक जीवन बीमा पॉलिसी ली है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के सेवा निवृत लाभ हेतु कम्पनी ने पेंशन स्कीम को भी लागू किया है।कम्पनी में सेवानिवृत आयु 60 वर्ष है।

ब. प्रशिक्षण एवं विकास:

प्रशिक्षण एवं विकास निरन्तर अद्यतन करने की कला है। जिसके माध्यम से कर्मचारीगण नई सूचनाये, ज्ञान, कौशल प्राप्त करते है जो उनकी क्षमताओं को बेहतर करने व कार्य को प्रभावी ढंग से करने में उनकी सहायता करता है।

अतः इस बदलते हुए व्यापारिक परिवेश में कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए कम्पनी ने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को घरेलू एवं बाहरी क्रमश 78 व 7 दिवसो का प्रशिक्षण दिया है।

a. Employee's Welfare

The company has implemented the recommendation of 3rd Pay revision committee with regard to IDA pattern of pay revision effective from 2017. The company has taken group term life insurance policy which protects the family of the employees in case of sudden demise or disablement of the employees. A pension scheme for the benefit of the employees has already been implemented. The retirement age of the employees of the company is 60 years.

b. Training & Development:

Training & Development are the educational process. People can learn new information, re-learn and reinforce existing knowledge and skills, and enables them to improve their effectiveness at work.

Therefore, to sustain in changing business environment and increase the effectiveness at work, the company provided 78 man-days and 7 man-days training to its executives and non-executives respectively by deputing employees for external and in house training programmes.



(Workshop being organized by company on GST)



स. कम्पनी में कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन एवं औद्योगिक संबंध:

वर्ष के दौरान नियोक्ता व कर्मचारियों के सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बने रहे तथा इस दौरान किसी भी प्रतिकूल स्थिति के कारण उत्पादन का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

अनुसूचित जाति / जनजाति, भूतपूर्व सैनिको, अल्पसंख्यको एवं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की नियुक्तियों एवं पदोन्नती से संबन्धित आरक्षण में कम्पनी सरकार के निदेशों का ध्यान रखती है। दिनांक 31.03.2018 को कम्पनी में कुल 44 कर्मचारी थे जिसमें से 28 अधिकारी व 17 गैर अधिकारी कर्मचारी थे। दिनांक 31.03.2018 को आरक्षित वर्ग के रोजगार के सम्बन्ध में निम्न विवरण है:—

क्र.स.	श्रेणी	कर्मचारियो की संख्या	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	05	11
2	अनुसूचित जनजाति	0	0
3	भूतपूर्व सैनिक		
4	अल्पसंख्यक		
5	शारीरिक रूप से विकलांग		
6	अन्य पिछड़ा वर्ग	09	21
7	महिलाए	04	9
8	अन्य	26	59
	कुल	44	100

कम्पनी ने समाज व कर्मचारियों के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार की समाजिक योजनाए लागू की है जिसके अर्न्तगत छात्रवृति, अधिकतम दो बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क, अध्ययन सामग्री की लागत की प्रतिपूर्ति इत्यादि कर्मचारियों के बच्चों को प्रदान किया जाता है।

(10) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिक अवशोषण, विदेशी विनिमय का आयवनिर्गमनः

उर्जा संरक्षणः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) तथा कम्पनी लेखा नियमन 2014 के नियम 8(3) के तहत यह उल्लेख किया जाता है कि कम्पनी ऊर्जा कुशल विनिर्माण यन्त्रों का प्रयोग नहीं करती है। अतः यह कम्पनी पर लागू नहीं है। हालांकि धारणीय विकास के अन्तर्गत कम्पनी ने मुख्य कार्यालय जोधपुर में एवं अन्य कार्यालयों में कार्बन फुटप्रिन्ट बचाने के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित किया है, जिसके अन्तर्गत कम्पनी प्रति वर्ष 5000 यूनिट बिजली की बचत करती है।

प्रौद्योगिकी आवशोषणः कम्पनी ने अपने परिचालन के लिए किसी भी तकनीक को क्रय नहीं किया है।

अनुसंधान एवं विकासः कृपया प्रबन्ध एवं विश्लेषण प्रतिवेदन देखे।

c. Implementation of welfare schemes in Company and Industrial Relations

The employer-employees relationship continued to be harmonious during the year. There was no loss of production due to any adverse situation.

The Company has been observing Government of India's directives on recruitment and promotions with regard to reservation of posts for SCs/STs, Ex-Servicemen, Minority and Physically Handicapped persons. Manpower strength of the company as on 31.03.2018 was 44 comprising 28 executive and 16 non-executives. Details regarding employment of reserved categories as on 31.3.2018 are given below:

SI.	Category	No. of	% age
No.		Employees	
1	Schedule Castes	05	11
2	Schedule Tribes	0	0
3	Ex- Servicemen		
4	Minority		
5	Physically		
	Handicapped		
6	OBCs	09	21
7	Women	04	9
8	Others	26	59
	Total	44	100

The company is also implementing various social schemes for the welfare of society and employees under which, it provides scholarship, tuition fee (for 2 children) and reimburse the cost of study material to children of employees.

10. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUT GO:

Conservation of Energy: Under section 134 (3) of Companies Act, 2013 and Rule 8(3) of Companies (Accounts) Rules, 2014, it is hereby mentioned that the Company does not deal in energy efficient manufacturing plants; therefore it is not applicable to the company. However, under Sustainable Development activities, the company has installed solar system at Jodhpur office and area offices to save the carbon footprint which enabled the company to save 5000 units of electricity every year.

Technology absorption, adoption and innovation: The Company did not procure any technology for its operation.

Research and Development (R & D): Refer



विदेशी मुद्रा आय एवं व्ययः शून्य

(11) कर्मचारियों का विवरण:-

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 एवं कम्पनी (प्रबंधकीय कर्मियो की नियुक्ति एवं परिश्रमिक) नियमन 2014 के अर्न्तगत, कम्पनी के किसी भी व्यक्ति ने पांच लाख मासिक (साठ लाख वार्षिक) या इससे अधिक वर्ष के दौरान अथवा इसके किसी भी भाग के दौरान वेतन नहीं लिया है। अतः ये कम्पनी पर लागू नहीं है।

(12) निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व विवरणिका

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अन्तर्गत आपके निर्देशक यह प्रमाणित करते है कि:—

- अ) वार्षिक लेखों को बनाने में लागू लेखा मानकों का प्रयोग किया
 गया है एवं जहां कही भी इससे विचलन हुआ है उसका
 विवरण दिया गया है।
- ब) निदेशकों ने लेखांकन नीतियों का निरंतरता से पालन किया है एवं जहाँ भी आवश्यक हुआ वहाँ ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाये गये है जो कि युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण है एवं वितीय वर्ष के अन्त में कम्पनी की स्थिति का एवं समीक्षाधीन वर्ष के लिये कम्पनी के लाभ हानि का सही एवं औचित्यपूर्ण विवरण देते है।
- स) निदेशको ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उचित लेखो के रख—रखाव, कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा किसी भी अनियमितता एवं छल कपट को पकड़ने तथा बचाव के लिये पूरी एवं समुचित सावधानी बरती है।
- द) निदेशको ने वार्षिक खाते चालू कम्पनी के रूप में बनाये गये है।
- य) एक सूचीबद्ध कम्पनी के मामले में निर्देशक यह आश्वस्त करते है कि कम्पनी आतंरिक वित्तीय नियत्रंण का पर्याप्त रूप से अनुसरण करती है एवं और यह पर्याप्त है एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।
- र) निर्देशको ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए एक उचित कार्यप्रणाली तैयार की है जो पर्याप्त है एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

(13) राजभाषा कार्यान्वयन:-

राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों एवं सरकार की नीतियों की पूर्ण पालना हेतु हिन्दी दिवस, सप्ताह व पखवाड़ा प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसमें हिन्दी कार्यशालायें व विभिन्न प्रकार के हिन्दी प्रतियोगिताएं जैसे:— हिन्दी निबन्ध, अनुवाद, ज्ञान गंगा, हिन्दी श्रुतिलेख, हिन्दी स्लोगन, हिदी पद इत्यादि आयोजित किए जाते है। इस कार्यशाला में उत्कृष्ट हिन्दी इस्तेमाल करने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष के दौरान 14 सितम्बर 2017 से 28 सितम्बर 2017 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया।

Management Discussion and Analysis Report.

Foreign Exchange Earning and Outgo: Nil.

11. DETAILS OF EMPLOYEES

In accordance with section 197 of the Companies Act 2013 read with Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, No employee was in receipt of remuneration of Rs. 500,000/- pm (Rs. 60,00,000 p.a.) or more throughout the financial year or part of the financial year. Therefore, it is not applicable to the company.

12. RESPONSIBILITY STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS

In accordance to section 134(5) of Companies Act, 2013, your directors confirm that:

- a. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- c. the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d. The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;
- e. The directors, in the case of a listed company, had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- f. The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

13. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE:

For implementing the provisions of Official Language Act, 1963 and policy of the Government of India. Hindi diwas/ saptah & pakhwara are celebrated every year in which Hindi workshop is organized. Hindi competitions like Hindi essay, Translation, Gyan Ganga, Hindi dictation, Hindi Slogans, Hindi Poems etc. are conducted and best performers are awarded. During this year "Hindi Pakhwada" was celebrated from 14th September 2017 to 28th September 2017.





(CMD FAGMIL, Smt. Alka Tiwari receiving the prize of Hindi Salahkar Samiti for 2017-18 from Hon'ble Minister Chemicals and Fertilizers)









(14) सर्तकता विभाग की गतिविधियां एवं उपलब्धिया:-

सर्तकता विभाग संपूर्ण प्रबन्धकीय क्रिया विधि का एक महत्वपूर्ण अंग है। उर्वरक विभाग की डा. कविता गोतरू को दिनांकः 21.12. 2016 से 18.12.2017 तक कम्पनी की मुख्य सर्तकता अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया। उसके उपरान्त श्री टी.वी.रेड्डी ने कम्पनी के मुख्य सर्तकता अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिनांक 18.12.2017 को ग्रहण कर लिया। वे कम्पनी की सभी सतर्कता संबंधित गतिविधियों पर निर्देश, मार्गदार्शन एवं पर्यवेक्षण प्रदान करते है। इन कार्यो में प्रबंधक (सतर्कता) मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता करती है।

कम्पनी ने सर्तकता निवारण अपना मुख्य विषय अपनाया है जिसमें की कम्पनी द्वारा पारदर्शिता एवं जवाबदेही पर अधिक भार दिया गया है। कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मुख्य सर्तकता अधिकारी, केन्द्रीय सर्तकता आयोग का विवरण, उनके पते व टेलीफोन नम्बर तथा ई-मेल आई.डी.सहित एक विवरण पट्टिका सभी कार्यालयों एवं खानों में दर्शनीय स्थानों पर लगायी गई है, जिनसे कि भ्रष्टाचार के संम्बन्ध में शिकायत की जा सकती है।

वर्ष 2017–18 के दौरान संदिग्ध चरित्र (ईमान) वाले कर्मचारियों की सूची तैयार की गई एवं नियमित जाँचो के अतिरिक्त कुल 07

14. VIGILANCE DEPARTMENT ACTIVITIES AND **ACHIEVEMENTS**

Vigilance is considered to be an integral part of the Management function. Dr. Kavitha Gotru, Director (FA), Department of Fertilizers, was in additional charge as CVO, FAGMIL from 21st December 2016 to 18th December 2017. Shri T.V. Reddy, CVO, RCF has resumed the additional charge of CVO, FAGMIL w.e.f. 18th December 2017. He provides direction, guidance and supervision over all the vigilance related activities of the Company. Manager (Vigilance) is assisting Chief Vigilance Officer.

The Company has adopted preventive vigilance as the main theme. The stress is on transparency and accountability in the working of the Company. Vigilance Notice Boards have been installed in all offices/mines displaying the address and telephone numbers of the Chairman & Managing Director, Chief Vigilance Officer and Central Vigilance Commission along with e-mail IDs, who can be approached for complaints of corruption.

Agreed List and List of Officers of Doubtful Integrity for the year 2017 were prepared. A total of 07 surprise and regular inspections were carried out during the financial



आकिस्मिक जाँचे की गई। छानबीन व जाँच के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावो को औपचारिक कार्य हेतु प्रबन्धन को सौपे गये। वर्ष के दौरान कुल 19 आज्ञापत्र निर्गमित किये गये व 28 ए.पी.आर. की छानबीन की गई।

कर्मचारियों को सर्तकता के प्रति संवेदशील बनाने के लिए सर्तकता कैलेण्डर बनाया गया है, जिसके अर्न्तगत 5 वर्कशाप जोधपुर कार्यालय व विभिन्न खान समूहो में आयोजितत किये गये।

केन्द्रीय सर्तकता आयोग के दिशानिर्देशानुसार, सर्तकता जागरूकता सप्ताह—2017 को दिनांकः 31.10.2017 से 05.11.2017 तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय व सभी खानों में मनाया गया। year 2017-2018. On the basis of findings of inspections and scrutinizes, important suggestions were given to the Management for remedial action. A total of 19 vigilance clearances were accorded during this financial year and 28 APRs were scrutinized.

To sensitize the employees about vigilance, Vigilance Calendar was prepared and 05 workshops were conducted at Mines / Jodhpur office.

In consonance with the directives of Central Vigilance Commission, "Vigilance Awareness Period –2017" was observed from 31.10.2017 to 05.11.2017 at the Registered Office and all the Area Offices / Mines of the Company.



(Celebration of Vigilance Awareness week)

(15) निगमित प्रशासन पर प्रतिवेदनः

निगमित शासन पर कम्पनी के दर्शन:

निगमित प्रशासन के स्तर को ऊँचा उठाने व देश में तेजी से बदलते हुए वातावरण के साथ तालमेल बनाये रखने के लिए कम्पनी अपने प्रणाली एवं प्रक्रिया की लगातार समीक्षा करती रहती है। इसलिये कंपनी हमेशा लोक उद्यम विभाग (डी पी ई) द्वारा जारी किये गये

15. REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE:

Company's Philosophy on Corporate Governance:

FAGMIL is committed to continue its efforts towards raising the standards in Corporate Governance and also review its procedure and system constantly in order to keep pace with fast changing environment in the country. Therefore the company always complies with



निगमित प्रशासन दिशानिर्देश 2010 के प्रावधानों का अनुपालन करती है। उर्वरक विभाग के माध्यम से त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक उद्यम विभाग को सौपी जाती है। डी.पी.ई के दिशानिर्देशों के अतिरिक्त कम्पनी, कम्पनी अधिनियम—2013, सी.ए. जी, सी.वी.सी व आर. टी. आई के विनियमनों द्वारा भी परिचालित होती है। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक व निदेशको की नियुक्तियाँ स्वतंत्र रूप से निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप होती है। वैधानिक अंकेक्षक सी.ए.जी. द्वारा नियुक्त किये जाते है। प्रबन्धन की कार्यवाहियों को रिट याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है। निदेशको एवं कर्मचारियों का वेतन निर्धारण समिति की सलाह पर निर्धारित किया जाता है।

निदेशक मण्डल

- क. निदेशक मण्डल व उसकी दूसरी उपसमितियाँ कम्पनी के प्रबन्धन को उसके कर्तव्य के निर्वाह में उचित सहयोग प्रदान करती है एवं कम्पनी के कार्यो पर नियत्रंण रखती है। वर्तमान में कम्पनी के निदेशक मण्डल में कुल पाँच सदस्य है। जिसमें एक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशिक महोदया, दो अंश कालिक आधिकारिक निदेशक एवं शेष दो गैर आधिकारिक निदेशक है। वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल की पांच सभाये दिनांक 20. 04.2017, 27.06.17, 01.09.17, 28.11.17, 21.03.18 को आयोजित की गई। इनमें से किसी भी दो सभाओं के मध्य 4 माह से अधिक का समय नहीं रहा।
- ख. अंकेक्षण समिति: कारपोरेट गर्वनेन्स के अर्न्तगत वित्तीय प्रतिवेदनों के प्रकटीकरण एवं निरीक्षण के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा समिति एक मुख्य स्तंम्भ है। कम्पनी की वित्तीय प्रतिवेदनों में विश्वास बढ़ाना, आंतरिक नियन्त्रण प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना व जोखिम प्रबन्धन प्रणाली को लागू करना समिति के मुख्य उद्देश्य होते है। लेखा परीक्षा समिति में चार सदस्य है। कम्पनी के कार्य की समीक्षा करने के लिए समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान समिति की पाँच बैठके दिनांकः 20.04.2017, 27.06.2017, 01.09.2017, 28.11.2017 एवं 21. 03.2018 को सम्पन्न हुई।

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ:- दिनांक 14.05.2010 को निगमित शासन पर डी पी ई के दिशा निर्देशों के अनुसार the provisions of Corporate Governance Guidelines 2010 issued by DPE. The quarterly and yearly reports are also submitted within time to DPE through DOF. Apart from the instructions of DPE, the CPSEs are governed by the Companies Act, 2013 and regulations of various authorities like Comptroller and Auditor General of India (C&AG), Central Vigilance Commission (CVC), and RTI etc. Chairman, Managing Director and Directors are appointed independently through a prescribed procedure. Statutory auditors are appointed independently by the C&AG. Arbitrary actions, if any, of the Management can be challenged through writ petitions. Remuneration of Directors, employees, etc. are determined on the basis of recommendations of Pay Committees constituted for this purpose; etc.

Board of Directors:

a The Board of Directors along with its committees provides leadership and guidance to Company's management and directly supervises & controls the performance of the Company. The Board of Directors presently comprises 5 members. Out of which one is Chairperson & Managing Director, 2 are part time official directors and rest 2 are non-official directors. During the year under review five board meetings were organized viz. 20.04.17, 27.06.17, 01.09.17, 28.11.17 and 21.03.18. The maximum gap between two Board Meetings has not exceeded 4 months.

b. Audit Committee:

The Audit Committee is one of the main pillars of the corporate governance system. The Audit Committee aims to enhance the confidence in the integrity of the company's financial reports and announcements, the internal control processes and procedures and the risk management systems. There are four members in Audit Committee. To review the working of the company during the financial year under review five meetings of the audit committee have been held viz. 20.04.17, 27.06.17, 01.09.17, 28.11.17 and 21.03.18.

Terms of reference of Audit Committee: As per DPE guidelines on Corporate Governance dated 14.05.2010.



ग. सभाओं में उपस्थितिः

निदेशक पर्षद एवं अंकेक्षण समिति की संरचना व उन सभाओं में सदस्यों की उपस्थिति व वार्षिक आम सभा में निदेशको की उपस्थिति निम्न प्रकार है।

नाम	पद	निदेशको की सभा में उपस्थिति		आम अन्य सभा में उपस्थिति	अन्य कम्पनियों में सदस्यता/अध्यक्ष पद
श्रीमती अलका तिवारी	अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक	4	3	हां	राष्ट्रीय केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल ट्रावनकोर लि.
श्री धरम पाल	पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	01	01	लागू नहीं	नेशनल फर्टिलाइजर लि. मद्रास फर्टिलाइजर लि. भारतीय उर्वरक निगम लि. हिदुस्तान उर्वरक निगम लि.
श्री निरंजन लाल	निदेशक	02	01	लागू नहीं	भारतीय उर्वरक निगम लि. हिदुस्तान उर्वरक निगम लि. रामागुन्डम उर्वरक और रासायनिक लि. हिदुस्तान उर्वरक और रासायान लि. तालचेर उर्वरक लि.
मेजर विक्रम सिंह राना	निदेशक	01	01	लागू नहीं	शून्य
श्री प्रभाष कुमार	निदेशक	02	01	हां	प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि. पैरादीप फास्फेट लि.
श्री अनिल कुमार वी. पाटील	निदेशक	03	लागू नहीं	हां	भारतीय उर्वरक निगम लि.
प्रो.सी.वी.आर. मूर्ती	निदेशक	04	04	-	शून्य
श्री सुनील सिंधी	निदेशक	05	05	हां	शून्य

c. Attendance at various meetings:

The Composition of Board, Audit Committee & attendance thereat during the financial year & attendance at last Annual General Meeting are as follows:

IOIIOW				1	1
Name	Designa tion	Attend- ance at BM	Attenda nce at ACM	Attenda nce at AGM	Directorship/ Chairmanship in other companies
Smt. Alka Tiwari	CMD	4	3	Yes	Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited,
					Fertilizers and Chemicals Travancore Limited
Shri Dharam	Ex-CMD	1	1	N.A.	National Fertilizers Limited
Pal					Madras Fertilizers Limited
					Fertilizer Corporation of India Limited
					Hindustan Fertilizer Corporation of India Ltd
Shri Niranjan Lal	Director	2	1	NA	Fertilizer Corporation of India Limited
					Hindustan Fertilizer Corporation of India Ltd
					Ramagundam Fertilizers and Chemicals Ltd.
					Hindustan Urvarak & Rasayan Limited
					Talcher Fertilizers Limited
Major Vikram Singh Rana	Director	1	1	NA	Nil
Shri Prabhas Kumar	Director	2	1	Yes	Projects and Development India Limited, Paradeep and
Shri	Director	3	NA	Yes	Phosphate Limited Fertilizer
Anilkumar V. Patil	חופננטו	ა	IVA	162	Corporation of India Limited
Shri Anilkumar V. Patil	Director	3	NA	Yes	Fertilizer Corporation of India Limited
Prof. C.V.R. Murty	Director	4	4	-	NIL
Shri Sunil Singhi	Director	5	5	Yes	NIL



घ. नियुक्ति एवं सेवानिवृतः

सुश्री अलका तिवारी, संयुक्त सचिव, उर्वरक विभाग को दिनांक 14. 06.2017 को श्री धरम पाल के स्थान पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। श्री निरंजन लाल, निदेशक, उर्वरक विभाग को श्री प्रभाश कुमार के स्थान पर दिनांक 13.11.2017 को कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया गया।

पिछली आम सभा दिनांक 01 सितम्बर, 2017 को मुख्य कार्यालय, जोधपुर में आयोजित की गई।

इ व्हिसिल ब्लोअर नीति निगरानी / सर्तकता तंत्र:

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177(9) तथा सार्वजनिक विभाग की निगमित शासन के दिशा निर्देशों दिनांक 14.05.2010 के अन्तर्गत हमारी कम्पनी ने कर्मचारियों के लिए अनैतिक आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधडी या उल्लंधन के मामलो के बारे में प्रबंधन को अवगत कराने के लिए व्हिसिलब्लोअर नीति बनायी है। कम्पनी के किसी भी कर्मी को अंकेक्षण समिति के समक्ष उपस्थिति से निषेध नहीं किया गया है।

च. नामांकन, पारिश्रमिक और हितधारको की समिति:

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के अन्तर्गत सरकारी निजी कम्पनी होने के कारण यह कम्पनी पर लागू नहीं है। हांलािक कम्पनी की पारिश्रमिक निर्धारण समिति है जिसमें एक स्वंतत्र निदेशक, दो शासकीय निदेशक, महाप्रबन्धक व उप प्रबन्धक (वित्त) सम्मिलित है, जो कर्मचारियों की प्रदर्शन संबंधित देय राशि निर्धारित करते है। वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक दिनांक 21.03.2017 को आयोजित की गई।

कम्पनी के सभी अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम में है अतः इसलिए अंशधारियों की समिति की आवश्यकता नहीं है।

सामाजिक टायित्व समितिः

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135(2) तथा निगमित समाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीय विकास दिशानिर्देश 2014 के अन्तर्गत प्रत्येक कम्पनी में द्वि—स्तरीय सी एस आर समिति होनी चाहिए। अतः दिशानिर्देशों के अनुरूप कम्पनी में बोर्ड स्तर एवं उससे एक स्तर नीचे के स्तर की दो समितियाँ है। इस सम्बन्ध में अनुलग्नक—। एव MDAR में विस्तार से वर्णन किया गया है।

d. Appointments and Retirement:

Smt. Alka Tiwari, Joint Secretary, Department of Fertilizers, has been given additional charge of CMD in place of Shri Dharam Pal on 14.06.2017.

Shri Niranjan Lal, Director, Department of Fertilizers has been appointed in place of Shri Prabhas Kumar on 13.11.2017.

e. Last AGM held on 01st September, 2017 at registered office, Jodhpur.

f. Whistle blower Policy/ Vigil Mechanism

As per section 177(9) of Companies Act, 2013 and DPE Guidelines on Corporate Governance dated 14.05.2010, Our Company has "Whistle Blower Policy" for employees to report to management about instances of unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Company's code of conduct or ethics policy. No personnel of the Company have been denied access to the Audit Committee.

g. Nomination and Remuneration and Stake holders' Committee:

Being a Government Company and having status of Private Limited Company, section 178 of Companies Act 2013 is not applicable. However the Company has remuneration committee comprising of 1 Independent Director, 2 Government Directors, General Manager and Dy. Manager (F) for deciding the amount of PRP payable to employees. During the year one meeting of remuneration committee was held on 21.03.2017.

Further, the entire share capital is held by President of India therefore no stakeholder's committee is required.

h. CSR Committee:

Under Section 135 (2) of the Companies Act, 2013 and Corporate Social Responsibilities and Sustainable Development guidelines 2014, every company is required to have 2 tier CSR committee. Therefore in compliance with guidelines, the company has Board level & Below board level committees on CSR. The detailed reports have been given in annexure-1 & MDAR section.





कारपोरेट गर्वनेंस दिशानिर्देश—2010 के उपबन्ध 5.6 के अनुसार, श्री धरमपाल (पूर्व सी एम डी), सुश्री अल्का तिवारी (सी एम डी) या अन्य निदेशकों को किसी भी प्रकार का वेतन वर्ष के दौरान नहीं दिया गया है। हालांकि अशासकीय (स्वतन्त्र) निदेशकों को सभा में उपस्थित के लिए बैठक शुल्क दिया गया है।

झ. निगमित शासन का अनुपालन प्रमाण-पत्र अनुबन्ध-॥ में संलग्न किया गया है।

ञ. मंचार के माध्यम:

वार्शिक वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाड www.fagmil.nic.in पर उपलब्ध है।

(16)प्रकटीकरण:-

कम्पनी अधिनियम की धारा 186 के अन्तर्गत कम्पनी ने कोई भी ऋण या गांरटी नहीं दी है। जिसका की प्रकटीकरण 134 (3) (g)के अंतर्गत किया जाये।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अंतर्गत कम्पनी ने किसी भी सम्बन्धित पार्टी से ऐसा लेन—देन नहीं किया है जिससे कम्पनी के हितों को नुकसान पहुँचे और जिसका प्रकटीकरण 134(3)(h) के अंतर्गत किया जाये।

कम्पनी अथवा अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रावधान का पालन न करने का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया एवं पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी मामले के अन्तर्गत कम्पनी पर किसी भी प्रकार की बाध्यता या जुर्माना नहीं लगाया गया है जिसका प्रकटीकरण धारा 134 (3) (q) के अंतर्गत किया जाये।

कम्पनी लेखा नियमन 2014 के नियम 8 (iv) के अन्तर्गत कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी नहीं है जिसका प्रकटीकरण धारा 134 (3) (q) अधिनियम के अन्तर्गत किया जाए।

कम्पनी लेखा नियमन 2014 के नियम 8 (v) के अंतर्गत कम्पनी ने सदस्यों से किसी भी प्रकार की कोई जमाएँ नहीं ली है जिसका प्रकटीकरण धारा 134 (3) (q) के अंतर्गत किया जाए।

यौन उत्पीडन (रोकथाम निशेध निवारण) अधिनियम 2013 के अर्न्तगत सुचित किया जाता है कि कम्पनी में इस वर्ष कार्यस्थल पर

i. Remuneration to Directors:

As per clause 5.6 of Corporate Guidelines 2010 issued by DPE, No remuneration was paid to Shri Dharampal (Ex-CMD), Smt. Alka Tiwari, CMD or any other Director during the year. However sitting fees was paid Non official Directors (Independent Directors).

J. A certificate of compliance of Corporate Governance norms is attached at annexure-2

K. Means of communication:

Annual Financial Results are posted on Company's website www.fagmil.nic.in

16. Disclosures:

The company has not granted any loan or given guarantee for any loan or made any investment u/s 186 of Act which are required to be disclosed u/s 134(3)(g) of the Companies Act.

There were no related party transactions u/s 188 of Act, 2013 that may have a potential conflict with the interests of Company and which are required to be disclosed u/s 134(3)(h) of the Act.

There was no case of non-compliance of statutory provisions of the Companies Act, 2013 or any other statutory authority. These authorities have not passed any strictures or imposed any penalty on the Company on any matter during last three years which are required to be disclosed u/s 134(3)(q) of the Act.

The company is not having subsidiary under Rule 8 (iv) of Companies Accounts Rule 2014 the reports of which are required to be disclosed u/s 134(3)(q) of the Act.

The Company has not taken any deposit from its member under Rule 8 (v) of Companies Accounts Rule 2014 which are required to be disclosed u/s 134(3)(q) of the Act.

No cases of sexual harassment of women at work place were reported during the year under Sexual Harassment of women at Workplace (Prevention, prohibition and Redressal) Act 2013.



महिलाओं के यौन उत्पीडन से संबंधित कोई भी मामला सज्ञान में नहीं आया।

कम्पनी ने निदेशक मण्डल के सदस्यों व प्रबन्धन के वरिष्ठ अधिकारियों से एक घोषणा पत्र प्राप्त किया है जिसमें कि वह पुष्टि करते है कि उन्होंने व्यवसाय से सम्बन्धित आचरण आचार संहिता पढ़ व समझ लिया है। 31 मार्च 2018 के अंत तक वर्ष 2017—18 के दौरान किसी भी प्रावधान का उल्लंधन नहीं किया गया है।

(17) अकेंक्षणः

अधिनियम की धारा 139(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपने पत्रांक दिनांकः 11.08.2017 के द्वारा आपकी कम्पनी मे मैसर्स मेड़तिया डागा एण्ड एसोसियेट्स, सनदी लेखाकार, जोधपुर को वर्ष 2017–18 के लिए संविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। जिसके अनुसार उन्होंने वर्ष 2017–18 के लेखों की संमीक्षा की एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किया है।

लेखा परीक्षक प्रतिवेदन में किसी भी प्रकार की विपरीत टिप्पणी लेखा परीक्षकों की ओर से नहीं की गई है, जिस पर कि अधिनियम की धारा 134(3) व (4) के अन्तर्गत निदेशको के द्वारा टिप्पणी आवश्यक हो।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणीयाँ निदेशको की रिपोर्ट के साथ अनुबन्ध—III में संलग्न है।

(18) लागत लेखों को रखरखाव:

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) व कम्पनी (लागत लेखा व अंकेक्षण) नियम—2014 के नियम—3 के अर्न्तगत कम्पनी ने खनन क्रियाओं से सम्बन्धित सामग्रियों, श्रम व अन्य लागत लेखों का रखरखाव किया है।

(19) आभार प्रदर्शन:

आपके निदेशक कम्पनी के कार्यकलापो एवं संसाधनों के बेहतर प्रयोग के लिए उर्वरक व खान मंत्रालय भारत सरकार का आभार व्यक्त करते है।

आपके निदेशक राजस्थान व हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार,

The company has obtained the declaration from its Board Members and senior management officials that they have received, read and understood the Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management and affirmed that they had complied with and has not violated any of the provisions of the Code during the year ended 31st March 2018.

17. AUDITORS:

U/s 139(5) of the Act, the Comptroller & Auditor General of India (CAG), vide order dated 11.08.2017, appointed M/s Mertia Daga & Associates, Chartered Accountant, Jodhpur as statutory auditors of your Company for the year 2017-18 and they have scrutinized the accounts for the year 2017-18 and submitted the draft audit report which is annexed separately herewith.

There are no adverse remarks in auditors' report, on which comments of Directors are required to be furnished u/s 134(3) and (4) of the Act.

Comments of the Comptroller & Auditor General of India under section 143(6) of the Companies Act, 2013 is given at annexure-3 to the Directors' Report.

18. MAINTENANCE OF COST RECORDS:

According to the provisions of section 148 (1) of the Companies Act, 2013 and Rule-3 of, the Companies (Cost Records and Audit) Rules- 2014, the company kept books of accounts relating to utilization of material, labour and other items of cost as applicable to our mining company.

19. ACKNOWLEDGEMENT:

Your Directors are grateful to the Government of India particularly the Department of Fertilizers, Ministry of Chemical & Fertilizers & Ministry of Mines, for their continued co-operation, support and guidance in effective management of Company's affairs and resources.

Your directors also place on record the appreciation received from State Governments of Rajasthan, State Governments of Himachal Pradesh, Indian Railways, its vendors and various customers, bankers, during the year and look forward to



भारतीय रेलवे और अपने मूल्यवान ग्राहकों, विक्रेताओं एवं बैकर्स का व उनके द्वारा प्राप्त सहयोग के लिए आभार प्रदर्शन करते है।

आपके निदेशक संविधिक लेखा परीक्षकों मैसर्स मेड़तिया डागा एण्ड एसोसियेट्स और भारत के नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक के मूल्यवान सहयोग के लिये भी आभार व्यक्त करते है।

आपके निदेशक फेगमिल परिवार के सभी सदस्यों का आन्तरिक रूप से सराहना करते है जिनके समर्पण, अथक परिश्रम एवं सहयोग से कम्पनी के निष्पादन में श्रेष्ठ प्रदर्शन संभव हो सका।

> निदेशक मण्डल की ओर से है/-(अलका तिवारी)

> > अध्यक्षा एवं प्रबंध निदेशिका दिनांकः 27.06.2018

स्थान : नई दिल्ली

continuance of this mutually supportive relation in future.

The Directors also convey their thanks to the Statutory Auditors M/s Mertia Daga & Associates and the Comptroller & Auditor General of India for their valued co-operation.

Your directors also wish to express their appreciation to all the members of FAGMIL family, whose dedication, hard work and co-operation have made it possible for the Company to show its performance.

For & on behalf of the Board of Directors

(Alka Tiwari)

Chairperson & Managing Director

Date: 27.06.2018

Place: New Delhi



Celebration of Swachhta Pakhwada



अनुबन्ध-I

वर्ष के दौरान कम्पनी की सी एस आर पॉलिसी गतिविधियों से सबंधित प्रतिवेदनः

- 1. कम्पनी की सी एस आर पॉलिसी, वर्ष के दौरान विभिन्न परियोजनाओं पर किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण व उसका वेब लिंक निम्न प्रकार है:—
- पीने योग्य पानी की सुविधा
- शिक्षा
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- सड़क, रास्तो एवं पुलों का निर्माण
- कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना
- बिजली की सुविधा
- सामुदायिक केन्द्रो / रात्रीकालीन आश्रयो / वृद्वाश्रम के निर्माण

2. सीएस आर समिति की संरचना:-

बोर्ड स्तर की समिति	बोर्ड से एक नीचे के स्तर की समिति
श्री निरंजन लाल, निदेशक	श्री एस.एस. शेखावत, महाप्रबन्धक
श्री अनिल कुमार वी. पाटील निदेशक	श्री डी.के. अरोड़ा, उपमहाप्रबन्धक (खनन)
श्रीमती अलका तिवारी,	श्री सेन्थिल कुमार, उपमहाप्रबन्धक (तकनीकी)
सी एम डी	श्री डी. एस. शुक्ला, उपप्रबन्धक (लेखा)
प्रो.सी.वी.आर. मूर्ति, निदेशक	श्री ए.के. जैन, वरि. प्रबन्धक (खनन)

3. पिछले तीन वर्षों का औसत शुद्ध लाभ निम्न प्रकार है:-

वर्ष	कर पूर्व लाभ (₹लाखो में)
2014—15	5481.74
2015—16	5183.17
2016—17	5519.02

4. अधिनियम के अन्तर्गत सी एस आर योजनाओं पर सम्भावित व्यय (उपर्युक्त का 2%) ₹ 107.89 लाख का वर्ष के दौरान प्रावधान बनाया गया है।

वर्ष के दौरान सी एस आर योजनाओं पर व्यय ₹111.07 लाख हुआ।

- अ. कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार वर्ष के दौरान होने वाली सी एस आर योजनाओं पर व्यय ₹107.89 लाख था।
- ब. अक्षय राषि (यदि कोई), शून्य
- स. वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण:-

Annexure-I

Annual report on Corporate Social Responsibilities Activities

- 1. A brief policy outline of the company's Corporate Social Responsibilities including overview of projects or programs being undertaken and proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs.
- Drinking Water facility
- Education
- Health and Family Welfare
- Building of Roads, Pathways and Bridges
- Setting up of skill development centres
- Electricity facility
- Construction of community centres/ Night shelters/ old age homes.

2. The composition of the CSR committee.

Below Board Level Committee
Shri S.S. Shekhawat, GM
Shri D. K. Arora, DGM(M)
Shri R. Senthil Kumar, DGM (T)
Shri D.S.Shukla, DM(Accounts)
Shri A.K.Jain, SM(M)

3. Average net profit of the company for last three financial years.

Year	PBT Amount in Rs./Lakh
2014 &15	5481.74
2015 &16	5183.17
2016 &17	5519.02

- 4. Prescribed CSR Expenditure (two per cent, of the amount as in item 3 above): Provisions has been made of Rs. 107.89 Lakh.
- 5. Details of CSR spent during the financial year: Rs.111.07 Lakh
- (a) Total amount to be spent for the financial year: Rs. 107.89 lakh as per Companies Act, 2013
- (b) Amount unspent, if any: NA
- (C) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below.



स. वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण :

C. Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

S. No. क्र. सं.	CSR Project or activity identified सी.एस.आर. परियोजना	Sector in which the Project is Covered under sch. VII अनुसुची VII के अनुसार परियोजना का क्षेत्र	Projects or Programs (1) Local area or other and district where projects or a program was undertaken परियोजना 1. स्थानीय या अन्य 2. परियोजना क्रियान्वयन का राज्य व जिला	Amount Out Lay (Budget) Project or Programs Wise वार्षिक बजट परियोजना एवं कार्यक्रम वार	Amount spent on the projects or programsSub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2)Overheads: (Rs. In lakh) परियोजना पर कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि (1) परियोजनाओं पर प्रत्यक्ष व्यय (2) अप्रत्यक्षव्यय (₹)	Cumulative expenditure upto the reporting period. समीक्षाधीन अवधि तक संचयी व्यय	Amount spent: Direct or through implementing agency व्यय की राशि—प्रत्यक्ष अथवा क्रियान्वयन एजेन्सी के माध्यम से
1	Making available safe Drinking warter पीने योग्य सुरक्षित पानी उपलब्ध करवाने हेतु	Clause-i खण्ड—(i)	Sriganganagr, Jodhpur, Jaisalmer श्री गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर,	21.78	21.78	21.78	Direct Expenditure प्रत्यक्ष व्यय
2	Contribution to Swachh Bharat Kosh स्वच्छ भारत कोश में योगदान	Clause-i खण्ड—(i)	Government of India भारत सरकार	30.00 30.00		30.00	Direct Expenditure प्रत्यक्ष व्यय
3	Construction of toilets शौचालयों का निर्माण	Clause-i खण्ड—(i)	Sriganganagr, Jaisalmer श्रीगंगानगर, जैसलमेर	6.80	6.80	6.80	Through Government schools सरकारी स्कूलों के माध्यम से
4	Promotion of Education शिक्षा को बढ़ावा	Clause-ii खण्ड—(ii)	Sriganganagr, Jodhpur, Jaisalmer, Barmer Bikaner श्री गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाडमेर	52.24	52.24	52.24	Direct Expenditure प्रत्यक्ष व्यय
5	Contribution to NSDF एन एस डी एफ में योगदान	Clause-iii खण्ड—(iii)	Government of India भारत सरकार	2.00	2.00	2.00	Direct Expenditure प्रत्यक्ष व्यय
6	Rural Development ग्रामीण विकास	Clause-x खण्ड—(x)		-1.75	-1.75	-1.75	Through Gram Panchayat ग्राम पंचायत के माध्यम से

कार्यान्वयन एजेंसी का ब्यौराः

- 6. यदि कम्पनी अपने तीन वित्तीय वर्शो के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत सी.एस.आर. मदों पर व्यय करने में असफल रहती है तो उसे निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में इसे कारण सहित दर्शाना होगा।
- लागू नहीं।
- सीएसआर नीति एवं उद्देश्य के अर्न्तगत सी एस आर गतिविधियों के उचित क्रियान्वयन में समिति के सदस्यो का कथनः

यह उद्घोषित किया जाता है कि सी.एस.आर. गतिविधियों का संचालन व निरीक्षण कम्पनी के सी.एस.आर. उद्देश्यों एवं नीतियों के अन्तर्गत किया जा रहा है।

ह / – (मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा प्रबन्ध निदेशिका ह/— सी एस आर समिति (अध्यक्ष) ह / – (अधिनियम की धारा 380 (1) (D) में वर्णित व्यक्ति

- 6. In case the company has failed to spend the two per cent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board report-Not applicable.
- 7. A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the company.

We hereby declare that implementation and monitoring of CSR activities are in compliance with CSR objectives and policy of the company.

Sd/-(Chief Executive Officer or Managing Director

or Director)

Sd/-(Chairman CSR Committee) Sd/[Person specified under clause (d) of sub-section (1) of section 380 of the Act] (wherever applicable)



अनुबन्ध-11

निगमित शासन का अनुपालन प्रमाण पत्र

सम्मानित सदस्यों

एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड.

मांगू सिंह राजवी मार्ग, पावटा 'बी' रोड़, जोधपुर

हमने एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निगमित शासन मानकों के अनुपालन के प्रयोजन के लिए सभी प्रसांगिक रिकार्डी की जांच की हैं।

निगमित प्रशासन के अनुपालन की स्थिति कम्पनी प्रबन्धन की जिम्मेदारी हैं। हमारी परीक्षा निगमित शासन के अनुपालना के लिए अपनायी गई प्रक्रियाओं तक सीमित हैं। यह न तो एक अंकेक्षण हैं और न ही कम्पनी के वक्तव्यों पर राय की एक अभिव्यक्ति हैं।

हमारी राय व हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते है कि कम्पनी ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देशों की अनुपालना की है।

हम आगे यह भी व्यक्त करते हैं कि उपर्युक्त अनुपालन भविष्य के व्यवर्हता के लिए न तो आश्वासन हैं और न ही भविष्य में इसकी दक्षता को प्रस्तुत करता हैं जिसके आधार पर कम्पनी के प्रबन्धन ने कार्यकलापों को संचालित किया हैं।

> प्रमोद कुमार शर्मा (कम्पनी सचिव) सदस्यता संख्या:5461 सी पी नं. 4911

दिनांक : 27 जून, 2018 स्थान : नई दिल्ली

Annexure-II Corporate Governance Compliance Certificate

The Members

FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited

Mangu Singh Razvi Marg, Paota B Road,

Jodhpur

We have examined all relevant records for the purpose of compliance of Corporate Governance norms of FCI ARAVALI GYPSUM AND MINERALS INDIA LIMITED for the year ended on 31st March 2018.

The compliance condition of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the company.

In my opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated and mentioned in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company

For Pramod Kumar Sharma Practicing Company Secretaries

> (Pramod Kumar Sharma) FCS:-5461 C.P. No.-4911

Date: 27.06.2018 Place: New Delhi





अनुबन्ध-Ш

एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की कम्पनी अधिनियम -2013 की धारा 143(6)(इ) के अन्तर्गत टिप्पणी:

कम्पनी अधिनियम २०१३ के अन्तर्गत प्रचलित वित्तीय प्रतिवेदन कार्य संरचना के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को तैयार करना कम्पनी प्रबन्धन का दायित्व हैं। अधिनियम धारा 139(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त संविधिक लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व, धारा 143(10)में निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों के अनुसार, निष्पक्ष लेखा परीक्षा के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना है। जिसको कि दिनांक 27 जुन, 2018 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत उनके द्वारा बताया गया है कि उन्होने यह कार्य पूर्ण कर लिया हैं।

मैंनें भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड 31 मार्च. 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तैयार लेखों का अनुपुरक लेखा नहीं करने का निर्णय लिया हैं एवं अधिनियम की धारा 143(6)(ब) के अन्तर्गत हमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

> भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एवं की ओर से (नंदना मुंशी) महानिदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा एवं

> पदेन सदस्य लेखा बोर्ड-।। नई दिल्ली

दिनांक: 02 अगस्त, 2018

स्थान : नई दिल्ली

Annexure-III Corporate Governance Compliance Certificate

Comments of Comptroller and Auditor General of India under section 143(6) (b) of the Companies Act 2013 on the Financial Statement of FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited for the financial year ended 31st March 2018.

The preparation of financial statement of FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited for the year ended 31st March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act, based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 27th June 2018.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statement of FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited for the year ended 31st March 2018 under section 143(6)(a) of the Act.

> For and on behalf of the **Comptroller and Auditor General of India** (Nandana Munshi)

Director General of Commercial Audit & Ex-officio Member Audit Board-II, New Delhi

Date: 02.08.2018 Place: New Delhi



अनुबन्ध-IV

Annexure-IV

फार्म नं.-एम.जी.टी-9
31.03.2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के
लिए वार्षिक विवरणी
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3)
के अन्तर्गत कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन)
नियमन 2014 के अनुसार

- 1. पंजीकरण और अन्य विवरण:-
- i. निगम पहचान संख्याः U14105RJ2003GOI018093
- ii. पंजीकरण दिनांकः 14 फरवरी, 2003
- iii. कम्पनी का नामः एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड
- iv. कम्पनी की श्रेणी / उपवर्गः प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी
- प. मुख्य कार्यालय का पता तथा दूरभाश विवरणः— मांगू सिंह राजवी मार्ग, पावटा बी रोड़, जोधपुर
- vi. सूचिबद्ध कम्पनी हॉ / नहीं: नहीं
- vii. रिजस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम / पता / दूरभाष विवरण:— लागू नहीं
- 2. कम्पनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियाँ:- कम्पनी की कुल व्यावसायिक गतिविधियाँ के अन्तर्गत 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करने वाली गतिविधियां:-

क्र.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं		कम्पनी के कुल
सं.	का नाम/विवरण		कारोबार का प्रतिशत
1.	जिप्सन	25201010	100 प्रतिशत

3. कम्पनी की नियंत्रक, सहायक तथा सहयोगी कम्पनी का विवरण:-

क्र. सं.	कम्पनी का नाम व पता	CIN/GLN	नियंत्रक सहायक तथा सहयोगी	अंश प्रतिशत	लागू धाराऐं				
	नहीं								

Form No. MGT-9

Extract of Annual Return
for the year ended on 31.03.2018
Pursuant to section 92(3)
of the Companies Act, 2013 and Rule 12 (1)

of the Companies Act, 2013 and Rule 12 (1 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

- 1. Registration and other details
- i. CIN: U14105RJ2003GOI018093
- ii. Registration date: 14.02.2003
- iii. Name of the Company: FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited
- iv. Category/ Sub category of the company: Private Limited Company
- v. Address of the registered office and contact details: Mangu Singh Razvi Marg, Paota B Road, Jodhpur
- vi. Whether Listed Company Yes/No: No
- vii. Name, address and contact details of Registrar and Transfer Agent: Not applicable
- 2. Principal business activities of the company: All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

S.No.	Name and Description of main products/ services	NIC code of the products/ services	% to total turnover of the company
1.	Gypsum	25201010	100%

3. Particulars of holding, subsidiary and associate companies

S.No.	Name and Description of main products/ services		% to total turnover of the company
		Nil	





4. अंशधारित विवरण (कुल सामान्य अंशो के आधार पर सामान्य अंश पूंजी का अलग-अलग विवरण)

i. श्रेणी वार हिस्सेदारी

4. Shareholding Pattern (Equity share capital break-up as percentage of total equity)
i. Category-wise shareholding:

क्रं. सं. S. No.	शेयरघारको की वर्ष के प्रारम्भ में घारित अंशों की संख्या श्रेणी No. of Shares held at the begining Category of of the year			ld at the be		वर्ष के अन्त में धारित अंशों की संख्या No. of Shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान परिवर्ततन (प्रतिशत)
	Siturcifolders	डी. मैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल अंशो का प्रतिशत % of Total Shares	डी. मैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल अंशो का प्रतिशत % of Total Shares	% change during the Year
अ. A	संस्थापक Promotors									
1	भारतीय Indian									
क a	व्यक्ति / एच यू एफ Individuals/HUF									
ख b	केन्द्रीय सरकार Central Government		7329800	7329800	100		30000000	30000000	100	309.29
ग c	राज्य सरकार State Goverment									
घ d	निगमित निकाय Bodies Corporate									
ड़ e	बैंक / एफ आई वित्तीय संख्या Banks/FI									
ਬ f	उप—कुल (क) (1) Any other		7329800	7329800	100		30000000	30000000	100	309.29
2.	विदेशी Foreign									
क a	एन.आर.आई.व्यक्ति NRIs-Individuals									
ख b	अन्य व्यक्ति Other Individuals									
ग c	निगमित निकाय Body Corporate(s)									
घ d	बैंक / एफ आई वित्तीय संख्या Banks/FI									
ड़ e	अन्य Any other									
Sub	o. Total	7329800	7329800	100		-	3000000	30000000	100	309.29



क्रं. सं. S.	शेयरधारको की श्रेणी Category of	वर्ष के प्रारम्भ में धारित अंशों की संख्या No. of Shares held at the begining of the year				वर्ष के अन्त में धारित अंशों की संख्या No. of Shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान परिवर्ततन (प्रतिशत)
No.	Shareholders	डी. मैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल अंशो का प्रतिशत % of Total Shares	डी. मैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल अंशो का प्रतिशत % of Total Shares	% change during the Year
अ. A	संस्थापंको की कुल अंशधारिता क(1)+(2) Total shareholding of promoters A=A(1)+A(2)		7329800	7329800	100		7329800	7329800	100	
ब b	सार्वजनिक हिस्सेदारी Public Shareholding									
1	संस्थान Institution(s)									
क a	म्यूच्यूअल फंड Mutual Funds									
ख b	बैंक / वित्तीय संस्था Banks/ FI									
ग c	केन्द्रीय सरकार Central Government									
घ d	राज्य सरकार State Government(s)									
ड़ e	उद्यम पूंजी निधी Venture Capital Funds									
ਬ f	बीमा कंपनी Insurance Companies									
छ g	वित्तीय संस्था FIIs									
জ h	विदेशी उद्यम पूंजी कोश Foreign Venture Capital Funds									
झ 	अन्य उप कुल ब(1) Other (specify) Subtotal B(1)									
2	गैर संस्थान Non Institutional									
क a	निगमित निकाय भारतीय विदेशी Body Corporate(s)-Indian Overseas									
ख c	व्यक्ति Individuals									



					I			
	1 लाख रू. तक अंशधारको द्वारा धारित नामित पूंजी -Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs. 1 Lakh	 			 			
	1 लाख रू. से अधिक अंशधारको द्वारा धारित नामित पूंजी -Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 Lakh	 			 			
	अन्य Other (Specify)	 			 			
	उप कुल ब (2) Subtotal B(2)	 			 			
ब b	अन्य उप कुल ब (2) कुल सार्वजनिक अंशधारिता ब=ब(1)+ब (2) Other (Specify)Subtotal B(2)Total Public shareholding B=B(1)+B(2)	 			 			
स c	जीडीआर और ए डी आर के द्वारा धारित अंश Shares held by custodian for GDRs and ADRs	 			 			
	कुल योग (अ+ब+स) Grand Total(A+B+C)	 7329800	7329800	100	 30000000	30000000	100	309.29

ii संस्थापको की हिस्सेदारी

क्र. सं.	अंशधारको का नाम	वर्ष की शुरूआत में हिस्सेदारी		वर्ष के अंत में हिस्सेदारी			वर्श में परिर्वतन का %	
		अशों की संख्या	कम्पनी का कुल अंश %	भार ग्रस्त गिरवी अंशो का %	अशों की संख्या	कम्पनी का कुल अंश %	भार ग्रस्त गिरवी अंशो का %	वर्श में हिस्सेदारी में परिवर्तन
1	भारत के राष्ट्रपति	7329800	100	0	30000000	100	0	309.29

iii संस्थापको की अंशधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन हो तो कृपया विवरण दिया जाए)

क्र. स.	अश धारक का नाम	वर्ष की शुरूआत में अंशधारिता		वर्ष में संच	यी अंशधारिता
		अंशो की संख्या	कम्पनी का कुल अंश %	अंशो की संख्या	कम्पनी का कुल अंश %
1	वर्ष की आरम्भ में	7329800	100	30000000	100
	संस्थापको की अंशधारिता में आवंटन/ स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इंक्विटी आदि के कारण हुई वृद्धि/कमी का तिथिवार विवरण				
	वर्ष के अंत में	7329800	100	30000000	100

ii Shareholding of promoters

S. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year		Shareholding at the end of the year			% change during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged /encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged /encumbered to total shares	In shareholding during the year
	President of India	7329800	100	0	30000000	100	0	309.29

iii Change in Promoters' Shareholding (Please specify, if there is no change)

		- I				
S.		Shareholding at the			Cumulative Shareholding	
No.		beginnin	g of the year	during	the year	
		No. of	% of total	No. of	% of total	
		shares	shares of t he	shares	shares of	
			company		the company	
1	At the beginning of the year	7329800	100	30000000	100	
	Date wise increase/					
	Decrease in promoters					
	shareholding during the					
	year specifying the reasons					
	for increase/ decrease (e.g.					
	allotment/ transfer					
	'					
	/ bonus/ sweat equity etc)					
	At the end of the year	7329800	100	30000000	100	



iv शीर्ष दस अंशधारको की अंशधारिता का विवरण (निदेशको, संस्थापको और जीडीआर एवं ए.डी.आर. धारको के अलावा)

क्र. सं.	शीर्श दस अंशधारको में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में अंशधारिता		वर्ष में संचयी अंशधारिता	
		अंशो की संख्या	कम्पनी का कुल अंश %	अंशो की संख्या	कम्पनी का कुल अंश %
1	वर्ष के प्रारंभ में				
	वर्ष के दौरान धारको की अंशधारिता में आवंटन/ स्थानांतरण/बोनस/स्वेटइंक्विटी आदि के कारण हुई वृद्धि/ कमी का तिथिवार विवरण		1	 -	
	वर्ष के अंत में				

v निदेशको और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की हिस्सेदारी

क्र. सं.	प्रत्येक निर्देशक तथा प्रबन्धकीय कर्मियों का	वर्ष के प्रारंभ में अंशधारिता		वर्ष में संचयी अंशधारिता	
		अंशो की संख्या	कम्पनी का कुल अंश %	अंशो की संख्या	कम्पनी का कुल अंश %
1	वर्ष के प्रारंभ में				
	वर्ष के दौरान धारको की अंशधारिता में आवंटन/ स्थानांतरण/बोनस/स्वेटइंक्विटी आदि के कारण हुई वृद्धि/ कमी का तिथिवार विवरण		-		
	वर्ष के अंत में				

5. ऋण

कम्पनी पर बकाया/उपार्जित ब्याज सहित ऋण

	सुरक्षित ऋण जमा को छोडकर	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋण i. मुख्य राशि ii. ब्याज बकाया लेकिन भुगतान नहीं किया				
iii.ब्याज देय लेकिन बकाया नहीं				
कुल (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष में ऋण में परिवर्तन • वृद्धि • कमी				
शुद्ध परिर्वतन				
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण i. मुख्य राशि ii. ब्याज बकाया लेकिन भुगतान				
नहीं किया iii. ब्याज देय लेकिन बकाया नहीं				

iv Shareholding Pattern of top ten shareholders (Other than Directors, Promoters and holders of GDRs and ADRs)

S. No.	For each of the top 10 shareholders	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding the year
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year				
	Date wise increase/ Decrease in shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer / bonus/ sweat equity etc)				
	At the end of the year				

v Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel

S. No.	For each of the Director and Key Managerial Personnel		ling at the of the year	Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year				
	Date wise increase/ Decrease in shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer / bonus/ sweat equity etc)				
	At the end of the year				

5. Indebtness Indebtness of the company including interest outstanding/ accrued but not due for payment.

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtness
Indebtness at the beginning of the financial year i.Principal Amount ii.Interest due but not paid iii.Interest accrued but not due	NIL	NIL	NIL	NIL
Total(i+ii+iii)				
Change in Indebtness during the financial year • Addition • Reduction	NIL	NIL	NIL	NIL
Net Change				
Indebtness at the end of the financial year i.Principal Amount ii.Interest due but not paid iii.Interest accrued but not due	NIL	NIL	NIL	NIL





6. निदेशको एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियो का पारिश्रमिक i. प्रबंधकीय निदेशक⁄पूर्णकालिक निदेशक व प्रबंधको का पारिश्रमिक

क्र.स.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंधकीय निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक व अन्य प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1	कुल वेतन अ. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के		
	अन्तर्गत वेतन ब. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के		
	अन्तर्गत अनुलाभ स. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3)		
	के अन्तर्गत वेतन के एवज में लाभ		
2	स्टॉक ऑप्शन		
3	स्वेट इक्विटी		
4	कमीशन — लाभ पर : — अन्य		
5.	अन्य यदि हो तो		
	कुल (A)		
	अधिनियम के अन्तर्गत उच्चतम सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं

ii. अन्य निर्देशको का पारिश्रमिक

큙.	पारिश्रमिक का	निदेशक	जे का नाम	कुल राशि	
स.	विवरण	श्री सुनील सिंधी	श्री सी.वी.आर मूर्ति	વ્યુલ શાશ	
	स्वतंत्र निर्देशक • बोर्ड समिति में भाग लेने के लिए शुल्क	100000	150000	250000	
	• कमीशन (_	_	_	
	• अन्य (का विवरण)	_	_	_	
	कुल (1)	100000	150000	250000	
	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक	-	-	-	
	• बोर्ड समिति में भाग लेने के लिए शुल्क	-	_	-	
	• कमीशन • अन्य (का विवरण)	_	_	_	
	कुल (2)	_	_	_	
	कुल (1+2)	100000	150000	250000	
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक अधिनियम के तहत	-	_	_	
	उच्चतम सीमा	_	_	_	

6. Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel

i Remuneration to Managing Director, Whole Time Directors and/ or Manager:

S. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/ WTD/Manager	Total Amount
	Gross Salary a. Salary as per provisions contained in section 17(1) of the	Nil	Nil
	Income Tax Act, 1961 b. Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	Nil	Nil
	c. Profit in Lieu of salary u/s 17(3) of the Income Tax Act, 1961	Nil	Nil
	Stock Option	Nil	Nil
	Sweat Equity	Nil	Nil
	Commission - As % of profit - Other (specify)	Nil	Nil
	Other, Please specify (Own arrangement)	Nil	Nil
	Total A	Nil	Nil
	Ceiling as per Act	NA	NA

ii Remuneration to other Directors

S.	Particulars of	Name of	Directors	Total
No.	remuneration	Sunil Singhi	CVR Murty	Amount
	Independent Directors			
	Fee for attending Board	100000	150000	250000
	/ Committee			
	Commission	_	_	_
	Others, please specify	1	-	_
	Total (1)	100000	150000	250000
	Other Non-Executive	_	_	_
	Directors			
	Fee for attending Board		-	
	/Committee			
	• Commission	_	-	-
	Others, please specify			
	Total (2)	-	-	_
	Total (1+2)	100000	150000	250000
	Total Managerial Remuneration	_	_	_
	Ceiling as per Act	_	-	_



iii प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियो का परिश्रमिक प्रबंधकीय निर्देशको / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशको को छोड़कर

क्र. स.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
1.	कुल वेतन अ. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के अन्तर्गत वेतन		1105559	2780359	3885918
	ब. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत अनुलाभ				
	स. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के एवज में लाभ				
2.	स्टॉक का विकल्प				
3.	स्वेट इक्विटी				
4.	कमीशन —लाभ पर : —अन्य (विशेश)				
5.	अन्य यदि हो तो (विवरण)				
	कुल		1105559	2780359	3885918

7. कम्पनी पर लगाया गया दण्ड इत्यादि

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	सक्षिप्त विवरण	दण्ड / सजा / के अन्तर्गत शुल्क	प्राधिकरण (आर डी / एन सी, एल टी / कोर्ट)	अपील यदि की हो (विवरण)		
अ. कम्पनी							
दंड	ı	I	_	_	ı		
सजा	-	ı	_	_	_		
समझौता	ı	ı	_	_	_		
ब. निदेशक							
दंड	ı	1	_	_	-		
सजा	-	-	_	_	_		
समझौता	ı	ı	-	_	-		
अन्य दोषीः	अन्य दोषी अधिकारी						
दंड	_		_	_	_		
सजा			_	_	_		
समझौता	_	_	_	_	_		

iii Remuneration to KMP other than MD/Manager/WTD

		ı	Key Manag	gerial Perso	onnel
S. No.	Particulars of Remuneration	CEO	Company Secretary	CFO	Total
1.	Gross Salary				
	Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	Nil	1105559	2780359	3885918
	b. Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	Nil	Nil	Nil	Nil
	c. Profit in Lieu of salary u/s 17(3) of the Income Tax Act, 1961	Nil	Nil	Nil	Nil
2.	Stock Option	Nil	Nil	Nil	Nil
3.	Sweat Equity	Nil	Nil	Nil	Nil
4.	Commission - As % of profit - Other (specify)	Nil	Nil	Nil	Nil
5.	Other, Please specify (Own arrangement)	Nil	0	0	0
	Total A	Nil	1105559	2780359	3885918

7. Penalties/ Punishment/ Compounding of Offences

Туре	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD/NCT/ COURT]	Appeal made if any (give details)			
A. Compar	ny							
Penalty	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil			
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil			
Compounding	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil			
B. Director	s							
Penalty	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil			
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil			
Compounding	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil			
Other Offic	Other Officer in default							
Penalty	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil			
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil			
Compounding	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil			



प्रबन्ध चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

प्रस्तावना

फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के विघटन के फलस्वरूप वर्ष 2003 में एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड की स्थापना की गई। इससे पहले कम्पनी एफ.सी.आई की एक यूनिट जोधपुर खनन संस्थान (जे.एम.ओ.) के रूप में कार्यरत थी जिसका प्रमुख कार्य जिप्सम का खनन करके उसे दोबारा उपयोग के लिए सिन्दरी यूनिट भेजना था। एफ.सी.आई से विघटन के पश्चात् कम्पनी (फेगमिल) ने कृषि योग्य एवं सीमेंट ग्रेड जिप्सम के खनन व विपणन का कार्य जारी रखा।

खनिज जिप्सम का प्रयोग मुख्यतः पौधो मे सल्फर तत्व के पोषण हेतु, मृदा के पुर्नरूद्वार हेतु व सीमेंट उद्योगो में सीमेंट के निर्माण कार्य में किया जाता हैं। बीते कई वर्षो में कम्पनी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में लाखों एकड़ भूमि का पुर्नरूद्धार किया हैं।

औद्योगिक संरचना एवं विकास

आलोच्य वर्ष के दौरान कम्पनी ने ग्राहक केन्द्रीयता, उनकी संख्या विस्तार की कोशिश, विभिन्न लाभ दायक आदेशों को बढ़ाने एवं शीघ्र वितरण के द्वारा आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना किया हैं। लेकिन सरकारी नीतियों एवं आयातित जिप्सम तथा निजी पाटियों द्वारा आपूर्ति करने से सीमेंट उद्योग कम सामग्री उठा रहे है। अल्पकालिक चुनौतियों का सामना करते हुए कम्पनी लम्बी अविध के अवसरों के बारे में भी आशावादी हैं। हालांकि इसके बावजूद उसे अभी कई चुनौतिया का सामना करना हैं।

भारत में लगभग 40 लाख मैं. टन जिप्सम की आवश्यकता होती हैं जिसकों की आपकी कम्पनी और आर.एस.एम.एम.एम.एल. एवं अन्य निजी पार्टियों द्वारा मिलकर पूरा करती हैं। वर्ष 2017—18 के दौरान आर. एस.एम.एम.एल. ने 7.30 लाख मैं. टन का उत्पादन व 7.66 लाख मैं 0टन जिप्सम का विक्रय किया। जब कि हमारी कम्पनी ने 3.27 लाख मैं 0टन का उत्पादन व 4.29 लाख मैं. टन जिप्सम का विक्रय किया। जोिक यह दर्शाता है कि हमारी कम्पनी का उत्पादन व विक्रय का मार्केट शेयर क्रमशः 26.43 प्रतिशत व 29.88 प्रतिशत है।

Management Discussion And Analysis Report

Introduction

The company FCI Aravali Gypsum & Minerals India limited (FAGMIL) was established in 2003 as a result of demerger from Fertilizer Corporation of India Limited (FCIL). Earlier the company was a unit of FCIL known as Jodhpur Mining Organization (JMO) which was engaged in mining of mineral gypsum for captive use in Sindri Unit. After demerger FAGMIL continued its operation of mining and marketing of mineral gypsum as cement grade and agriculture grade.

Mineral Gypsum is used mainly as a sulphur nutrient to the soil and for reclamation of sodic soil to make it fertile and also as an input raw-material in cement manufacturing. Over the years it reclaimed lacs of acres land in UP, Punjab, Haryana and Rajasthan.

Industry Structure & Development

During the year under review the company has responded to challenges by enhancing the customer focus and tried its best to expand its business by procuring profitable orders through efficient sales and prompt delivery. But because of Government Policies, imported gypsum and supplies from Private Players, Cement Industries are lifting less material. Nevertheless, the company is optimistic about the long term opportunities while at the same time meeting the short term challenges. However there are many challenges that still need to be met.

There is a requirement of about 40 LMT per year mineral gypsum in India which is fulfilled by your company, RSMML and other private parties. During the year 2017-18, RSMML produced and sold 7.30 LMT and 7.66 LMT respectively whereas our company have been able to produce and sale 3.27 LMT and 4.29 LMT respectively. This shows that both Government companies are having 26.43% and 29.88% of market share in terms of production and sales respectively.



शक्ति, अशक्ति, अवसर व अनिष्ट

शिक्त: यह एक छोटी कम्पनी है। उच्च निवल मूल्य शून्य ऋण, अच्छी कार्य संस्कृति, उत्पाद की उच्च गुणवत्ता एवं जिप्सम के खनन के कार्य में दक्षता इत्यादि इसकी प्रमुख शक्तियां है।

अशक्ति : दूरस्त स्थानों पर उपस्थित खाने, गुणवत्ता की विसंगतिया, जिप्सम के कोष में कमी और सरकारी नीतियां उचित प्रतिभा को आकर्षित न करने की क्षमता कम्पनी की प्रमुख अशक्तियां हैं। नये खनन पट्टें प्राप्त करने के लिए बाधाएं व वन पर्यावरण मंजूरी में देरी इत्यादि कम्पनी के उत्पादन एवं समय सूची को प्रभावित करतें हैं।

अवसर:

कृषि एवं सीमेंट क्षेत्रों में मांग के कारण पिछले कुछ वर्षों में जिप्सम एवं इसमें पाउडर उद्योग का उचित दर से विकास हुआ हैं, परन्तु घटते हुए जिप्सम कोष एवं गुणवत्ता के कारण कम्पनी में इसका उत्पादन कम हुआ है, जिसके कारण आयांतको एवं निजी खान मालिको को प्रतियोगिता में बढ़त प्राप्त हुई है। हांलािक बड़े क्षेत्रों के आरक्षण द्वारा कुछ सीमा तक जोिखमों को कम किया जा सकता है।

कम्पनी ने अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु फास्फोरिक उर्वरक जोकि एस एस पी है के उत्पादन का निर्णय लिया हैं, जिसके लिये वह लगातार अग्रसर हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त कम्पनी अन्य खनिजो जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, राक फास्फेट के खनन के द्वारा अपनी गतिविधियों में विविधता लाने को इच्छुक है। राजस्थान सरकार रॉक फास्फेट एवं डोलोमाइट के कुछ ब्लॉक को आरक्षण हेतु सहमत हो गई है। इससे कम्पनी के लिए नए रास्ते खुले है।

अनिष्ट: उपरोक्त अशक्तियों के अतिरिक्त सरकार की खनन नीतियां, आयतित जिप्सम, विविधिकरण योजनाओं में देरी एवं पी. ओ.पी कारखाने से प्रतियोगिता, कम्पनी की प्रमुख अनिष्टयां हैं।

एक खनन कम्पनी के रूप में यह स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण मुद्दों के अधीन हैं, इसके बावजूद कम्पनी अपने सभी कानूनी दायित्वों और आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करती हैं।

Strength, Weakness, Opportunities and threats

Strength: A small company with good financial strength i.e. high net worth, zero debt, good work culture, brand image of quality product and core competence in gypsum mining are the strengths of the company.

Weakness: Remote location and depletion of the mines, inconsistence quality of the product and Government Policies are acting as deterrent in attracting and retaining the talent. Constraints in applying for new gypsum mining leases and delay in forest and environmental clearance affect the time schedule.

Opportunities:

The gypsum industry has potential for reasonable growth in the recent years because of great demand in agriculture and cement sector but the depletion of gypsum in mines and deterioration in quality has resulted lesser production, giving a competitive edge to importers and private mine owners. However, reservation of large mining areas can mitigate this risk to some extent.

The company is continuously working towards its long term standing vision of developing the production capacity by manufacturing of phosphoric fertilizers i.e. SSP. Apart from that the Company also intends to diversify its mining activities into the field of other minerals like Lime Stone, Dolomite, Rock Phosphate etc. Government of Rajasthan has agreed to reserve the few blocks of Rock Phosphate and Dolomite. This has opened the new avenue for the company.

Threats: Apart from the above weakness the Government's mining policies, Imported Gypsum, risk in diversification Plan and competition from small POP factories are the major threats to the company.

As a mining company it is subject to the extensive regulations surrounding health, safety and environmental issues. However the company tries best to fulfil all the requirements of the statutory obligations.



भविष्य के लिए दृष्टिकोण:

मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए पिछले तीन वर्षो के दौरान कम्पनी ने अपनी क्षमता में 10.75 लाख मै0टन से 12.25 लाख मै. टन की बढ़ोतरी की है। विविधिकरण और कारोबार की दिशा परिवर्तन के प्रयास में कम्पनी ने चित्तौडगढ़, राजस्थान में एस.एस. पी. प्लाण्ट बनाने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने फेल्ड्सपार से पोटाश का निष्कर्षण करने की संभावना व्यक्त की है। इस परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता से संबन्धित अनुसंधान कार्य विचाराधीन है। अगर यह परियोजना आर्थिक रूप से सफल होती है तो यह कम्पनी की विविधीकरण की गतिविधियों में एक सफल कदम होगा।

शंका और व्यापारिक अभिरूचि:

सीमेंट उद्योगों के हालात में परिवर्तन, विनियामक विकास, सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा में परिवर्तन, कम्पनी की भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकता हैं। खनन गतिविधियों का कारोबार बहुत अधिक कल्पना शील हैं। वहां पाये जाने वाले किसी भी खानों में मात्रा एंव गुणवत्ता का सही आश्वासन नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद कम्पनी अपने विकास और बाजार में बने रहने के लिए जोखिम प्रबन्धन की नीतियों में विश्वास रखती हैं। इस तरह कम्पनी ने जोखिम के शमन के लिये एक जोखिम प्रबन्धन योजना तैयार की हैं जिसमें की नियन्त्रणीय जोखिम को हटाया जाता हैं और अनियन्त्रणीय जोखिम के प्रभाव को कम किया जाता हैं।

केन्द्र सरकार ने अपने अधिसूचना दिनांक:

10.02.2015 के द्वारा जिप्सम को निम्न श्रेणी के खनिजो की श्रेणी में स्थानान्तरित कर दिया है, इस प्रकार यह राज्य सरकार के नियंत्रण में आ गया। राजस्थान सरकार ने जिप्सम के खनन का कार्य सभी लोगो के लिए खोल कर दिया है जो पहले केवल केन्द्र / राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए आरक्षित था। इससे कम्पनी को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्तएम.एम. आर.डी (संशोधित) अधिनियम 2015 के लागू होने के कारण कम्पनी की 25 जिप्सम व 9 अन्य खनिजों की खाने रह हो गयी, इससे विविधीकरण व क्षमता वर्धन की दिशा में कम्पनी को धक्का लगा है।

Outlook for the future:

Keeping in view of demand and supply, the company has increased its capacity from 10.75 LMT to 12.25 LMT during last three years. As a part of business transformation exercise, it has also chalked out the plan for increasing the sales turnover by establishing the SSP unit at Chittorgarh, Rajasthan. Apart from above, the company is also exploring the potential future in extraction of potash from feldspar. The preliminary research on economic viability for extraction of potash from feldspar is under process. This would bring great success in the path of company's diversification process.

Risk and concerns:

Future results including work program plan and schedule will be affected by change in market conditions especially from cement industries, regulatory developments and quality & quantity of material. The business of mining activity is highly speculative. There cannot be any perfect assurance towards quality and quantity (reserve) found in any mines. However your company continues to believe that managing risk is critical for its growth and sustenance. As such your company prepared a risk management plan for mitigation of controllable risk and lowering the impact of uncontrollable risk and monitoring the performance of the company keeping the view of both.

By its notification dated:

10.02.2015, Central Government categorized the gypsum under minor mineral as against major mineral and thus it has come under the legislative control of State Government. Government of Rajasthan has opened up the Gypsum for all miners as against State PSUs only, which has brought the company at competitive edge. Further 25 gypsum and 9 other mining leases become ineligible due to MMRD Amendment Act 2015 dated 12.01.2015 which hampered the efforts of the company to increase its capacity level.





राज्य सरकार ने दिनांक 28.10.2016 को अधिसूचना के द्वारा भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए ग्रामीणों को जिप्सम के खनन का अधिकार दे दिया है। इससे अन्य व्यक्ति भी जिप्सम के खनन में भाग ले सकते है जिसके कारण कम्पनी के ग्राहक कम होते जा रहे है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न सीमेंट निर्माताओं के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले जिप्सम का आयात किया जा रहा है जिसकी वजह से भी कम्पनी की बाजार की स्थिति कमजोर हो रही है।

इसके अतिरिक्त नियमों के अन्तर्गत यह भी आवश्यक है कि अगर कम्पनी निजी जमीन से जिप्सम खनन करने की इच्छा रखती है, तो वह या तो भूमि अधिग्रहण करें या नियमों के आरंभ के तीन माह की अवधि के भीतर जमीन के मालिकों की पूर्व पंजीकृत सहमति ले, अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा और भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि भी जब्त कर ली जाएगी।

कम्पनी ने उर्वरक विभाग के माध्यम से खान मंत्रालय भारत सरकार में एस एम एस ग्रेड चूना पत्थर, डोलोमाइट, रॉक फास्फेट के ब्लॉक को आरक्षित करने का अनुरोध किया था। कम्पनी के पक्ष में राजस्थान राज्य सरकार रॉक फास्फेट एवं डोलोमाइट के आरक्षण हेतु सहमत है। अब सरकारी अधिसूचना हेतु फाइल खनन मंत्रालय, भारत सरकार के पास लम्बित है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता :

कम्पनी में इसके प्रकृति और आकार के अनुसार सुव्यस्थित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हैं। प्रबंधन वातावरण को स्थापित करने एवं नियंत्रित बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। आन्तरिक लेखा परीक्षक भी बेहतर मूल्यांकन प्रदर्शन और सिफारिशों के माध्यम से आंतरिक नियत्रंण प्रणाली में एक भूमिका निभाते है। आपकी कम्पनी की आतंरिक लेखा प्रक्रिया का कार्य अनुभवी व्यक्तियों को सौपा गया है। आन्तरिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट पर सर्वप्रथम अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय से विचार विमर्श किया जाता हैं। तदुपरांत अंकेक्षण समिति के समक्ष समीक्षा, विश्लेषण, सलाह और आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए प्रस्तुत किया जाता हैं। जिसमें कि सामग्री नियन्त्रण, वित्त नियन्त्रण, अनुपालन, जोखिम प्रबन्धन प्रणाली आदि शामिल होती हैं।

आन्तरिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट पर अंकेक्षक की टिप्पणियां नियमित रूप से समिति को प्रस्तुत की जाती हैं। State Government notified on 28.10.2016 to grant mining leases of gypsum to villagers/farmers to develop the land for agriculture use after excavation of gypsum. This enables the others to participate in the business and deplete the customer base of the company.

Further good quality of gypsum is being imported by cement industries, which is deteriorating the market position of the company.

The Rules also requires that if company intends to mine gypsum from private land then it has to either acquire the land or take the prior registered consent of land owner within a period of three months from the date of commencement of Rules, failing which the application shall be rejected and all sum paid will be forfeited.

The company requested through Department of Fertilizers to Ministry of Mines for reserving the block of SMS grade Lime Stone, Dolomite, Rock Phosphate. State Government of Rajasthan has given its consent for reservation of Rock Phosphate and Dolomite. Now the file is pending with Ministry of Mines, Government of India for Gazette Notification.

Internal control systems and their adequacy:

Your company has well established internal control system with nature and size of its operation. Management is responsible for establishing and maintaining the controlled environment. Internal Auditor also plays a role in a system of internal controls by performing evaluations and making recommendations for improved controls. Internal audit function of your company has been entrusted to well experience person. The internal audit reports submitted by the auditor are discussed with Chairperson & Managing Director at first instance and then submitted to the Audit committee for its review, analysis and advice to further strengthen the internal control system covering all material controls, financial controls, compliance and risk management system. Action taken reports on observations of auditor on internal audit report are regularly submitted to Audit Committee.





वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन पर विश्लेषण :

वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन पर विश्लेषण निदेशकों के प्रतिवेदन में दिये गये हैं।

मानव संसाधन, औद्योगिक प्रबन्धन और प्रतिभा प्रबन्धन:

मानव संसाधन, औद्योगिक प्रबन्धन और प्रतिभा प्रबन्धन के विवरण निदेशकों के प्रतिवेदन में दिये गये हैं।

पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, ऊर्जा नवीनीकरण एवं उपयोग और अनुसंधान एवं विकास:

कम्पनी पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हैं और यह कम्पनी की समस्त गतिविधियों, उत्पाद एवं सेवाओं सें परिलक्षित होता हैं जिसमें सभी हितधारकों को स्वस्थ्य और सुरक्षित काम का पर्यावरण उपलब्ध कराया जाता हैं। सभी खानों में सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाता हैं और इन पर इस सम्बन्ध में करीब से निगरानी भी की जाती हैं।

इस सम्बन्ध मे पर्यावरण संरक्षण व धारणीय विकास की योजनाओं को प्रतिपादित करने के लिए कम्पनी प्रतिवद्ध है। पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास एवं ऊर्जा नवीनीकरण एवं उपयोग हरित पट्टी को विकासित करने के लिए कम्पनी नियमित रूप से खानो के आस—पास की जगह पर पौधो को पानी देती है। कम्पनी ने ध्विन, जल और वायु प्रदुषण के स्तर को नापने के लिए एक पर्यावरण निगरानी प्रणाली स्थापित किया है। जिसमें समय समय पर पर्यावरण की स्थिति को मापा जाता हैं और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निरन्तर प्रयास किये जाते हैं। कम्पनी जल छिड़काव यंत्र के द्वारा धूल छांटती है। इसके अतिरिक्त समय समय पर खनन स्थानों पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य को भी जाँचा जाता है। खनन की गई भूमि पर पौधारोपण किया जाता है।

कर्मचारियों एवम् अनियमित मजदूरों को सुरक्षा—संबन्धी उपकरण जैसे सिस्त्राण, सुरक्षा जूते, धूप के चश्मा इत्यादि उपलब्ध कराये जातें हैं। विधुत / तेल जोखिमी आपातकालीन स्थिति में आग बुझाने का यन्त्र तथा सायरन इत्यादि खानों में उपलब्ध कराये गये हैं। मोहनगढ़ खान आपातकालीन स्थिति के लिए एम्बुलेंस से सृजित हैं।

Analysis of finances and operations:

Details on financial and physical performance are given in Directors report.

Human resources, industrial relation and talent management issues:

Details on Human resources, industrial relation and talent management issues are given in Directors report.

Environmental conservation, Sustainable Development, renewal use of energy and R& D issue

The company is committed towards protection of environment and it is reflected in all its activities, product and services, providing safe and healthy working environment to all stakeholders. Strict compliance with safety rules and procedures is ensured in all the mines and a close monitoring is made in this regard. In conformity with this concern for environment, the company is also committed to sustainable development with environment friendly projects. The Company is regularly giving water to sapling planted nearby mines to develop the green belt. The Company has installed an environment monitoring system to measure the level of noise, water & air pollution. At different interval of time, the environment status is measured and constant efforts are made to control the pollution. The Company commissioned the water sprinkling system to control & suppress the dust. Apart from the above, periodically medical check-ups are conducted for employees engaged at mines sites. Mined out land are rehabilitated for cultivation by plantation of saplings.

The employees and casual labours both have been provided with safety equipment like helmet, safety shoes, goggles, dust-mask etc. The electric/ oil hazardous mining area have been provided with fire extinguishers systems, siren system in case of emergency. Mohangarh Mines has been equipped with ambulance for the employees in case of emergency.



अनुसंधान और विकास:

कम्पनी में अनुसंधान और विकास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन समय—समय पर यह विभिन्न मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थाओं को विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कार्य सै।पती हैं। निम्न परियोजनाए प्रगति पर है।

1. फेल्डसपार से पोटाश के निष्कर्षण की व्यवासायिक व्यवहार्यता अध्ययन द्वितीय वर्ष की रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है। व्यवसायिक रूप से पोटाश के साथ अन्य प्रतिफलों के उत्पादन को विकसित करने के लिए तीसरे चरण की अध्ययन रिपोर्ट क्रियाधीन है।

2. 83 वीं निदेशक मण्डल की सभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। एन.एफ.एल के अधिकारियों की मौजूदगी में इस प्रस्ताव पर एक प्रस्तुति करण भी दिया गया। बोर्ड ने यह सुनिश्चित किया कि यह अपनी तरह का एक अलग परियोजना है, जिसमें धरेलू स्तर पर पोटाश के उत्पादन की संभावना है। चूंकि एन.एफ.एल में इस विशय की विशेषज्ञता नहीं है एवं वे इसका पर्यवेक्षण नहीं कर सकते अतः इस परियोजना पर आगे बढ़ने के लिए हम पी.डी. आई. एल से चर्चा कर रहे है।

देश में पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोटाश एवं फास्फोरिक उर्वरकों की कमी हैं। अतः उपरोक्त अनुसंधान कार्यो से एक और जहां विदेशी मुद्रा की बचत होगी वहीं दूसरी ओर इससे उत्पन्न लाभ को बांट कर खेती की लागत को कम किया जा सकता है।

समाज के प्रति निगम का दायित्व:

समाज का एक अंग होने के कारण कम्पनी खान समूहों के आस पास स्थित गांवों में स्वयं सहायता समूह द्वारा शिक्षा, प्रशिक्षण, रहने की स्थिति में सुधार आदि कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का प्रयत्न करती हैं, जिससे ग्रामीण विकास हो सके। इसके लिए कम्पनी ने एक सी. एस. आर योजना विकसित की है जिसमें प्रतिवर्ष कर पूर्व लाभ का 2 प्रतिशत हस्तान्तरित किया जाता है। इस वर्ष लक्ष्य ₹ 107.89 लाख के विरुद्ध ₹ 111.07 लाख (पिछले वर्ष ₹ 101.12 लाख) विभिन्न सी. एस.आर. क्रियाओं जैसे शिक्षा, पीने योग्य पानी की सुविधाओं, स्वच्छ भारत कोष में योग दान, राष्ट्रीय खेल विकास निधि में योग दान तथा ग्रामीण विकास पर व्यय किये गये।

R&D issues

The company does not have in house research and development facility but time to time it undertakes the job of research activity through various recognized universities/ institutes. The following projects proposal is under progress:-

The Economic viability study on extraction of potash from feldspar and phase final report received. 2nd phase study report received. The 3rd phase study to develop a complete flowsheet with mass balance for recovery of potash along with other proposed byproduct is in pipeline.

This proposal was discussed in 83rd Board Meeting. A presentation was made in presence of NFL official. After weighing the merit of the proposal, the Board decided that, this is one of its kind and it has the potential to make indigenous production of potash. Since M/s NFL does not have expertise to supervise the project, we are discussing with PDIL to take forward the project.

The country is lacking the Phosphoric and Potasic fertilizers which are essential elements for the growth of the plants. From the above mentioned R&D projects, the company, on the one hand, would be able to explore the possibility of extracting the Potash from feldspar thereby would be able to save the valuable foreign exchange of the country and on the other hand it would be able to extend the benefits derived from R&D activities to farmers by providing them phosphoric fertilizers and gypsum at low cost.

Social responsibility issues for the company (CSR)

As a part of society, the company undertakes socio economic and community development programs to promote education, training and improvement of living conditions in villages located in the vicinity of the mines. For this your company developed a CSR scheme and spends at least 2% of its average profit last three years, every year. This year Rs. 111.07 lakh (previous year Rs. 101.12lakh) against target of Rs. 107.89 Lakh was spent



कम्पनी द्वारा की गई पहल:

कम्पनी की अधिकत्तर खाने दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं, अतः इन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, वनरोपण आदि की सुविधा उपलब्ध करवाने व लोगों की समाजिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयत्न किया जाता हैं। इस सम्बन्ध में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग व विकलांग छात्रों और खिलाडियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। सूरतगढ़, रामसिहपुर, मोहनगढ़, बाड़मेर और जोधपुर के विभिन्न सरकारी विद्यालय को फर्नीचर दिया गया। बीकानेर, जोधपुर, मोहनगढ़, सूरतगढ़ और रामसिंहपुर खान समूहों के कुछ सरकारी विद्यालयों में पेयजल सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त कंपनी ने ₹ 32 लाख की राशि राष्ट्रीय खेल विकास निधि और स्वच्छ भारत कोष में भी योगदान किया है।

कम्पनी ने आसपास के गांवो में मृदा परीक्षण के लिए एवं चलित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की है, जिसमें किसानो को विभिन्न जलवायु व परिस्थितियों में बोये जाने वाली फसलो और उसमें प्रयुक्त खादों के बारे में जानकारी दी जाती है।

on promoting Education, making available drinking water facilities, contribution to Swachh Bharat Kosh, National Sports Development Fund and Rural Development.

Initiatives undertaken by company:

As most of the mines of your company are located in remote areas, therefore various steps, like primary education, health, drinking water, etc were taken up for improving the social conditions of people in these areas. In this regard financial assistance in form of scholarship was given to meritorious students of SC/ST/OBC/disabled and sports person. The various Government schools at Suratgarh, Ramsinghpur, Mohangarh, Barmer and Jodhpur were given furniture. Drinking water facilities were made available in few Government schools of Bikaner, Jodhpur, Mohangarh, Suratgarh and Ramsinghpur group of mines. Apart from above, the company also contributed a sum of Rs. 32 lakh to National Sports Development Fund and Swachh Bharat Kosh.

The Company also installed a mobile soil testing van for testing the soil of villages near by its mines to make the farmers aware about the type of crops which could be sown in that climatic conditions and for that what type of fertilizers are required



स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सम्मानित सदस्यो

एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि., जोधपुर

एकल वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

हमने एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि. की 31 मार्च, 2018 को समाप्त हो जाने वाले वर्ष के एकल वित्तीय विवरणो जिसमें तुलन पत्र, लाभ—हानि खाता, समता अंशो के परिवर्तनों पर टिप्पणी, नकद प्रवाह विवरण, वित्तीय विवरणो पर नोट्स, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं अन्य व्याख्यात्मक विवरण शामिल है, की समीक्षा की है.

हमे दिये गये स्पश्टीकरण के आधार पर हमारी जानकारी व राय के अनुसार उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा बांछित दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि खाते, समता अंशो में परिवर्तन एवं नकद प्रवाह विवरण पर भारत में स्वीकार किए गये लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप एक सच्चा एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते है।

जानकारियों का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानको के अनुसार लेखाओं का अंकेक्षण किया है। मानको के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी प्रतिवेदन के वित्तीय वक्तव्य अनुभाग के अन्तर्गत लेखा परीक्षको की जिम्मेदारियों के शीर्षक में वर्णित किया गया है। हम कम्पनी अधिनियम 2013 व इसके अन्तर्गत बनाए गये विनियमों के अधीन वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए आवश्यक नैतिक आवश्यकताओं व चार्टर्ड एकाउंटेट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतन्त्र है एवं हमने अपनी जिम्मेदारियों को इन नैतिक आवश्यकतओं एवं आचार संहिता के अनुसार पूरा कर लिया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO

THE MEMBERS OF FCI ARAVALI GYPSUM & MINERALS INDIA LTD.

Report on the standalone Financial Statements Opinion

We have audited the accompanying Standalone financial statements of M/s. FCI ARAVALI GYPSUM & MINERALS INDIA LTD which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2018, the Statement of Profit and Loss, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2018, and profit, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



एकल वित्तीय विवरणों पर प्रबन्धन का दायित्व

भारत में स्वीकार किये जाने वाले लेखाकन सिद्धान्तों के अनुसार व कम्पनी अधिनियम 2013 के अधीन निर्गमित लेखा मानको व कम्पनी (लेखा) नियमन-2014 के नियम 7 के अन्तर्गत तैयार किये गये वित्तीय विवरणों की स्थिति, निष्पादन व नकद प्रवाह की सत्यता व निष्पक्षता का दायित्व अधिनियम की धारा 134(5) के अन्तर्गत निदेशक मण्डल का होता है। इन दायित्वों में लेखों का रख-रखाव. सम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी व अन्य अनियमिताओं का संज्ञान व रोकथाम, उचित लेखा नीतियों का चयन, क्रियान्वयन व रखरखाव, उचित एवं विवेकपूर्ण फैसलो का अनुमान, आन्तरिक लेखा प्रणाली की सरचना, उसको लागू करना व उसका रखरखाव, लेखों की शुद्धता व पूर्णता एवं वित्तीय विवरणों की सत्यता एवं निश्पक्षता शामिल है। जब तक प्रबन्धन कम्पनी को बन्द करने अथवा इसके संचालन को बन्द करने अथवा ऐसा करने का कोई विकल्प न रखती हो, तो कम्पनी के वित्तीय विवरण को तैयार करने में कम्पनी की क्षमताओं का आकलन फलते फूलते करोबार के रूप करने अथवा इसका लेखा फलते फूलते कारोबार के रूप में करने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होती है।

कम्पनी की वित्तीय रिर्पोटिंग प्रक्रिया की देख रेख के लिए निदेशक मण्डल भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरण के अंकेक्षण में लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा उदेश्य इस बात का आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण पूरी तरह से गलत रिर्पोटिंग चाहे वह किसी त्रुटि के कारण हो अथवा धोखाधड़ी के कारण हो, मुक्त है पर अपनी राय देना व उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। कम्पनी से प्राप्त आश्वासन उच्च स्तर का है, परन्तु यह गारंटी नहीं है कि SA के अनुसार किये गये अंकेक्षण से हमेशा भौतिक गलतियों का पता चल जायेगा। गलतफहमी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इन्हें उस समय अहम माना जा सकता है जब यह वित्तीय विवरण के उपयोगकर्त्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की

Responsibility of Management for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.



अन्य मामले

शून्य

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

- 01. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(11) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गमित व समय समय संशोधित कम्पनीज (अंकेक्षण रिपोर्ट) आदेश 2016 के पैरा 3 व 4 के अन्तर्गत मांगी गयी जानकारियों का विवरण, जिस सीमा तक वे लागू है, अनुलग्नक 'अ' में किया जा रहा है।
- 02. अधिनियम की धारा 143(3) के अन्तर्गत हम सूचित करते है कि:--
 - हमने वे समस्त सूचनाएं व स्पश्टीकरण प्राप्त कर लिए है जो कि अंकेक्षण के उदेश्य से हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के आधार पर आवश्यक थे।
- क. हमारी राय में कम्पनी ने लेखों की उचित प्रस्तके रखी हुई है जो कि कानून के अन्तर्गत आवश्यक है एवं उन पुस्तकों की हमारी जाँच से ऐसा प्रतीत हुआ है।
- ख. हमे दी गई जानकारी एवं स्पश्टीकरण के अनुसार कम्पनी की कोई अन्य शाखा नही है अतः हमारे प्रतिवेदन के निर्माण में शाखा अंकेक्षण के प्रतिवेदन को ध्यान में नहीं रखा गया है।
- तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता, नकद बहाव विवरण व समता अंशो के परिवर्तन पर विवरण जो इस प्रतिवेदन में वर्णित है, लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।
- घ. हमारी राय में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण धारा 133 में वर्णित लेखांकन प्रमाणों एवं कम्पनी (लेखा) नियमन–2014 के नियम–7 के अनुरूप है।
- ड़. हमने ऐसा कोई भी कार्य अवलोकित नहीं किया है जिससे कम्पनी की क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- च. अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 के द्वारा अधिनियम की धारा 164(2) कम्पनी पर लागू नहीं है।
- छ. लेखों के रखरखाव व उससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार की विपरीत टिप्पणी व्यक्त नहीं की गई है।

Other Matter

NIL

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- 1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
- 2. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
- We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- a. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
- b. As per the information and explanations given to us, the company has no branch office(s). Hence there is no requirement to consider the report of the branch auditor and deal with it in preparing our report.
- c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, the statement of changes in equity and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
- d. In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
- e. In our opinion, there is no such observation which may have adverse effect on the functioning of the company.
- f. Section 164(2) of the Act is not applicable as per notification dated 05.06.2015.
- g. There is no qualification, reservation or adverse remark relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.





- ज. कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता अनुलग्नक 'ब' में अलग से वर्णित है।
- झ. कम्पनीज (अंकेक्षण व अंकेक्षण) नियमन—2014 के नियम —11 एवं हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार हम प्रमाणित करते है कि:—
- (i) कम्पनी ने वित्तीय विवरण के नोट संख्या 26 में उल्लिखित लंबित वादो के वित्तीय प्रभावों का उचित रूप से वर्णन किया है।
- (ii) कम्पनी में कोई भी दीर्घ कालिक अनुबन्ध अथवा डेरिवेटिव्स नहीं है जिससे कम्पनी को कोई अनुमानित नुकसान हो।
- (iii) कम्पनी के पास निवेशक संरक्षण कोष में स्थानान्तरित की जाने वाली कोई राशि नहीं है।
- 03. कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गये दिशा—निर्देशो / उपनिर्देशो से सम्बन्धित आवश्यक विवरण अनुलग्नक—I तथा अनुलग्नक—II में संलग्न किये गये है।

कृते मेड़तीया डागा एवं एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार एफ. आर. एन 002056C

(खुशबू डागा)

साझेदार

सदस्यता संख्या 521175 दिनांकः 27.06.2018

स्थानः नई दिल्ली

- h. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B".
- i. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note 26 to the financial statements.
- ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
- iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- 3. The details as required under the directions/sub directions issued by the C&AG of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013 are attached in Annexure I & Annexure II.

For and on behalf of Mertia Daga & Associates
Chartered Accountants
F.R.N. 002056C

(Khushboo Daga)

Partner M. No. 521175

Place: New Delhi

Date: 27-06-2018



अनुलग्नक-I

वर्ष 2017-18 के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत दिशा-निर्देश:

- (1) क्या सभी फ्रीहोल्ड अथवा पट्टाशुदा भूमि का स्वामित्व कम्पनी के पास उपलब्ध है यदि नहीं तो उन भूमि का विवरण दिया जाए जिनका स्वामित्व उपलब्ध नहीं है।
 - प्रबन्धन द्वारा नियुक्त वकील की राय के अनुसार कम्पनी के पास 4 भूमि का स्पष्ट स्वामित्व उपलब्ध है एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर, अगनंवा गांव में 1337.76 वर्ग मी. आंबटित भूमि का पंजीयन प्रक्रियाधीन है। उपर्युक्त के अतिरिक्त दो अन्य भूमि के टुकड़े कम्पनी के द्वारा अधिग्रहित किये गये हैं:—
- (i) एस.एस.पी. प्लाण्ट की स्थापना हेतु 11.01 हेक्टेअर भूमि पण्डोली गांव चित्तौड़गढ़ में क्रय की गयी। पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है एवं भूमि कम्पनी के अधिकार में है।
- (ii) कम्पनी ने जोधपुर विकास प्राधिकरण से विवेक विहार में कार्यालय भवन निर्माण के लिए 1560 वर्ग भी भूमि का अधिग्रहण किया है। वर्श 2015—16 के दौरान पंजीकरण की प्रक्रियायें पूरी कर ली गई है एवं भूमि कम्पनी के अधिकार में है।
- (2) क्या कम्पनी द्वारा किसी भी प्रकार का ऋण अथवा उस पर ब्याज माफ किया है, यदि हां तो कारण व राशि स्पष्ट किया जाए।

कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का ऋण अथवा उस पर ब्याज माफ नहीं किया है।

(3) क्या तीसरे पक्ष के पास रखी हुई रहतियों व सरकार या अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त उपहारों का लेखा रखा गया है।

हां, तीसरे पक्ष के पास रखी हुई रहतियों का लेखा रखा हुआ है। सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से किसी भी प्रकार के उपहार प्राप्त नहीं किये गये है।

Annexure-I

Directions under section 143 (5) of Companies Act 2013 for the year 2017-18.

- 1. Whether the company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and lease hold land for which title/lease deeds are not available?
 - As per the opinion obtained from an Advocate appointed by the management dt. 20.06.2013, the title of 4 pieces of lands in possession of the Company are clear, the registration formalities are in process for an area of 1337.76 sq. meters situated at Plot No 175 & 176, Transport Nagar, Anganwa Village, Jodhpur (allotted by Jodhpur Development Authority). Apart from above, following two pieces of land were acquired by the company:-
 - (i). Land admeasuring 11.01 ha in village Pandoli, Distt. Chittorgarh for installation of SSP plant. The registration formalities have been completed and the land is in possession of the company.
 - (ii). Land admeasuring 1560 sq. mtrs. at Vivek Vihar, Jodhpur allotted by Jodhpur Development Authority for construction of office building has been registered in the name of the company during the year 2015-16 and the land is in the possession of company.
- 2. Whether there are any cases of waiver/ write off of debtors/loans/interest etc., if yes, the reasons there for and amount involved.

There are no cases for waiver /write off of debtors/loans/ interest etc. during the year under audit.

3. Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/grant (s) from the Govt. or other authorities.

Yes, Proper records are maintained for inventories lying with third parties. No assets were received as gift/grant(s) from Government or other authorities.





अनुलग्नक-II

वर्ष 2017-18 के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत उपनिर्देश:

लेखा प्रस्तको के आधार पर निम्न प्रश्नों के प्रति उत्तर प्रस्तुत है:

- 1. खनन पट्टे:-
- अ. क्या खान बंद करने व पर्यावरण बहाली से सम्बन्धित प्रावधान बनाये गये है

हां, खानों के बंद करने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान किये गये है एवं इसके लिए RMMCR 2017 के नियम 29 के अन्तर्गत खानों को बंद करने की योजना के अन्तर्गत अनुमानित राषि को STDR के रूप में आंबटित किया गया है। Annexure-II

Sub- Directions under section 143(5) of Companies Act, 2013 for the year 2017-18.

On the basis of the Books of accounts of the Company, the reply to the following questions and/or information may be supplied:-

- 1. Mining Lease
- a. Whether adequate provision has been made for closure of mines and restoration of environment cost?

Yes, all the provisions required for closure of mines have been made and funds have been allocated in the form of STDR as per estimation made in the Mines closure Plan approved by the concerned competent authority under rule 29 of RMMCR 2017.



अनुलग्नक 'अ'

स्वतन्त्र लेखा परीक्षक रिपोर्टः

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्श में एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर हमारी रिपोर्ट के शीर्षक अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पैरा 1 में शामिल अनुबंध:

- (अ) कम्पनी ने स्थायी सम्पत्तियों से सम्बन्धित पूरी सूचनाये व उनकी स्थितियों का विवरण लेखा पुस्तको में रखा है।
- (ब) प्रबन्धन द्वारा स्थायी सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। प्रबन्धन द्वारा दी सूचनाओं के आधार पर सत्यापन के दौरान कोई बडी विसंगति नहीं पायी गयी।
- (स) स्थायी सम्पत्तियों पर कम्पनी का स्वामित्व है।
- (2) (अ) रहतिओं का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा उचित अतंराल में किया जाता है।
- (ब) किसी भी प्रकार की विसंगति माल के भौतिक सत्यापन एवं लेखों के बीच नहीं पाई गई।
- (3) अधिनियम की धारा 189 में आवश्यक रजिस्टर के लेखों के अन्तर्गत कम्पनी ने किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षित, असुरक्षित ऋण किसी भी कम्पनी, फर्म, सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म एवं अन्य पक्षों को नही दिया है तद्नुसार खण्ड 3(iii) अ से स तक कम्पनी पर लागू नहीं है, अतः कोई भी टिप्पणी नहीं दी जा रहीं।
- (4) हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 एंव 186 के अन्तर्गत ऋण, निवेश, गारण्टी, प्रतिभूति से सम्बन्धित नियमों की अनुपालना करती हैं।
- (5) कम्पनी ने जनता से किसी भी प्रकार की कोई जमाएँ स्वीकार नहीं की है इसलिए कम्पनी अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान व कम्पनी (जमाएँ एवं स्वीकार) नियमन, 2015 व रिजर्व बैंक से प्राप्त दिशा निर्देश कम्पनी पर लागू नहीं है।
- (6) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) के अन्तर्गत कम्पनी लागत लेखा पुस्तको का उचित रख—रखाव करती है।

Annexure-A

"Annexure A" to the Independent Auditors' Report

Referred to in paragraph 1 under the heading 'Report on Other Legal & Regulatory Requirement' of our report of even date to the financial statements of the Company for the year ended March 31, 2018:

- (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.
- (b) The Fixed Assets of the company are physically verified by the Management. As per the information given by the Management, no material discrepancies were noticed during such verification.
- (C) The title deeds of immovable properties are held in the name of the company.
- 2. (a) The management has conducted the physical verification of inventory at reasonable intervals.
- (b) No discrepancies noticed on verification between the physical stocks and book records.
- 3. The Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability partnerships or other parties covered in the Register maintained under section 189 of the Act. Accordingly, the provisions of clause 3 (iii) (a) to (C) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.
- 4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has complied with the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 In respect of loans, investments, guarantees, and security.
- 5. The Company has not accepted any deposits from the public and hence the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2015 with regard to the deposits accepted from the public are not applicable.
- 6. The company has maintained cost records as prescribed under sub section (1) of section 148 of the Companies Act 2013.



- (7) (अ) हमे दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण एवं कम्पनी की लेखा पुस्तको एवं रिकार्ड की हमारी जाँच के अनुसार, हमारी राय में कम्पनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवाकर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क, वैट, अधिशुल्क, उपकर एवं अन्य लागू वैधानिक देयताओं को उचित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा करवाती है। हमे दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार ऊपर दिये गये कोई भी सांविधिक देय दिनांक 31 मार्च, 2018 से छः महीने से अधिक के बकाया नहीं है।
- (ब) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी पर किसी भी प्रकार की आयकर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट माल एवं सेवा कर से सम्बन्धित राशि बकाया नहीं है।
- (8) कम्पनी ने वर्ष के दौरान बैंकों, वित्तीय संस्थाओं,अथवा अन्यों के द्वारा किसी भी प्रकार का ऋण एवं उधार नहीं लिया है और न ही एवं ऋणपत्र जारी किए है अतः ओदश के पैरा 3(viii) कम्पनी पर लागू नहीं है।
- (9) लेखा परीक्षा की प्रक्रिया एवं प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पश्टीकरण के अनसुार, कम्पनी ने किसी भी प्रकार का सार्वजनिक निर्गम, पुनः सार्वजनिक निर्गम एवं ऋण पत्र सहित अन्य ऋण उपबन्धों के माध्यम से किसी भी प्रकार की राशि अर्जित नहीं की गई है, इसलिए ओदश के खण्ड 3(ix) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है अतः किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं दी गई है।
- (10) लेखा परीक्षा की प्रक्रिया एवं प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर कम्पनी पर उसके कर्मचारियो एवं अधिकारियों द्वारा अथवा कम्पनी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी धोखाधडी को संज्ञान में नहीं लिया गया है और ना ही इसकी रिपोर्ट दी हैं।
- (11) लेखा परीक्षा की प्रक्रिया एवं प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर प्रबंधको को प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान कम्पनी अधिनियम की धारा 197 की अनुसूचि V प्रावधानों के अनुसार किया गया हैं।
- (12) हमारी राय में कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है, इसलिए आदेश के खण्ड 4(xii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

- 7. (a) According to information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, and records, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, Employees State Insurance, Income-Tax, Sales tax, Service Tax, Goods and Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value added Tax, Cess and any other statutory dues with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of the above were in arrears as at March 31, 2018 for a period of more than six months from the date on when they become payable.
- b) According to information and explanations given to us, there are no dues of income tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, goods and service tax outstanding on account of any dispute.
- 8. The Company does not have any loans or borrowings from any financial institution, banks or from the government and has not issued any debentures. Accordingly, paragraph 3(viii) of the Order is not applicable.
- 9. Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer including debt instruments and term Loans. Accordingly, the provisions of clause 3 (ix) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.
- 10. Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, we report that no fraud by the Company or on the company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.
- 11. Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the managerial remuneration has been paid or provided in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of section 197 read with Schedule V to the Companies Act;
- 12. In our opinion, the Company is not a Nidhi Company. Therefore, the provisions of clause 4 (xii) of the Order are not applicable to the Company.



- (13) हमारी राय में, संबंधित पार्टियों के साथ लेन—देन कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 व 188 के अनुसार किया गया है, तथा उनका पूर्ण ब्यौरा वित्तीय विवरण में लागू लेखा मानकों के अनुरूप किया गया है।
- (14) लेखा परीक्षा की प्रक्रिया एवं प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने किसी भी प्रकार का पूर्ण एवं आंशिक रूप से शेयर आवंटन, निजी प्लेसमेंट, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र वर्ष के दौरान निर्गमित नहीं किया है। तद्नुसार आदेश के खण्ड 3 (xiv) कम्पनी पर लागू नहीं होते है अतः टिप्पणी नहीं की गई है।
- (15) लेखा परीक्षा की प्रक्रिया एवं प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने निदेशकों एवं उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का गैर—नकद लेनदेन नहीं किया है। तद्नुसार आदेश के खण्ड 3 (xv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
- (16) हमारी राय में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 IA के अन्तर्गत कम्पनी को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार आदेश के खण्ड 3 (xvi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है। इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई हैं।

कृते मेड्तीया डागा एवं एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार एफ. आर. एन 002056C

(खुशबू डागा)

साझेदार सदस्यता संख्या 521175 दिनांकः 27.06.2018

स्थानः नई दिल्ली

- 13. In our opinion, all transactions with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of Companies Act, 2013 and the details have been disclosed in the Financial Statements as required by the applicable accounting standards.
- 14. Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, the provisions of clause 3 (xiv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.
- 15. Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, the provisions of clause 3 (xv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.16.
- 16. In our opinion, the company is not required to be registered under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and accordingly, the provisions of clause 3 (xvi) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

For and on behalf of

Mertia Daga & Associates

Chartered Accountants

F.R.N. 002056C

(Khushboo Daga)

Partner

M. No. 521175

Place: Camp New Delhi Date: 27th June, 2018





एफसीआई अरावली जिप्सम एवं मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षको की प्रतिवेदन रिपोर्टर

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप धारा 3 के खण्ड (प) के अन्तर्गत आतंरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने एफसीआई अरावली जिप्सम एवं मिनरल्स इण्डिया लि. की 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण उस तिथि को समाप्त होने वाले वित्तीय रिपोर्ट पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली के साथ किया है।

वित्तीयविवरणों के लिए प्रबन्धन का दायित्वः

ICAI द्वारा वित्तीय रिपोर्टी पर अंकेक्षण एवं आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण से संम्बन्धित दिशा निर्देशों के अन्तर्गत कम्पनी के आन्तरिक नियन्त्रण के आवश्यक खण्डों को ध्यान में रखते हुए स्थापित वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली को बनाये रखना कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है।

इन दायित्वों में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली की संरचना, क्रियान्वयन एवं उसको बनाये रखना शामिल है, जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार कम्पनी की नीतियो के अन्तर्गत प्रभावशाली तरीके से व्यापार करने, सम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखा धड़ी एवं गलतियो की रोकथाम, लेखा पुस्तको की शुद्धता एवं पूर्णतया तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए आवश्यक है।

अंकेक्षको का दायित्वः

हमारी जिम्मेदारी व हमारी जाँच के आधार पर हमारा दायित्व कम्पनी की वित्तीय रिपोटों पर आतंरिक वित्तीय नियन्त्रण पर अपनी राय अभिव्यक्त करने की हैं।

हमने हमारा अंकेक्षण अधिनियम की धारा 143(10), ICAI के द्वारा आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली पर जारी अंकेक्षण प्रमापो एवं इसी पर उन दिशा निर्देशों के अन्तर्गत किया है जो कि कम्पनी पर लागू है। इन प्रमापों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार हमनें नैतिक आवश्यकता पूरी करने के साथ अंकेक्षण की योजना पर इस प्रकार

Annexure-B

"Annexure B" to the Independent Auditor's Report of even date on the Financial Statements of FCI ARAVALI GYPSUM & MINERALS INDIA LTD.

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **FCI ARAVALI GYPSUM & MINERALS INDIA LTD** ("the Company") as of March 31, 2018 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both



कार्य किया है कि हम सही रूप से आश्वस्त हो गये है कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली प्रभावशाली तरीके से स्थापित की गई है एवं बनायी रखी गई है।

लेखों की समीक्षा में वित्तीय विवरण के आतंरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली से संबंधित तथ्य एवं उनके प्रभावी संचालन से संबंधित तथ्य इत्यादि को प्राप्त करने की रिपोर्ट प्रक्रियाये आदि शामिल होती है। हमारे अंकेक्षण में वित्तीय प्रतिवेदनों की आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं इसकी प्रभावशीलता शामिल की है। हमारे आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली के अंकेक्षण में इसकी समझ, जोखिम का आंकलन, इसकी कमजोरिया, रूपरेखा एवं परीक्षण एवं जोखिम के आधार पर इसकी प्रभावशीलता शामिल है। प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के फैसलों के साथ—साथ वित्तीय विवरण में गलत बयान के आधार पर जोखिमों के मूल्यांकन पर भी निर्भर करता है। हम यह विश्वास करते है कि समीक्षा के दौरान प्राप्त साक्ष्य, कम्पनी की वित्तीय रिपोर्ट में आतंरिक वित्तीय नियत्रंण प्रणाली पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए उचित एवं पर्याप्त हैं।

वित्तीय रिपोर्ट पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ:

कम्पनी की वित्तीय रिपोर्ट में आतंरिक वित्तीय नियत्रंण एक प्रक्रिया है जो की वित्तीय रिपोर्ट व उसके विवरणों की विश्वसनीयता को बनाए रखने एवं बाहरी प्रयोजनो के लिए वित्तीय विवरण को लेखांकन सिद्धांतो के अनुसार तैयार करने में आवश्यक हैं।

कम्पनी की वित्तीय रिपोर्ट के आंतरिक वित्तीय नियत्रंण में निम्न नीतियों और प्रक्रियाओं को भी सम्मिलित किया है

- (1) अभिलेखों के उचित विवरण एवं रख रखाव से संबंधित विवरण जो की कम्पनी की सम्पतियों के लेनदेन के सही स्वभाव को प्रतिविबिंत करती है।
- (2) उपर्युक्त लेनदेन आमतौर पर लेखांकन सिद्धांतो के अनुसार है, एवं कम्पनी की प्रप्तियां एवं व्यय कम्पनी के प्रबंधन एवं कम्पनी के निदेशको के स्वीकृत के अनुसार किया जा रहा हैं।

applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

- Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
- 2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made





(3) कम्पनी की सम्पत्तियों के उचित प्रयोग,अनाधिकृत अधिग्रहण व समय रहते रोकथाम एवं प्रभावी लेनदेन को समय पर पता लगाने में मद्द करता है जो कि वित्तीय विवरण को प्रभावित करती है।

वित्तीय रिपोर्ट पर आतंरिक वित्तीय नियत्रंण के निहित सीमाएँ:

वित्तीय रिपोर्ट पर आतंरिक नियंत्रण प्रणाली की सीमाओं के कारण, मिली भगत, अनुचित प्रबन्धन, अत्यधिक नियन्त्रण, वित्तीय विवरणों में गलत प्रदर्शन के कारण धोखा धड़ी को रोकना मुश्किल है। बदली हुई परिस्थितियों, पूर्वानुमानों में जोखिम, नीतियों एवं प्रक्रियाओं की अनुपालना इत्यादि के कारण भी भविश्य में वित्तीय रिपोटिंग की आन्तरिक प्रणाली अपर्याप्त होती है।

विचार:

हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी व स्पश्टीकरण के अनुसार कम्पनी में वित्तीय रिपोर्टिंग के आतंरिक वित्तीय नियत्रंण प्रणाली की समुचित व्यावस्था है एवं यह प्रणाली दिनांक 31.03.2018 तक, प्राप्ट द्वारा इस सन्दर्भ में जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत समुचित रूप से कार्य कर रही थी।

कृते मेड़तीया डागा एवं एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार एफ. आर. एन 002056C

(खुशबू डागा) साझेदार सदस्यता संख्या 521175 दिनांकः 27.06.2018 स्थानः नई दिल्ली

- only in accordance with the authorizations of management and directors of the company; and
- (3) rovide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2018, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For and on behalf of Mertia Daga & Associates

Charterted Accountants
F.R.N. 002056C

(Khushboo Daga)

Partner

M. No. 521175

Place: Camp New Delhi Date: 27th June, 2018



अनुपालना प्रमाण-पत्र

हमने 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में एफ सी आई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड, जोधपुर के खातो का अंकेक्षण किया, यह अंकेक्षण कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए दिशा—निर्देशो / उपनिर्देशो के अधीन किया गया है। हम यह प्रमाणित करते है कि हमने जारी किए गए सभी दिशा—निर्देशो / उप—निर्देशो का पालन किया है।

कृते मेड्तीया डागा एवं एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार एफ. आर. एन 002056C

(खुशबू डागा)

साझेदार

सदस्यता संख्या 521175 दिनांकः 27.06.2018

स्थानः नई दिल्ली

COMPLIANCE CERTIFICATE

We have conducted the audit of accounts of FCI ARAVALI GYPSUM AND MINERALS INDIA LIMITED, JODHPUR for the year ended 31st March, 2018 in accordance with the directions/ sub-directions issued by the C&AG of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 and certify that we have complied with all the directions/ sub-directions issued to us.

For and on behalf of

Mertia Daga & Associates

Chartered Accountants

F.R.N. 002056C

(Khushboo Daga)

Partner

M. No. 521175

Place: Camp New Delhi Date: 27th June, 2018





दिनांक 31 मार्च 2018 का तुलन पत्र)(₹)

THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2018

विवरण	Particulars	Note No.	As at 31.03.18	As at 31.03.17
(1) अंश और दायित्व	I EQUITY AND LIABILITIES			
1. अंशधारकों की निधि	1. Share Holders' Funds			
अ. अंश पूजी	a. Share Capital	1	30000000	73298000
ब. संचय और अधिशेष	b. Reserves & Surplus	2	2154177180	2253445691
स. अंश अधिपत्रों के	c. Money received against	3	0	0
अन्तर्गत प्राप्त धन	share warrants			
कुल योग		Sub total (1 to 3)	2454177180	2326743691
(2) अंश आवेदन पत्र के	2. Share Application money			
अन्तर्गत लंबित धन	pending allotment			
(3) अचल दायित्व	3. Non-current liabilities			
अ. दीर्घकालीन ऋण	a. Long-term borrowings	4	0	0
ब. स्थगित कर देनदारिया (शुद्ध)	b. Deferred tax liabilities (Net)	5	0	0
स. अन्य दीर्घकालीन दायित्व	c. Other long-term liabilities	6	4058096	4058096
द. दीर्घकालीन प्रावधान	d. Long term provisions	7	0	0
कुल योग		Sub total (4 to 7)	4058096	4058096
(4) चल दायित्व	4. Current liabilities			
अ. अल्पकालिन ऋण	a. Short-term borrowings	8	0	0
ब. व्यापारिक देनदारिया	b. Trade payables	9	87454889	99608590
स. अन्य चल दायित्व	c. Other current liabilities	10	45304483	139667229
द. अल्पकालीन प्रावधान	d. Short term provisions	11	35753505	17380344
कुल योग		Sub total (8 to 11)	168512877	256656163
सम्पत्तियां	<u>II ASSETS</u>	Total	2626748153	2587457950
(1) अचल सम्पत्तियां	1. Non-current assets			
अ. स्थिर सम्पत्तियां	a.Fixed assets			
1. मूर्त सम्पत्तियां	i. Tangible assets	12	83836645	82954212
2. अमूर्त सम्पत्तियां	ii. Intangible assets	13	440182	527904
3. पूंजीगत चालू कार्य	iii. Capital work in progress	14	63898129	61954632
4. चालू कार्य के अन्तर्गत	iv. Intangible assets	15	0	0
अमूर्त सम्पत्तियां	under development			
कुल योग		Sub total (12 to 15)	148174956	145436748





विवरण	Particulars	Note No.	As at 31.03.18	As at 31.03.17
ब. अचल विनियोग	b. Non-current investment	16	0	0
स. स्थगित कर सम्पत्तियां (शुद्ध)	c. Deferred tax assets(Net)	17	29276002	58511266
द. दीर्घकालिन ऋण व अग्रिम	d. Long-term loans and advanc	es 18	5848736	5924978
य. अन्य अचल सम्पत्तियां	e. Other non-current assets	19	39237028	30649692
कुल योग		Sub total (12 to 19)	222536722	240522684
2. चल सम्पत्तियां	2. Current assets	20	0	0
अ. चल विनियोग	a. Current investments	21	18754125	35967674
ब. रहतिया	b. Inventories	22	176753114	85272150
स. व्यापारिक प्राप्तियां	c. Trade receivables	23	2083618688	2081273908
द. नगद व नकदी के समकक्ष	d. Cash & Bank Balances	24	42410759	71934391
य. अल्पकालिक ऋण व अग्रिम	e. Short-term loans & advances	25	82674745	72487143
र. अन्य चल सम्पत्तियां	f. Other current assets	Sub total (20 to 25)	2404211431	2346935266
		Total	2626748153	2587457950

नोट 1 से 40 जिनकी चर्चा यहां पर ऊपर की गई हैं वे वित्तीय विवरण के आवश्यक अंग हैं। The Notes No.1 to 40 referred to herein above form an integral part of the financial statements.

As per our report on even date

मैसर्स मेड़तिया डागा एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफ आर एनः 002056C M/s Mertia Daga & Associates CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:002056C

ह. (खुशबू डागा) साझेदार	ह. (अनिल कुमार वी _. पाटिल) निदेशक	ह. (अलका तिवारी) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध	Sig. (Khushboo Daga) PARTNER M.No. 521175	Sig. (Anilkumar V Patil) Director	Sig. (Alka Tiwari) CMD
सदस्यता संख्या 52117	5	निदेशिका			
दिनांक 27.06.2018 स्थानः नई दिल्ली	ह. (सिद्धार्थ कुमार) कम्पनी सचिव	ह. (एस.एस.शेखावत) महाप्रबन्धक	Dated : 27 / 06 / 2018 Place : New Delhi	Sig. (Siddharth Kumar) Company Secretary	Sig. (S.S.Shekhawat) General Manager





31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि लेखा

STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2018

विव	रण	Particulars Particulars	Note No.	Year 2017-18	Year 2015-16
I. प्रचालन से	ा आय ।.	Revenue from operations	27	486005631	513323475
II. अन्य आय	II.	Other income	28	160349129	170891047
III. कुल आय	III.	Total Revenue (I+II)	TOTAL	646354760	684214522
IV. व्यय	IV	Expenses :			
खनन प्रच	लन व्यय	Mining operation expenses	29	169059682	167932553
प्रयुक्त साग	मग्री की लागत	Cost of material consumed	30	21073820	28419220
तैयार माल	, चालू कार्य व	Change in inventories of	31	10664082	22948702
व्यापारिक :	स्टॉक के रहितियों	finished goods,			
में परिवर्तन	Г	WIP & Stock in Trade			
कर्मचारियों	पर व्यय	Employee benefit expenses	32	72509811	49102392
वित्तीय व्य	य	Finance Costs	33	1275056	590673
मूल्य ह्यस	और	Depreciation and	34	2146055	2819654
परिशोधन	व्यय	amortization expenses			
अन्य व्यय		Other expenses	35	53799281	49893953
पूर्व अवधि	की आय/व्यय	Prior Period Expenditure/Income	36	3737	30458
कुल व्यय		Total expenses		330531524	321737605
V. असाधारण,	अपवादिक मद, V.	Profit before exceptional &			
कर पूर्ण ल	ताभ (III-IV)	Extraordinary items and tax (III-IV)		315823236	362476917
VI. अपवादिक	मद (आय/ (व्यय) VI.	Exceptional Items-Income/(Expenditure	e) 37	102940949	189425296
VII. असाधारण	मद व कर VI I	I. Profit before Extraordinary	(V-VI)	418764185	551902213
पूर्व लाभ (\	V-VI)	items and Tax (V-VI)			
VIII. असाधारण,	, मद VII	I Extraordinary Items	38	0	0
IX. कर पूर्व ल	ाम (VII-VIII) IX.	. Profit before tax (VII-VIII)		418764185	551902213
X. कर	Х.	Tax Expense:			
अ. वर्तमान क	र (1)	Current Tax		119179437	129104937
ब. स्थगित कर	₹ (2)	Deferred Tax		29235264	63551711
स. पिछले वर्षो	के (3)	Income Tax Adjustment		0	(1092756)
आयकर समायो	जन for	previous years			
कुल कर व्यय	Tot	tal Tax Expenses		148414701	191563892
XI. मैट जमा अ	ाधिकार पूर्व लाभ 🛮 🛛 🗓	. Profit before MAT credit entitlement		270349484	360338321
जोड़ मैट जमा	अधिकार Ad	d: MAT Credit Entitlement		0	0





31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि लेखा

STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2018

विवरण	P	Particulars	Note No.	Year 2017-18	Year 2015-16
XII. प्रचलन से आय	XII	Profit for the period from		270349484	360338321
		continuing operations			
XIII. बन्द / प्रचलन पर	XIII	Profit/(Loss) for discontinuing		0	0
लाभ / हानि		operations			
XIV. बन्द / प्रचलन पर कर	XIV	Tax expense of discontinuing		0	0
		operations			
XV. बन्द / प्रचलन पर कर	पश्चात् XV	Profit /(Loss) from discontinuing		0	0
लाभ / हानि (XIII-XIV))	operations (after tax) (XIII-XIV)			
XVI. वर्ष के दौरान लाभ	(XII+XV) XVI	Profit for the period (PAT)(XII+XV))	270349484	360338321
XVII. प्रतिअंश उपार्जन	XVII	Earning per equity share:			
आधारभूत		Basic		9.01	49.16
द्रव्यित		Diluted		9.01	49.16
XVIII. अतिरिक्त सूचनाएं	XVI	II Additional Information	39		
XIX. महत्वपूर्ण लेखा नी।	तियां XIX	Significant accounting policies.	40		

नोट 1 से 40 जिनकी चर्चा यहां पर ऊपर की गई हैं वे वित्तीय विवरण के आवश्यक अंग हैं। The Notes No.1 to 40 referred to herein above form an integral part of the financial statements.

As per our of even date

मैसर्स मेड़तिया डागा एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफ आर एनः 002056C M/s Mertia Daga & Associates CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:002056C

ह. (खुशबू डागा) साझेदार सदस्यता संख्या 521175	ह. (अनिल कुमार वी _. पाटिल) निदेशक	ह. (अलका तिवारी) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशिका	Sig. (Khushboo Daga) PARTNER M.No. 521175	Sig. (Anilkumar V Patil) Director	Sig. (Alka Tiwari) CMD
दिनांक 27.06.2018 स्थानः नई दिल्ली	ह. (सिद्धार्थ कुमार) कम्पनी सचिव	ह. (एस.एस.शेखावत) महाप्रबन्धक	Dated: 27 / 06 / 2018 Place: New Delhi	Sig. (Siddharth Kumar) Company Secretary	Sig. (S.S.Shekhawat) General Manager





31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2018

विवरण	Particulars	Year 2	017-18	Year 2	2016-17
प्रचलन क्रियाओं से नगदी प्रवाह	Cash Flow From Operating Activities:				
कर पूर्व लाभ/हानि	Net Profit/ Loss before tax		418764185		551902213
समायोजनायेः	Adjustment for:				
जोड़:	Add:-				
वित्तीय लागत	Finance Cost	1275056		590673	
मूल्य ह्यस	Depreciation/Amortization	2146055		2819654	
स्थायी सम्पत्तियों के विक्रय पर हानि	Losses on disposal/discarding of Fixed Assets	0	3421111	12627	3422954
			422185296		555325167
घटावः	Less:				
ब्याज	Interest Income	158976132		169823087	
वापस लिये गये अधिक प्रावधान	Excess Provision written back	102940113		189432388	
सम्पतियों के विक्रय पर लाभ	Profit on disposal/discarding of Fixed Assets	836	261917081	5535	359261010
चल पूंजी परिवर्तन से पूर्व लाभ	Operating Profit before working capital changes		160268215		19606415
जोड़ / घटाना	Add/Less:-				
रहतियों में (बढ़ोतरी) / कमी	(Increase)/Decrease in Inventories	17213549		22784029	
व्यापारिक प्राप्तियों में (बढ़ोतरी)/कमी	(Increase)/Decrease in Trade Receivables	(91480964)		29389174	
अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम (बढ़ोतरी)/कमी	(Increase)/Decrease in Short Term Loan & Advances	29523632		(62743662)	
अन्य चल सम्पत्तियां (बढ़ोतरी) / कमी	(Increase)/Decrease in Other Current Assets	(6527928)		(40254)	
अल्पकालीन प्रावधानों में	Increase/(Decrease)	12197591		(4102809)	
बढ़ोतरी / (कमी)	in Short Term Provisions				
अन्य चल दायित्व में बढ़ोतरी / (कमी)	Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities	(94362746)		(212760154)	
व्यापारिक दायित्वों में बढ़ोतरी / (कमी)	Increase/(Decrease) in Trade Payables	(12153701)		39363121	
अपवादिक मद के लिए समायोजना	Adjustment of Exceptional items	102940113	(42650454)	189432388	1321833
प्रचलन क्रियाओं से उत्पन्न नकदी	Cash Generated From Operations		117617761		197385990
घटाना : चुकाया गया कर	Less: Taxes paid		(113003867)		(116845387
आन्तरिक एवं (बाह्नय बहाव) के उपरांत शुद्ध नकद	Net Cash In flow/(Outflow) from Operating activities		4613894		80540603
विनियोग क्रियाओं से रोकड बहाव	Cash Flow from Investing Activity				
 पूंजीगत चालू कार्यो में (बढ़ोतरी)/कमी	Decrease/(Increase) in CWIP	(1943497)		(4935736)	
पूंजीगत संपत्ति का क्रय	Purchase of Capital Assets	(2965637)		(679234)	
पूंजीगत संपत्ति का विक्रय	Proceeds from sale of Assets	25707		75244	
मूल परिपक्व जमा में कमी (वृद्धि)	Decrease/(Increase) in deposits having	(38274577)		(72055173)	
3 माह से अधिक वाले	original maturity more than 3 months	, ,		, ,	
जमा पर ब्याज	Interest Received	155316458	112158454	(167278101)	89683202
विनियोजन के उपरांत आन्तरिक एवं (बाहृय बहाव) रोकड़ बहाव	Net Cash In flow/(Outflow) after Investing activities		116772348	·	17022380



विवरण	Particulars	Year 2	016-17	Year 2	2015-16
वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ बहाव	Cash flow from Financing Activities				
दीर्धकालीन ऋण एवं	(Increase)/Decrease in Long Term	76242		(1335231)	
अग्रिम (बढ़ोतरी) / कमी	Loans & Advances				
दीर्घकालीन अचल	(Increase)/Decrease in Other	(8587336)		(15635522)	
सम्पतियाँ (बढ़ोतरी) / कमी	Non-Current Assets				
अन्य दीर्धकालीन दायित्वों	Increase/(Decrease) in	0		(3862987)	
में बढ़ोतरी / (कमी)	Other long Term Liabilities				
दीर्घकालीन प्रावधानों में बढ़ोतरी / (कमी)	Increase/(Decrease) in Long Term Provision	ons O		0	
वित्तीय लागत	Finance Cost	(1275056)		(590673)	
लाभांश	Dividend Paid	(118742760)		(102617200)	
लाभांश कर	Dividend Tax Paid	(24173235)	(152702145)	(20890450)	(144932063)
वित्तीय क्रियाओं के उपरांत आन्तरिक एवं (बाह्नय बहाव) रोकड़ बहाव	Net Cash inflow/(outflow) after Financing Activities		(35929797)		25291742
नकदी और नकदी के समकक्ष में परिवर्तनः	Net change in cash & Cash Equivale	nts (35929797)			25291742
नकदी व नकदी के समकक्ष का आरम्भिक शेष	Cash & Bank Balances Opening Balar	nce 64872842			39581100
नकदी व नकदी के समकक्ष का अन्तिम शेष	Cash & Bank Balances Closing Balance	ce 28943045			64872842
नकद व नकदी के समकक्ष घटकः	Components of Cash and Cash Equiva	lents 28943045			64872842
नकद हाथ में	Cash in Hand	51379			51963
चैक, ड्राफ्ट	Cheques, Drafts in Hand	50000			0
अनुसूचित बैंको के समक्ष जमायें	Balances With Scheduled Banks				
चालू खातों मै	in Current Accounts	28841666			18820879
पारगमन में प्रेशण	in Remittance in transit	0			46000000
		28943045			64872842

नकदी प्रवाह का विवरण लेखा मानक 3 (संशोधित) के तहत निधारित अप्रत्यक्ष विधियों के आधार पर तैयार किया गया। Cash Flow Statement has been prepared based on Indirect Method prescribed under Accounting Standard - 3 (Revised)

जहां भी आवश्यक हुई हैं, पिछले वर्ष के आकड़ो को एकरूपता लाने के लिए पुर्नगठित किया गया है।

"Cash Flow Statements" The Previous Year's Figures have been regrouped wherever necessary for uniformity in presentation.

मैसर्स मेड़तिया डागा एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफ आर एनः 002056C M/s Mertia Daga & Associates CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:002056C

ह. (खुशबू डागा) साझेदार सदस्यता संख्या 521175	ह. (अनिल कुमार वी _. पाटिल) निदेशक	ह. (अलका तिवारी) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशिका	Sig. (Khushboo Daga) PARTNER M.No. 521175	Sig. (Anilkumar V Patil) Director	Sig. (Alka Tiwari) CMD
दिनांक 27.06.2018 स्थानः नई दिल्ली	ह. (सिद्धार्थ कुमार) कम्पनी सचिव	ह. (एस.एस.शेखावत) महाप्रबन्धक	Dated: 27 / 06 / 2018 Place: New Delhi	Sig. (Siddharth Kumar) Company Secretary	Sig. (S.S.Shekhawat) General Manager





नोटसंख्या 1:- अंश पूंजी

Note - 1: Share Capital

विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
अधिकृत अंशपूंजी	Authorised Share Capital	30000000	30000000
निर्गमित अंशपूंजी	Issued Share Capital	30000000	73298000
		30000000	73298000

अ. कम्पनी भारत सरकार के स्वामित्व में है और इसकी सम्पूर्ण अंश पूंजी भारत के राष्ट्रपति के नाम मे है।

कम्पनी की अधिकृत पूंजी ₹ 30 करोड़ है, जोकि ₹ 10 वाले 3 करोड़ अंशो में विभाजित है। इनमें से ₹ 10 वाले 7329800 अंश कुल ₹ 73298000 वर्ष 2003—04 के दौरान निर्गमित किये गये एवं शेष 22670200 अंश वर्ष 2017—18 में बोनस अंश की तरह निर्गमित किये गये। सभी अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम निर्गमित किये गये।

ब. वर्ष के आरंम्भ व अंत में समता अंश पूजी का समाधान विवरण:

a) The company is owned by Government of India and the entire share capital is held by the Hon'ble President of India.

The Authorised Share Capital of the company is Rs.30.00 crore consisting of 3, 00, 00,000 Equity Share of Rs.10 each. Out of the authorized capital, 73,29,800 equity shares were issued @ Rs.10/- fully paid, aggregating Rs.7,32,98,000/- in the year 2003-04 and remaining 2,26,70,200 equity shares face value Rs.10/- each were issued as bonus shares in the year 2017-18. All these shares are allotted to the Hon'ble President of India.

b) Reconciliation of number of equity shares outstanding at the beginning and at the end of the year:-

	•		
विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
वर्ष के आरंम्भ में अंशो की संख्या जोडः– वर्ष के दौरान निर्गमित	Number of Shares outstanding as at the beginning of the year	7329800	7329800
बोनस अंश	Add: Number of shares allotted as fully paid up bonus shares during the year	22670200	0
वर्ष के दौरान बिना नकदी के समझौते के अन्तर्गत निर्गमित अंश	Number of shares allotted during the year as fully paid up pursuant to a contract	0	0
ESOPs/ESPs के अन्तर्गत निर्गमित अंश	without payment being received in cash. Number of shares allotted to employees	0	0
सार्वजनिक निर्गम के अर्न्तगत नकदी के	pursuant to ESOPs/ESPs Number of shares allotted for cash pursuant to public issue	0	0
लिए निर्गमित अंश जो ड	Sub Total Less :	30000000	7329800
घटाना:-	Number of shares bought back during the year		
वर्ष के दौरान वापस क्रय किये अंश वर्ष के अंत में समता अंश	Number of shares outstanding as at the end of the year	0 30000000	0 7329800

स. अधिकार अंश, अधिमानी अंश और विभिन्न वर्गीकृत अंशो के साथ संलग्न प्रतिबन्ध:-

क्र.स.	वर्गीकृत अंश	अधिकार, अधिमानी व अन्य वर्गीकृत अंशो के साथ संलग्न प्रतिबन्ध (इसमें लाभांश का भुगतान व पूंजी का पुर्नभुतान शामिल है।)	
निजी कम्पनी होने के कारण ये कम्पनी पर लाग नहीं हैं।			

c) Rights, preference and restrictions attached to various classes of shares

S. NO.	Class of Shares	Rights, preferences and restrictions (including restrictions on distribution of dividends and repayment of capital) attached to the class of shares

Not Applicable since the Company is a Private Limited Company



द. सूत्रधारी कम्पनी,अंतिम सूत्रधारी कम्पनी व सहायक कम्पनी में कम्पनी की अंशधारिता

क्र.स. वर्गीकृत अंश सूत्रधारी कम्पनी, अंतिम सूत्रधारी कम्पनी व उनकी सहायक कम्पनी की कम्पनी में अंशधारिता

कम्पनी किसी भी अन्य कम्पनी की सूत्रधारी, अंतिम सूत्रधारी अथवा सहायक कम्पनी नहीं है अतः ये कम्पनी पर लागू नहीं है।

य. अंशधारियों का विवरण जिनके पास 5% से अधिक अंश है।

क्र.स. अंशधारियो कम्पनी में के नाम अंशो की संख्या	अंशधारिताओं का प्रतिशत
--	------------------------

सभी अंश भारत के राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्तियों के नाम में हैं।

र. विकल्प एवं ठेको के अन्तर्गत आरक्षित अंश

क्र.स.	आरक्षित अंशो की संख्या व प्रकार	पार्टियो के नाम	ठेको व विकल्पो का विवरण जिसके अन्तर्गत अंशो को आरक्षित किया गया है।
--------	---------------------------------------	--------------------	---

विकल्पो एवं ठेको के अन्तर्गत कम्पनी ने कोई भी अंश निर्गमित नहीं किया है।

ल. अंशो की बिक्री/विनिवेश में प्रतिबद्धता

क्र.स.	अंशो का वर्ग	अंशो की संख्या	प्रतिबद्धताओं का विवरण		
अंशो की बिक्री / विनिवेश के लिए कम्पनी ने कोई भी					

व. तुलन पत्र की तिथि से पिछले पांच वर्षों के दौरान आंबटित अंशो का वर्णन:- शून्य

d) Shareholdings in the Company of the Holding Company and ultimate holding co. and their subsidiaries/associates

S. Class of NO. of Shares held in the aggregate by holding co., ultimate holding co. and their subsidiaries and associates

Not Applicable since it is not a subsidiary Company

e) Shares in the company held by each shareholder holding more than 5% shares

S. NO.	Name of the shareholder	Number of shares held in the Company	Percentage of Shares held				
The entire shares are in the name of The Hon'ble							
President of India & his nominees.							

f) Shares reserved for issue under options and contracts

S. NO.	Number and class of shares reserved for issue	Party in whose favour reserved	Details of contracts/options under which shares reserved for issue.
-----------	---	--------------------------------------	---

No shares were reserved for options and contracts

g) Commitments for sale of shares/disinvestment

S.No	Class of Shares	Number of Shares	Particulars of commitments		
Company has no commitments for sale of shares or disinvestment.					

h) The details of different kinds of shares allotted during the last 5 years preceding the balance sheet date are as given below:-

अंशां के प्रकार	Tyepe of Shares	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
 सहमित के अन्तर्गत बिना नकदी के निर्गमित अंश 	Equity Shares allotted as fully paid up pursuant to contract without payment being received in cash	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
2. बोनस अंश	2. Bonus Shares	22670200	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
3. वापस क्रय किये गये अंश	3. Shares Bought Back	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

- श. तुलन पत्र की तिथि पर किसी भी अंश पर कोई भी देय राशि बकाया नहीं है अतः कोई भी अंश जब्त नही किये गये है और न ही प्रवंतनीय प्रतिभूति के लिए अंशो को आरक्षित किया है।
- i) There are no calls unpaid, forfeited shares, or securities convertible to Equity Shares as on the date of balance sheet.



नोट संख्या 2:-संचय एवं अधिशेष:

वर्ष 2003—04 से प्रतिवर्ष कम्पनी अपने कर पश्चात लाभ का 10 प्रतिशत सामान्य संचय में हस्तान्तिरत करती है। चालू वर्ष के दौरान संचय में ₹ 270.35 लाख (पिछले वर्ष ₹ 360.34 लाख) हस्तान्तिरति किये गये है। वर्ष के दौरान ₹ 2267.02 लाख के बोनस अंश सामान्य संचय में से निर्गमित किये गये।

वर्ष 2004—05 से लाभांश व लाभांश कर के पश्चात लाभ का 70 प्रतिशत कम्पनी प्रतिवर्ष विकास संचय में भविष्य के परियोजनाओं के लिए हस्तान्तरित करती है। तद्नुसार कम्पनी ने वर्ष 2017—18 के दौरान ₹ 854.47 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1521.96 लाख) विकास संचय में हस्तान्तरित किये है।

2017-18 व 2016-17 के संचय एवं अधिशेष का वर्ष के प्रारम्भ व अन्त में शेष व उसमें जुड़ाव / घटाव की राशि का विवरण निम्न है:

Note No. 2: Reserve & Surplus

The company has been transferring not less than 10% of Profit after Tax (PAT) to the General Reserve every year starting from 2003-04. Accordingly, during the year 2017-18, a 10% of PAT amounting to Rs.270.35 lakh (Previous Year Rs.360.34 lakh) has been transferred to the General Reserve. During the year Bonus Shares valuing Rs.2267.02 lakh were issued from the General Reserve. From the year 2004-05 onwards, 70% of PAT after appropriation to dividend and dividend tax has been transferred to Development Reserve to take care of the needs of the expansion programmes/ Projects of the Company. Accordingly, during the year 2017-18, a 70% of PAT (Net of Dividend & Tax thereon) amounting to Rs.854.47 lakh (Previous Year Rs.1521.96 lakh) has been transferred to the Development Reserve.

The details of opening and closing balances in the Reserves & Surplus with additions/deductions adjustments during the year 2017-18 and 2016-17 are as given below:

	dogiven	below.		
विवरण	Particulars		As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
01. सामान्य संचय	General Reserve			
प्रारम्भिक शेष पिछले तुलन पत्र के अनुसार	Opening Balance as per Last Balance sheet		480725960	444692128
जोड़ः वर्ष के दौरान हस्तान्तरण	Add: Transfer during the year		27034948	36033832
घटावः सामान्य संचय पर प्रभार	Less: Charges to General Reserve during the year		0	0
घटावः वर्ष के दौरान जारी बोनस शेयर	Less: Bonus shares issued during the year		(226702000)	
अंतिम शेष(1)	Closing Balance	(1)	281058908	480725960
2. विकास संचय	Development Reserve			
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance as per		1306608492	1154412864
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	Last Balance sheet			
जोड़ः वर्ष के दौरान हस्तान्तरण	Add: Transfer during the year		85446530	152195628
घटावः विकास संचय पर प्रभार	Less: Charges to Development Reserve during the	year	0	0
अंतिम शेष (2)	Closing Balance	(2)	1392055022	1306608492
3. अधिशेष	Surplus			
प्रारम्भिक शेष पिछले तुलन पत्र	Opening Balance as per		466111239	417510028
के अनुसार	Last Balance sheet			
जोड़ः वर्ष के दौरान हस्तान्तरण	Add: Transfer during the year		157868006	172108861
विनियोजन के लिए अधिशेष	Surplus available for Appropriations		623979245	589618889
घटावः प्रस्तावित लाभांश	Less: Dividend Paid during the year		118742760	102617200
घटावः वितरित लाभ पर कर (लाभांश)	Less: Tax on distributed profits (Dividend)		24173235	20890450
अगले वर्ष ले जाया गया शुद्ध अंतिम शेष	Net Closing Surplus Carried forward to next year	(3)	481063250	466111239
		Total (1+2+3)	2154177180	2253445691



As at 31.03.2018 As at 31.03.2017 विवरण **Particulars**

लेखा मानक-4 (तुलन पत्र की तिथि के बाद होने वाली आकस्मिकताओं एवं घटनाक्रम) के अनुसार लांभाश को तभी मान्यता दी जाती है जब इसे वार्षिक आम सभा में अंश-धार को द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अतः दिनांक 31.03.2016 को ₹ 1235.08 लाख एवं दिनांक 31 03 2017 को ₹ 1429.16 के प्रस्तावित लाभांश एवं इस पर कर को अर्जित संचय के साथ समायोजित करते हुए उलट दिया गया है। इस प्रकार इस अवधि में कूल समता की राशि इसके बराबर बढ़ गयी है। वर्ष 2017-18 के लिए, 3 करोड अंशो पर ₹ 4.10 प्रति अंश की दर से ₹ 1230 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1187.43 लाख) कर पश्चात लाभ का 45.50 प्रतिशत

As per AS-4 (Contingencies and Events Occurring after the Balance Sheet Date), dividends are recognised when the same is approved by the shareholders in general meeting, accordingly the liability for proposed dividend and tax thereon of Rs.1429.16 lakh as at 31.03.2017 and Rs.1235.08 lakh as at 31.03.2016 included under the provisions has been reversed with corresponding adjustment to retained earnings. Consequently, the total equity increased by equivalent amount for these periods. For the year 2017-18 a dividend of Rs.1230.00 lakh (previous year Rs.1187.43 lakh) i.e. Rs.4.10 per equity share for 3,00,00,000 shares (previous year Rs.16.20 per equity share for 7,32,98,000 shares), being 45.50% (पिछले वर्ष 32.95%) लामांश प्रस्तावित किया। (previous year 32.95%) of PAT is proposed.

4. वार्षिक आम सभा में घोषित लाभांश का विवरण और वर्ष के दौरान भुगतान:-पिछले वर्ष लामांश का भुगतान लाभांश पर कर पिछले वर्ष का अदत लाभांश शून्य

Details of Dividend declared by AGM and payment made during the year Dividend paid for previous year

Tax on Dividend paid

Unpaid Dividend for previous year

118742760

102617200

24173235

20890450

NIL

NIL

नोट संख्या:- 3 अंश अधिपत्र के विरूद्ध प्राप्तधन

Note No. 3: Money Received Against Share Warrants

विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
निजी कम्पनी होने के कारण कम्पनी ने कोई भी अंश अधिपत्र निर्गमित नहीं किया है।	The company being private limited company, hence no share warrants are issued.	NIL	NIL





नोट संख्या:- 4 दीर्घकालीन ऋण

Note No. 4: Long Term Borrowings

विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
कम्पनी ने सुरक्षित, असुरक्षित, किसी भी प्रकार का	The company has not resorted to any long term	NIL	NIL
दीर्घकालीन ऋण किसी भी बैक, सहयोगी पक्षो व	borrowings whether secured or unsecured from public,		
सर्वजन इत्यादि से नहीं लिया है।	banks, related parties and others.		

नोट संख्या:- 5 आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)

Note No. 5: Deferred Tax Liabilities (Net)

विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
कम्पनी में कोई भी आस्थगित कर दायित्व नही है।	There are no Deferred Tax Liabilities. However,	NIL	NIL
परन्तु शुद्ध आस्थगित कर सम्पतियां नोट 17 के	the Deferred Tax Assets are recognised and		
अर्न्तगत दिखाई गई है।	disclosed at note No.17.		

नोट संख्या:- 6 अन्य दीर्घकालीन दायित्व

कम्पनी ने निम्नलिखित व्यापारिक दायित्व जो कम्पनी की 12 महीने की संक्रिया मण्डल पर अधारित है, दीर्घकालीन व्यापारिक दायित्वों के रूप में वर्गीकृत किया है। अचल स्वभाव वाली दीर्घकालीन दायित्वों का वर्णन निम्न सारणी में है:—

Note No. 6: Other Long Term Liabilities.

The company has classified the following Trade Liabilities as Long Term, based on the operating cycle of the Company which is 12 months. The details of Long Term Liabilities that are non-current in nature and are as given in the table:

विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
1. व्यापारिक देयः	(i) Trade payables:	0	0
2. अन्यः	(ii) Others:		
कर्मचारी कल्याण के लिए दीर्धकालीन	Long term liability for employee benefits	10500	10500
अन्य दीर्घकालीन दायित्व	Other long term liabilities	4047596	4047596
कुल	Total	4058096	4058096

दिनांक 31.03.2018 को अन्य दीर्घकालीन दायित्वो में ₹ 27.10 लाख (पिछले वर्ष का ₹ 27.10 लाख) मात्रात्मक छूट एवं ₹ 13.21 लाख (पिछले वर्ष ₹ 13.21 लाख) किराये भाड़े एवं ग्राहको को देय विक्रय वापसी के शामिल है।

Other Long Term Liability includes as on 31.03.2018 Rs.27.10 Lakhs (As on 31.03.17 Rs.27.10 Lakhs) towards Quantity Rebate and Rs.13.21 lakh (previous year Rs.13.21 lakh) towards freight and sales order payable to various clients/customers.



नोट संख्या: 7 दीर्घकालीन प्रावधान

कम्पनी ने निम्नलिखित दीर्घकालीन प्रावधानो का वर्गीकरण किया है, जिनका विवरण नीचे सारणी में दिया है। दीर्घकालीन प्रावधानो का विवरण इस धारणा पर किया गया है कि यह तुलन पत्र की तिथि से 12 महिने अन्दर व्यय नहीं होगी।

Note No. 7: Long Term Provisions

The company has classified the following as Long Term Provisions. The details of which are as given in the following table. The long term provision is based on the estimation that the amount will not be spent in next 12 months from the date of Balance Sheet.

विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
(अ) कर्मचारी के लिये प्रावधान :	(b) Provision for employee benefits: Total	0	0

नोट संख्या: 8 अल्पकालीन ऋण

Note No. 8: Short Term Borrowings

विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
कम्पनी ने बैंको, सहयोगी पक्षो और सर्वजन से किसी भी प्रकार का सुरक्षित व असुरक्षित	The company does not have any outstanding short term borrowings whether secured or unsecured from	0	0
अल्पकालीन ऋण नहीं लिया है।	public, banks, related parties and others.	0	0

नोट न. 9:- व्यापारिक देयताये:-

Note No. 9: Trade Payables.

विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
अ) ग्राहको से सम्बन्धित देयताये	Payables relating to Customers Payables relating to Related Parties	43039051	35847115
(ब) सम्बन्धित पार्टियो से सम्बन्धित देयताये		0	0
(स) अपूर्तिकर्ता / ठेकेदार	Payables relating to Suppliers/ Contractors	44415838	63761475
से सम्बन्धित देयताये		87454889	99608590

नोट संख्या: 10:- अन्य चल दायित्व

कम्पनी में अन्य चल दायित्व निम्न है:-

Note No. 10: Other Current Liabilities

The company has other current liabilities as per the items listed below

क्र.सं.	विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
1.	कर्मचारियो से संबन्धित देयताए	Payables related to employees	2340318	2520592
2.	रोककरण समूह योजना से संबन्धित देयताएं	Payable related to Group Leave Encashment Scheme	892377	0
3.	उपादान समूह योजना से संबन्धित देयताएं	Payable related to Group Gratuity Scheme	8200636	0
4.	सी एस आर से संबधित देयताए	Payables related to CSR	0	454838
5.	पूंजी गत कार्यो से संबधित देयताए	Payables related to Capital Works.	0	550450
6.	सरकारी विभागो से संबधित देयताए	Payables related to Govt. Departments.	12288496	113150996
7.	वैधानिक देयताए (जैसे भूमि कर, पी एफ	Payables relating to statutory liabilities	7878152	9633098
	ट्रस्ट, जी.एस.टी. एवं टी.डी.एस. आदि)	(Such as Payment to Land Tax, PF Trust, GST, TDS etc.)		
8.	लघु एवं मध्यम उपक्रमों से संबंधित देयताए	Payables related to Small and Medium Enterprises (SMEs)). 0	1700
9.	अग्रिम एवं प्रतिभूति जमाएं	Earnest Money & Security Deposit	13704504	13355555
	कुल		45304483	139667229



देय दायित्वों में कर्मचारियों का मार्च के महीने का बकाया वेतन व अन्य देय के भुगतान शामिल है।

समूह रोककरण योजना का वर्ष के दौरान कुल दायित्व ₹186.78 लाख है एवं इसके कोष का शेष ₹ 177.86 लाख है। अतः शेष राशि ₹ 8.92 को अन्य चल दायित्व के रूप में दिखाया गया है। यह कोष कर्मचारियों के सेवानिवृत परिभाशित लाभ योजना के अर्न्तगत बनाया गया है जिसका और अधिक विवरण नोट—32 में दिया गया है।

समूह उपादान योजना का वर्ष के दौरान कुल दायित्व ₹ 252.40 लाख है एवं इसके कोष का शेष ₹ 170.39 लाख है। अतः शेष राशि ₹ 82.01 लाख को अन्य चल दायित्व के रूप में दिखाया गया है। यह कोष कर्मचारियों के सेवानिवृत परिभाषित लाभ योजना के अन्तर्गत बनाया गया है जिसका और अधिक विवरण नोट-32 में दिया गया है।

सरकारी देयताओं में खनन एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा याचित 5 हेक्टेअर की कावनी खान से सबन्धित देयताएं ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 597.47 लाख), JDGFT से सम्बन्धित देयताएं ₹ 27.26 लाख (पिछले वर्ष ₹ 27.26 लाख) अनिवार्य किराये से सम्बन्धित देयताएं ₹ 18.96 लाख (पिछले वर्ष ₹ 30.69 लाख), वर्क परिमट के विरूद्ध उत्पादन से सम्बन्धित देयताएं ₹ 49.90 लाख (पिछले वर्ष ₹ 114.39 लाख), DMF उपकर से सम्बन्धित देयताएं ₹ 10.59 लाख (पिछले वर्ष ₹ 117.64 लाख) एवं IBM की दरों में भिन्नताओं एवं जिप्सम की पिसाई में हुए नुकसान पर अधिकार शुल्क से सम्बन्धित देयताओं पर ₹ 6.35 लाख (पिछले वर्ष 216.05 लाख) के शामिल है। वर्षो के उपरान्त भी खनन एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान सरकार द्वारा मांग न सिद्ध कर पाने की वजह से 5 हेक्टेअर की कावनी खान से सम्बन्धित देयताओं ₹ 597.47 लाख को वर्ष के दौरान वापस ले लिया गया है। माननीय सुप्रीय कोर्ट के आदेश के अनुसार दिनांक 12.01.2015 से 30.04.2016 तक DMF उपकर के लिए बनाये गये प्रावधान ₹ 112.97 लाख एवं जिप्सम की पिसाई पर नुकसान पर अधिकार शुल्क एवं अनिवार्य किराये के लिए बनायें गये प्रावधान ₹ 311.73 लाख को वर्ष के दौरान वापस ले लिया गया है क्योंकि अधिकार शुल्क का कर निर्धारण समाप्त हो चुका है।

संवैधानिक दायित्व

संवैधानिक दायित्वो में भूमि कर ₹ 47.93 लाख (पिछले वर्ष ₹ 47.93 लाख) के शामिल है।

Payables related to employees pertains to the salary and related outstanding payments for the month of March.

The liability on account of Group Leave Encashment Scheme for the year is Rs.186.78 lakh and the fund balance is Rs.177.86 lakh, therefore an amount of Rs.8.92 lakh is recognized as Other Current Liabilities. This fund is pursuant to the defined benefit, post retirement plans of employees, details of which are disclosed in the appropriate note on Employee Benefits of P&L Account. Refer note no.32 for more details.

The liability on account of Group Gratuity Scheme for the year is Rs.252.40 lakh and the fund balance is Rs.170.39 lakh, therefore an amount of Rs.82.01 lakh is recognized as Other Current Liabilities. This fund is pursuant to the defined benefit, post retirement plans of employees, details of which are disclosed in the appropriate note on Employee Benefits of P&L Account. Refer note no.32 for more details.

Payable related to Govt. Departments includes Rs.Nil (Previous year Rs.597.47 lakh being provision made as per the demand raised by DMG in respect of Kaoni 5 ha. Mines), Rs. 27.26 lakh (Previous year Rs.27.26 lakh) towards JDGFT, Jaipur, Rs.18.96 lakh (Previous year Rs.30.69 lakh) towards dead rent, Rs.49.90 lakh (Previous year Rs.114.39 lakh) towards production against working permits, Rs.10.59 lakh (Previous year Rs.117.64 lakh) towards DMF Cess and Rs.6.35 lakh (Previous year Rs.216.05 lakh) towards royalty on grinding losses and royalty on IBM rate differential amount. During the year provision of Rs.597.47 lakh towards royalty in respect of Kaoni 5 ha. Mines has been withdrawn as the mining department could not establish the demand even after lapse of about seven years. Further a provision of Rs.112.97 lakh towards DMF cess for the period 12.01.2015 to 30.04.2016 has been withdrawn pursuant to Hon'ble Supreme Court judgement and a provision Rs.311.73 towards royalty, dead rent, grinding loses of various mines has been withdrawn as the royalty assessment is over.

Statutory Liabilities

Payable relating to statutory liabilities mainly includes Rs.47.93 Lakh (Previous year Rs.47.93 Lakh) towards Land Tax.





अन्य चल दायित्वः

दीर्य कालीन ऋणों की परिपक्वता से संबन्धित देयताए, वित्तीय पट्टो पर दायित्व, उपार्जित एवं अनुपार्जित ब्याज, अग्रिम आय, न चुकाया गया लाभांश, आवंटन के लिए प्राप्त आवेदन पत्र के धन एवं उन पर अर्जित ब्याज, न चुकानी गयी जमाए, ऋणपत्रों एवं उन पर अर्जित ब्याज के रूप में कम्पनी पर कोई दायित्व नहीं है।

नोट संख्या 11: अल्पकालीन प्रावधान

कर्मचारी कल्याण, निगम कर, लांभाश, लाभांश पर कर के लिए निम्न विभिन्न अल्पकालीन प्रावधान किये गये है:-

Other Current Liabilities

The liability related to current maturities of long term debt, finance lease obligations, interest accrued but not due & due on borrowings, income received in advance, unpaid dividends, application money received for allotment of securities & due for refund & interest accrued thereon & unpaid matured deposits & debentures & interest accrued thereon are NIL.

Note No. 11: Short term Provisions

The short term provisions on account of employee benefits, Corporate Tax, dividend and dividend tax is as given in the table below.

विवरण	Paticulars			As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
कर्मचारी कल्याण के लिए प्रावधान	Prov. For employee benefits			27386865	15189274
निगम कर	Corporate Tax	2017-18	2016-17		
वर्तमान वर्ष में कर के लिए प्रावधान	Provision for Taxation for Current Year	119179437	129104937		
धटाव:– चुकाया गया अग्रिम कर	Less: Advance Tax paid during the year	(95183108)	(110000000)	
धटाव:-बैको द्वारा भेजा गया अग्रिम कर	Less: TDS remitted by banks	(15629689)	(16913867)		
घटाव:-मैट जमा का समायोजना	Less: MAT Credit Availment	0	0		
		8366640	2191070	8366640	2191070
			Total	35753505	17380344

अल्पकालीन प्रावधानों में दिनांकः 31.03.18 को कर्मचारी कल्याण शीर्षक के अर्न्तगत वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2017-18 के लिए देय PRP राशि ₹ 48.94 लाख (पिछले वर्ष दिनांक 31.3.17 को वर्ष 2015-16 व 2016-17 के लिए देय PRP राशि ₹ 39.09 लाख) शामिल है। इसके अतिरिक्त 100 लाख (पिछले वर्ष ₹100 लाख) का प्रावधान सेवानिवृत कर्मचारियों के चिकित्सा देखभाल कोष के एवं दिनांकः 01.01.2017 से वेतन पुनीक्षण ₹ 123.27 लाख के शामिल है।

वर्ष 2017-18 के लिए कर निर्धारण आय पर लागू सम्बन्धित दरों से, धारा 234B एवं 234C के अन्तर्गत निगम कर व उस पर ब्याज के रूप में ₹1191.79 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1291.05 लाख) का प्रावधान किया गया। इस राशि को अग्रिम कर ₹ 951.83 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1100 लाख) व स्त्रोत पर कर ₹ 156.30 लाख (पिछले वर्ष ₹169.14 लाख) के विरूद्ध समायोजित किया गया।

The short term provision for employee benefit includes Rs.48.94 Lakh towards PRP pertaining to the years 2015-16, 2016-17 & 2017-18 as on 31.03.18 (previous year Rs.39.09 Lakh pertains to the years 2015-16 and 2016-17 as on 31.03.2017) and Rs.100.00 lakhs (previous year Rs.100.00 lakhs) towards medical care corpus for retired employees and Rs.123.27 lakh towards pay revision of employees w.e.f 01.01.2017.

An amount of Rs.1191.79 Lakh has been provided towards Corporate tax including interest u/s 234B & 234C for the year 2017-18 (Previous Year Rs.1291.05 Lakh) on the basis of assessable income at the tax rates applicable to the relevant assessment years. The amount of provision is adjusted against the advance tax and TDS on interest income amounting to Rs.951.83 Lakh, Rs.156.30 Lakh respectively (Previous year Rs.1100.00 Lakh, & Rs.169.14 Lakh respectively).



लेखा मानक- 4 के अनुसार प्रस्तावित लांभाश एवं उस पर कर के ₹1482.83 को वर्तमान वर्ष के लिए चल दायित्व नही माना गया है। पिछले वर्षो एवं वर्ष 2016-17 के लिए लाभांश एवं इस पर कर की राशि ₹ 1429.16 लाख को चल दायित्व माना गया था जिसे वर्तमान वर्श 2017-18 के दौरान वापस के लिया गया है।

नोट संख्या 12: अचल सम्पत्तिया - मूर्त

01. खण्डित सम्पत्तियां

कम्पनी में किसी प्रकार की टूटी-फूटी (खंडित) सम्पत्तिया नहीं है और इन पर हानि भी शून्य है।

02. व्यावसियक संयोजन द्वारा प्लान्ट,सम्पति व उपकरण का अधिग्रहण:

वर्ष के दौरान कम्पनी में किसी भी प्रकार का प्लान्ट, सम्पत्ति व उपकरण का अधिग्रहण व्यवसायिक संयोजन द्वारा नहीं किया है अतः इस पर शून्य प्रकटीकरण है

03. अचल सम्पतियों का निपटान:

वर्ष के दौरान अचल सम्पतियों, जिनका वास्तविक मूल्य ₹ 0.85 लाख (पिछले वर्ष ₹ 3.11 लाख) था एवं उस पर ह्वासित मूल्य ₹ 0.25 लाख (पिछले वर्ष ₹ 0.82 लाख) था को ₹ 0.26 लाख (पिछले वर्ष ₹ 0.75 लाख) रूपये पर निपटान किया गया है।

- 04. तुलन पत्र की तिथि पर कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की पटटे की सम्पतियाँ नहीं है।
- 05. अचल सम्पतियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है जिन पर कोई बडी विसंगतिया नही प्राप्त की गयी और मामूली विसंगतियों का मिलान किया गया है और उन्हें प्रदान किया गया है।
- 06. कम्पनी के पास हमीरा जैसलमेर में 25.10 बीधा (41277.817 वर्ग मी.), रामसिंहपुर श्रीगंगानगर में 1.02 बीधा (2780 वर्ग मीटर), सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में 10000 वर्ग गज (8361 वर्ग मीटर) व विवेक विहार जोधपुर में JD। द्वारा आवंटित 1560 वर्ग मीटर भूमि है।

कब्जे एवं प्रलेखन सम्बन्धित सभी प्रक्रियाये पूरी की जा चूकी है।

In accordance with AS-4, an amount of Rs.1482.83 lakh towards proposed dividend and dividend tax thereon for the current year has not been recognised as current liability. In the previous year an amount of Rs.1429.16 lakh towards proposed dividend and dividend tax thereon for the year 2016-17 was provided as current liability which has been reversed during the year 2017-18.

Note No. 12: FIXED ASSETS - TANGIBLE

01. IMPAIRED ASSETS:

There are no impaired assets in the Company and the accumulated impairments are NIL.

2. ACQUISITION OF PPE THROUGH BUSINESS COMBINATION.

There are no Plant, Property and Equipment (PPE) acquired by the Company through Business Combinations during the year and disclosure in this head are NIL.

3. DISPOSAL OF FIXED ASSETS:

During the year fixed assets having original value of Rs.0.85 lakh (previous year Rs.3.11 lakh) with WDV of Rs.0.25 Lakh (previous year Rs.0.82 lakh) were disposed off for an amount of Rs.0.26 lakh (previous year Rs.0.75 lakh).

- 4. There is no lease hold property acquired by the Company as on Balance Sheet date.
- 5. Physical verification of Fixed Assets was carried out and no major discrepancies are noticed and the minor discrepancies have been reconciled.
- 6. Free hold land measuring a) 25.10 Bigha (41277.817 Square Meters) at Hamira, District Jaisalmer, (b) 1.02 Bigha (2780 Square Meters) at Ramsinghpur, District Sriganganagar and (c) 10,000 Square Yards (8361 Square Meters) at industrial area of Suratgarh City Distt. Sri Ganga Nagar, (d) 1560.00 square metres land acquired from JDA at Vivek Vihar, Jodhpur (Rajasthan) are in the possession of the Company and documentation is complete in all respect.



Reconciliation of the gross carrying amounts and net carrying

amounts at the beginning and at the end of the year (₹)

वर्ष के आरम्भ और अन्त में सकल वहन राशि और शुद्ध वहन राशि समाधान विवरण

	GROS	सकल बहन राशि GROSS CARRYING AMOUNT	न राशि vg AMOUI	L			ACCUMUL	संचित मूल्य ह्यास accumulated depreciation / amortisation	संचित मूल्य द्यास DEPRECIATION /	пस v / AMOR	TISATION	शुद्ध वहन राशि NET CARRYING AMOUNT	न राशि G AMOUNT
विर Descr	विवर्ण Description	01.04.2017 ^母) As at 01.04.17	वर्ष के दौरान खरीदे गये है Addition during the year	वर्ष के दौरान कमिया Deductions during the year	समयोजना Adjustment	31.03.2018	01.04.2017 को As at 01.04.17	वर्ष के दौरान खरीदे गये है Provided during the year	वर्ष के दौरान कमिया Deductions during the year	समयोजना Adjustment	31.03.2018	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
	1	2	3	4	4	5	9	7	8	6	10	11	12
भूमि (फ्री होल्ड)	Land (Free Hold)	70723351	0	0	0	70723351	0	0	0	0	0	70723351	70723351
इमारते	Buildings	3101787	0	0	0	3101787	576739	45198	0	0	621937	2479850	2525048
प्लाट एण्ड मशीनरी	प्लाट एण्ड मशीनरी Plant & Machinery	11398180	0	0	0	11398180	6074001	648545	0	0	6722546	4675634	5324179
वाटर सिस्टम	Water System	125994	0	0	0	125994	82653	4307	0	0	09698	39034	43341
फर्नीचर, जुडनार कार्यालय उपकरण	Furniture & Fixture and office appliances	5381214	173731	26800	0	5528145	4190050	377440	-26296	0	4541194	986951	1191164
कम्पूटर	Computer	6985333	56599	58436	0	6983496	5982234	440931	-34069	0	96068E9	594400	1003099
विभिन्न उपकरण	Misc. Equipment	4882303	149865	0	0	5032168	2993455	424240	0	0	3417695	1614473	1888848
वाहन (यातायात परिवहन सहित)	Vehicles (Including Transport Vehicles)	2613632	2585442	0	0	5199074	2526767	108648	0	0	2635415	2563659	86865
सडक एवं पुलिया	Roads & Culverts	231817	0	0	0	231817	63500	9024	0	0	72524	159293	168317
कुल	Total	105443611	2965637	85236	0	108324012	22489399	2058333	-60365	0	24487367	83836645	82954212
पिछले वर्ष का जोड़	Previous Year Total	105173697	581234	311320	0	105443611	19978873	2739510	-228984	0	22489399	82954212	85194824

कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत बने अनूसुची—॥ व लेखा प्रमाण —10 के अन्तर्गत मूर्त सम्पत्ति पर हास लगाया जाता है। अतः उसी दर प्रकार वर्ष 2017—18 के लिए SLM के आधर पर मूल्य हास लगाया गया। सम्पत्तियों पर धारा 123 के अर्न्तगत निर्देष्ट Component wise तरीके से मूल्य हास नहीं लगाया गया है, क्योंकि कम्पनी के पास इस तरह के प्लाण्ट, सम्पत्तियों व उपकरण नहीं है जिनका मूल्य महत्वपूर्ण हो।

The depreciation is provided on the Tangible Assets applying the rates of Schedule II of the Companies Act 2013 on SLM in compliance of AS-10. Accordingly, the depreciation for the year 2017-18 has been charged. The component wise asset accounting as prescribed u/s 123 of the Companies Act, 2013 has not been considered as the company is not possessing any such items of Plant, Property and Equipment which have significant value.







नोट संख्या 13: अमूर्त सम्पत्तियां कम्प्यूटर्साफ्टवेयरः-

मानक 26 के अनुसार किया जाता है और अविशिष्ट मूल्य एक रुपये माना जाता है कम्प्यूटर साफ्टवेयर को संचित सकल राशि, परिशोधित मूल्यह्यस और शुद्ध वहन राशि के रूप में किताबों में प्रदर्शित किया गया है । इन परिसम्पति का जीवन लेखा

वर्ष के आरम्भ और अन्त मे सकल वहन राशि और शुद्ध वहन राशि का समाधान विवरण

Note No. 13: FIXED ASSETS - INTANGIBLE

Computer Software

Computer Software has been recognised and disclosed in the Books, along with the gross carrying amounts, accumulated amortization on account of depreciation and net carrying amount. Life of these assets is considered as per AS-26 and the residual value is considered

Reconciliation of the gross carrying amounts and net carrying amounts at the beginning and at the end of the year

	GROS	सकल वहन राशि GROSS CARRYING AMOUNT	न राशि JG AMOUR	L			ACCUMUI	संचित मूल्य ह्यास ACCUMULATED DEPRECIATION / AMORTISATION	संचित मूल्य ह्यास DEPRECIATION /	गस n / AMOR1	FISATION	शुद्ध वहन राशि NET CARRYING AMOUNT	न राशि G AMOUNT
विव Descr	विवर्ण Description	01.04.2017 को As at 01.04.17	वर्ष के दौरान खरीदे गये है Addition during the year	वर्ष के दौरान कमिया Deductions during the year	समयोजना Adjustment	31.03.2018 南 As at 31.03.2018	01.04.2017 को As at 01.04.17	वर्ष के दौरान खरीदे गये है Addition during the year	वर्ष के दौरान कमिया Deductions during the year	समयोजना Adjustment	31.03.2018 को As at 31.03.2018	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
. 3	1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	Computer Software	1241900	0	0	0	1241900	713996	87722	0	0	801718	440182	527904
पिछले वर्ष	Previous Year	1143900	00086	0	0	1241900	633852	80144	0	0	713996	527904	510048
इस वर्ष का कुल नोट संख्या 12 व 13	Current Year Total Note No. 12 & 13	106685511	2965637	85236	0	109565912	109565912 23203395	2146055	-60365	0	25289085	84276827	83482116
पिछले वर्ष का कुल Previous Year नोट संख्या Total Note 12 व 13 No.12 & 13	Previous Year Total Note No. 12 & 13	106317597	679234	311320	0	106685511	106685511 20612725	2819654	-228984	0	23203395	83482116	85704872
वर्ष के दौरान ह्यस (मूर्त सम्पतिया)	(मूर्त सम्पतिया)				2058333	De	Depreciation During the year (Tangible Assets)	n During	the year	(Tangible	Assets)	Ñ	2058333
वर्ष के दौरान ह्यस (अमूर्त सम्पतिया)	(अमूर्त सम्पतिया)				87722	De	Depreciation During the year (Intangible Assets)	n During .	the year	(Intangibl	e Assets)		87722
कुल (लाभ और हार्	कुल (लाभ और हानि खाते मे दर्शाया गया)	щ)		1,4	2146055	ē	Total (Charged to Profit & Loss A/C)	yed to Prα	ofit & Los	s A/C)		2	2146055



नोट संख्य 14: पूंजीगत चालू कार्य

- एस.एस.पी. परियोजना: एस.एस.पी. संयत्र की स्थापना पर दिनांक 31.03.2018 तक ₹ 610.12 लाख (पिछले वर्ष ₹ 593.56 लाख) की राशि में राज्य सरकार से अधिग्रहित चितौडगढ में 11.01 हैक्टेयर भूमि की लागत, टीइएफआर अध्ययन की राशि ₹ 7.48 लाख (पिछले वर्ष ₹ 7.48 लाख) एवं अन्य व्यय भाामिल है।
- 2. सफेद सीमेंट परियोजनाः हिमांचल प्रदेश में सफेद सीमेंट प्लाण्ट की स्थापना पर दिनांक 31.03.2018 तक ₹ 12.90 लाख की राशि (पिछले वर्ष ₹12.90 लाख) व्यय हुए | इसमें टी ई एफ आर अध्ययन के ₹ 3.12 लाख शामिल है |
- 3. जोधपुर विवेक विहार में कार्यालय की इमारतः दिनांक 31.03. 2018 तक ₹ 13.09 लाख (31.03.2017 ₹ 13.09 लाख) भवन निर्माण संबंधित गतिविधियों में खर्च किए गए।

Note No. 14: Capital Work in Progress

- 1. SSP Project: Up to 31-3-2018 an amount of Rs.610.12 lakh (previous year Rs.593.56 lakh) was incurred towards cost of land admeasuring 11.01 ha acquired from State Government at Chittorgarh and other related expenses, including TEFR study amounting to Rs.7.48 lakh, for installation of Single Super Phosphate (SSP) plant.
- 2. White Cement Project: Up to 31-3-2018 an amount of Rs.12.90 lakh including Rs. 3.12 lakh on TEFR study (up to 31.03.2017 Rs.12.90 lakh) was spent towards installation of White Cement Project in the state of Himachal Pradesh.
- **3. Office Building at Vivek Vihar, Jodhpur:** Up to 31.03.2018 an amount of Rs.13.09 lakh (up to 31.03.2017 Rs. 13.09 lakh) was incurred on various activities in relation to construction of office building.

विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
एस.एस.पी.परियोजना	SSP Project	61012181	59355793
सफेद सीमेंट प्लांट	White Cement Project	1289567	1289567
विवेक विहार कार्यालय की	Office Building at	1309272	1309272
इमारत में	Vivek Vihar		
रामसिंहपुर में जनरेटर	Installation of Generator	287109	0
सेट की स्थापना	Set at Ramsinghpur		
	TOTAL	63898129	61954632

नोट संख्या 15:- विकासशील अमूर्त सम्पत्तिया

Note No. 15: Intangible Assets under Development

विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
कम्पनी के पास कोई भी अविकसित अमूर्त सम्पत्ति नहीं है।	There are no intangible assets under development in the Company.	NIL	NIL
	in the company.	0	0



नोट संख्या 16:- अचल विनियोग

Note No. 16: Non-Current Investments

विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
कम्पनी ने सरकारी अथवा गैर सरकारी सुरक्षित अथवा असुरक्षित प्रतिभूतियो जैसे समता अंशो, अधिमानी अंशो, सरकारी प्रतिभूतिया, ऋण पत्र अथवा बॉड, म्यूच्युअल फन्ड, सहायक कम्पनियों में विनिवेश, सहसम्बन्ध, विनिवेश प्रयोजन के लिए निर्मित कम्पनी इत्यादि में विनियोजन नहीं किया है अतः कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुसूची III के अन्तर्गत शून्य प्रकटीकरण है।	The company has not invested in Equity instruments, Preference Shares, Government or Trust Securities, Debentures or Bonds, Mutual Funds, Partnership Funds or any other instruments whether secured or not in open market or in subsidiaries, associates, Joint Ventures or Controlled Special Purpose Entities. Therefore, the disclosure under this head as stipulated in the Schedule III of Company's Act, 2013 is Rs. Nil.	NIL	NIL

नोट संख्या 17: स्थगित कर

- 17.1 आय पर कर से संबन्धित लेखाकन मानक—22 के अन्तर्गत ₹ 292.76 लाख (पिछले वर्ष ₹ 585.11 लाख) को स्थगित कर योग्य सम्पत्ति, ₹ 292.35 लाख (पिछले वर्ष ₹ 635.52 लाख) को कर व्ययके रूप में दिखाया गया है। स्थगित कर के दायित्व / सम्पत्तियों के घटक नीचे सारणी मे वर्णित है।
- 17.2 स्थगित कर सम्पत्तियों को लेखों में निम्न प्रकार से दिखाया गया है।

Note No. 17- Deferred Tax Assets (Net)

- 17.1 In accordance with Accounting Standard 22 relating to "Accounting for Taxes on Income", the deferred tax Assets of Rs.292.76 lakh (Previous year Rs.585.11 lakh) and Tax Expense Rs.292.35 lakh (Previous year Tax Expenses Rs.635.52 lakh) has been recognised. The components of Deferred Tax liability/assets are given in the table below:
- 17.2 Deferred Tax Assets as per the details recognised in the books as given below:

विवरण	Particulars	Deferred Tax Assets (-)/ Liability(+) as on 31.03.2017	Deferred Tax Assets (-)/ Liability(+) as on 31.03.2018	Provision for the Year
कम्पनी अधिनियम एवम् आय कर अधिनियम के अनुसार ह्यासित मूल्य में अन्तर	Difference between WDV as per Company's Act / IT Act.	1138926	978651	-160275
संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	Provision for Doubtful Advances	-8329883	-8329883	0
अप्रचलित भण्डारो के लिए प्रावधान	Provision for Obsolescence of Store	es -204423	-204423	0
रोक करण के लिए प्रावधान	Provision for Leave Encashment	-4925592	-6464091	-1538499
धारा 43 (ब) के अन्तर्गत दायित्व	Liability under section 43(B)			
आयकर अधिनियम के अन्तर्गत	Exp. Allowable for Tax purpose	-44484170	-10712056	33772114
स्वीकृत व्यय	when paid			
आर एण्ड डी के लिए प्रावधान	Provision for R&D	-47413	-47413	0
भूमिकर के लिए प्रावधान	Provision for Land Tax	-1658711	-1658711	0
उपदान	Gratuity	0	-2838076	-2838076
कुल	Total	-58511266	-29276002	29235264





नोट संख्या 18 : दीर्घकालीन ऋण एवम् अग्रिम (अचल)

Note No. 18: Long term Loans & Advances (Non-Current)

विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
(अ) पूंजीगत अग्रिम	(A) Capital Advances		
(i) सुरक्षित –अच्छे	(i) Secured- Considered Good	1977745	1977745
(ii) असुरक्षित – अच्छे	(ii) Unsecured- Considered Good	0	0
(iii) संदिग्ध	(iii) Considered Doubtful	0	0
(iv) घटावः खराब एवं संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(iv) Less : Allowance for Bad & Doubtful Advances	0	0
कुल (अ)	Total (A)	1977745	1977745
(ब) सुरक्षित जमा	(B) Security Deposits		
(i) सुरक्षित –अच्छे	(i) Secured- Considered Good	0	0
(ii) असुरक्षित	(ii) Unsecured- Considered Good	1730046	1806288
(iii) संदिग्ध—जमा	(iii) Doubtful Deposits	0	0
(iv) घटावः खराब एवं संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	(iv) Less : Allowance for Bad & Doubtful Deposits	0	0
कुल (ब)	Total (B)	1730046	1806288
(स) संबंधित पक्षो को ऋण एवम् अग्रिम	(C) Loans and advances to related parties		
(i) सुरक्षित –अच्छे	(i) Secured- Considered Good	0	0
(ii) असुरक्षित – अच्छे,	(ii) Unsecured- Considered Good	0	0
(iii) संदिग्ध—अग्रिम	(iii) Doubtful Advances	0	0
(iv) घटाव:— खराब एवं संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(iv) Less : Allowance for Bad & Doubtful Advances	0	0
कुल (स)	Total (C)	0	0
(द) कंपनी के निदेशको, अधिकारियो, फर्मो,	Loans and advances due by directors or officers		
निजी कंपनियो जिसमे वे निदेशक, साझेदार,	of the company or any of them either severally		
सदस्य है, एकल अथवा संयुंक्त रूप से देय	or jointly with others or by firms or private		
ऋण अथवा अग्रिम	companies respectively in which any director is		
(i) सुरक्षित –अच्छे	a partner or a member.	0	0
(ji) असुरक्षित – अच्छे,	(i) Secured- Considered Good	0	0
(iii) संदिग्ध—अग्रिम	(ii) Unsecured- Considered Good (iii) Doubtful Advances	0	0
	(iv) Less : Allowance for Bad & Doubtful Advances	0	0
(10) -1017 (11) (11) (11) (11) (11) (11)	Total (C)	-	0
कुल (स)	(0)	Ü	Ū
(य) अन्य	(E) Others		
(i) सुरक्षित —अच्छे	(i) Secured- Considered Good		
(ii) असुरक्षित — अच्छे	(ii) Unsecured- Considered Good		
(i) निगम कर	(a) Corporate Tax	0	0
 (ii) अन्य	(b) Others	2140945	2140945
(iii) मैट जमा अधिकार	(c) MAT Credit Entitlement	0	0
(iii) सदिग्ध—अग्रिम	(iii) Doubtful Advances	0	0
(iv) घटावः खराब एवं संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(iv) Less : Allowance for Bad & Doubtful Advances	0	0
कुल (य)	Total (C)	2140945	2140945
कुल जोड़	G. Total	5848736	5924978



अच्छे समझे गये सुरक्षित पूंजीगत अग्रिमों में आगनवा गांव जोधपुर स्थित भूमि के ₹19.78 लाख (पिछले वर्श ₹19.78 लाख) शामिल है। अच्छे समझे गये असुरक्षित प्रतिभूति जमाओ में रेलवे एवं खनन विभागों के पास जमाओ के ₹17.30 लाख (पिछले वर्ष ₹17.30 लाख) शामिल है।

अच्छे समझे गये अन्य असुरक्षित अग्रिमों में रेलवे व खनन विभागों के पास जमाओं के ₹ 21.41 लाख (पिछले वर्ष ₹ 21.41 लाख) शामिल है।

वर्श 2016-17 व 2017-18 के लिए मैट जमा अधिकार की कोई भी राशि उपलब्ध नहीं है।

Secured capital advance considered good Rs.19.78 lakh (Previous year Rs.19.78 lakh) is for land at Aanganwa Village, Jodhpur. Formalities of execution of lease deed & registration for Aanganwa land is in process.

Unsecured security deposits (considered good) Rs.17.30 lakh (previous year Rs.17.30 lakh) are deposited with railway authorities and mining authorities.

Unsecured advances others (considered good) Rs.21.41 lakh (previous year Rs.21.41 lakh) are deposited with railway authorities and mining authorities.

No amount is available for MAT credit for the year 2017- 18 and 2016-17.

नोट संख्या 19 : अन्य अचल सम्पत्तियाँ

Note No. 19: Other Non-Current Assets

नाट संख्या १५ : अन्य अचल सम्पा	त्तथा		Note No. 19	: Other Non-C	current Asset
विवरण	Particulars			As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
1. विविध देनदार	1. Sundry Debtors			0	0
2. पूर्वदत्त व्यय	2. Pre Paid Expenses			697587	1430357
3. समूह उपदान योजना	3. Group Gratuity Scheme			0	1787647
4. जीवन बीमा निगम मे	4. Deposit with LIC (GLES)	0	16708157		
जमा (GLES)	Less: Prov. For GLES	0	-14232525		
घटावः GLES के लिए प्रावधान					
		0	2475632	0	2475632
5. अचल—पैकिंग सामग्री	5. Non-Moving Packing Material	0	0		
घटावः अप्रचलन के लिएप्रावधान	Less: Provision for Obsolescence	0	0		
6. अचल भण्डार एवम् पूर्जे	6. Non-Moving Stores & Spares	656312	656312		
घटाव:– अप्रचलन के लिए प्रावधान	Less: Provision for Obsolescence	-590681	-590681		
		65631	65631	65631	65631
 12 माह से अधिक की परिपक्वता रखने वाली गारंटी के लिए बैंको के साथ शेश 	7. Balance with banks for guarantee having maturity of more than 12 months				
(अ) खनन विभागों के पास एफ डी आर प्रतिभृति	(A) FDRs Pledged with Mining Departments	13019384	10261065		
(ब) एम एस टी एल वैन को लेने के लिए राजस्थान के कृषि विभाग के पास प्रतिभृति	(B) FDRs pledged with Agriculture Deptt. of Rajasthan for hiring MSTL Van	178260	178260		
(स) ई—फ्रेट के लिए रेलवे के पास एफडीआर प्रतिभूति	(C) FDRs pledged for dedicated railway E-freight A/C	24475066	13650000		
(द) आर एस पी सी बी के पास	(D) FDRs pledged RSPCB	801100	801100		
एफ डी आर प्रतिभूति		38473810	24890425	38473810	24890425
			Total	39237028	30649692



लेखों मे समूह रोक करण योजना का पिछले वर्ष का शेष ₹167.08 लाख दर्शाया गया है। जिसमें से ₹142.33 लाख चल दायित्व एवं ₹ 24.76 लाख अन्य अचल सम्पत्तियां थी। यह कोष सेवानिवृत्त कर्मचारियों की परिभाशित लाभ योजना थी, जिसका पूरा विवरण लाभ हानि खाते के नोट संख्या—32 के कर्मचारियों के लाभ शीर्शक के अन्तर्गत दिया गया है।

वर्तमान वर्ष 2017–18 के लिए उपर्युक्त को नोट संख्या–10 में दर्शाया गया है।

अगले बारह महीने में प्रयुक्त न हो सकने वाली पैकिंग सामग्री शून्य (पिछले वर्ष शून्य लाख) को अचल रहितयों में दर्शाया गया है। अगले 12 महीने में न प्रयुक्त होने वाले स्टोर्स एवं स्पेयर्स सामग्री ₹6.56 लाख (पिछले वर्ष ₹6.56 लाख) को अचल रहितयों में दर्शाया गया है। अचल स्टोर्स एवं स्पेयर्स के ₹6.56 लाख में से, ₹5.90 लाख को टूटफूट एवं मूल्य ह्यस के रूप में दिखाया गया है। आगे कोई भी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

₹ 384.74 लाख (पिछले वर्ष ₹ 248.90 लाख) के एफडीआर की राशि को विभिन्न सरकारी विभागों के पास 12 महीने से अधिक की परिपक्वता अविध की सुरक्षा गारंटी के रूप में दी गई है। जिनमें से ₹ 130.19 लाख खनन विभाग के पास ₹ 1.78 लाख एम एस टी एल वैन के लिए राजस्थान कृषि विभाग के पास, ₹ 244.75 लाख ई—फ्रेट की सुविधा के लिए रेलवे के पास, तथा ₹ 8.01 लाख राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास रखे गए है। The balance in the account of Group Leave Encashment Scheme for previous year was Rs.167.08 Lakhs out of this Rs.142.33 Lakh was current liability and balance amount Rs.24.76 Lakh was recognized as Other Non-Current Assets. This fund is pursuant to the defined benefit, post retirement plans of employees, details of which are disclosed in the appropriate note on Employee Benefits of P&L Account. Refer note no.32 for more details

Same for the current year 2017-18 is dealt in note no.10

The value of Packing Materials amounting to Rs. NIL (Previous Year Rs. NIL) have been recognised as Non-Current Inventory items which are not expected to be utilised in the next 12 months (Operating Cycle). The value of Stores & Spares amounting to Rs.6.56 Lakh (Previous Year Rs.6.56 Lakh) have been recognised as Non-Current Inventory items which are not expected to be utilised in the next 12 months (Operating Cycle). Against non-moving stores & spares of Rs.6.56 lakh, a provision of Rs.5.90 lakh was made in previous years in the books towards obsolescence/diminution in value. No further provision is required.

FDRs amounting to Rs.384.74 lakh (previous year Rs.248.90 lakh) pledged with different government departments are having a maturity period of more than 12 months are given as security - Rs.130.19 lakh to mining department, Rs.1.78 lakh to Agriculture Department Rajasthan for MSTL Van, Rs.244.75 lakh to Railway for e-freight facility, Rs.8.01 lakh to Rajasthan State Pollution Control Board.

नोट संख्या 20:- चल विनियोग:

Note No. 20 : Current Investment

विवरण Particulars As at 31.03.2018 As at 31.03.2017 कम्पनी ने किसी भी प्रकार का व्यापारिक एवम् गैर व्यापारिक The Company has neither invested in Trade Investment

कम्पनी ने किसी भी प्रकार का व्यापारिक एवम् गैर व्यापारिक विनियोग किसी भी प्रतिभूती में जैसे समता अंशो, अधिमानी अंशो, ऋण पत्रो, बॉड्स, म्यूच्युल फंडस व सरकारी प्रतिभूतियों में नहीं किया गया है अतः इन पर मूल्य ह्यास शून्य है। The Company has neither invested in Trade Investments nor in Non-Trade Investments (Quoted or Un Quoted). There is no investment in equity instruments, preference shares, debentures / bonds, Mutual Funds, Govt. or Trust Securities. Therefore, the diminution in value of such instruments is NIL.



नोट संख्या 21:- रहतियां

Note No. 21: Inventories

विवरण	Particulars Particulars	As at 31	1.03.2018	As at	31.03.2017
	Inventories as valued & certified by the Management				
1. कच्ची सामग्री /	1. Raw Materials / Packing	9678060		16216458	
पैकिंग सामग्री	Material (Lying with Contractors				
(ठेकेदारो के पास	Rs. 17,82,964/- (Previous Year				
₹17,82,964 / -)	Rs.18,03,030/-)				
(पिछले वर्ष ₹18,03,030 / –)	Less: Non-Moving Inventory	0	9678060	0	16216458
घटावः अचल रहतियों	considered as Non-Current				
को अचल	Assets				
सम्पत्ति माना गया।	2. Work in Progress		0		0
 कार्य प्रगति पर तैयार माल–जिप्सम 	3. Finished Goods - Gypsum		9019984		19684066
 तपार नाल-निजयतन स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स 	4. Stores & Spares Parts	712393		723462	
रङ्गरा आर रसार गाउँरा (मार्ग मे ₹शून्य)	(Incl. In -Transit Rs. NIL)				
घटाव : अचल स्टोर्स एवं स्पेयर	Less: Non-Moving Stores & Spares	656312	56081	656312	67150
को अचल सम्पत्ति माना गया।	considered as Non-Current Assets				
5.फुटकर औजार	5. Loose Tools		0		0
6.रद्दी	6. Scrap		0		0
कुल 	Total		18754125		35967674

उपरोक्त श्रेणियो के 'मार्ग मे' मदें शून्य हैं।

The Items in Transit in all the above categories are nil.

रहतियों का मूल्यांकन

पैकिंग सामाग्री, स्टोर्स और स्पेयर्स का मूल्यांकन भारित औसत लागत या शुद्ध वसूली मूल्य जो भी कम हो के आधार पर किया जाता है। चालू कार्य का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पर किया जाता है। तैयार माल का मूल्यांकन भी लागत एवं शुद्ध वसूली योग्य मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पर किया जाता है।

वर्ष भर रहतियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है और विसंगतियों को नीचे वर्णित किया गया है।

(1) पैकिंग सामग्री की कमी / अधिकता-शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

Valuation of Inventory

The valuation of the Packing materials and Stores and spares is done on weighted average cost or net realisable value whichever is lower. Work in Progress is valued at cost or net realisable value whichever is lower. The Valuation of inventory of finished goods is done at cost or net realizable value whichever is lower and as certified by the management.

Physical verification of Inventories was carried out during the year and discrepancies noticed as given below.

i) Packing Material Shortages/ Excess Nil- (Previous Year Nil.)



- (2) तैयार माल:-कमी / अधिकता-शून्य (पिछले वर्श शून्य)
- (3) स्टोर्स और स्पेयर्स—कमी / अधिकता—शून्य (पिछले वर्ष शून्य) अचल पैकिंग सामग्रियों रू. शून्य (पिछले वर्ष रू. शून्य) एवं स्टोर्स एवं स्पेयर्स मूल्य ₹ 6.56 (पिछले वर्ष ₹ 6.56 लाख) को अचल रहतियों के रूप में नोट 19 में वणित किया गया है।
- ii) Finished Goods: Shortages/ Excess Nil-(Previous Year Nil.)
- Iii) Stores & Spares Shortages/ Excess Nil- (Previous Year Nil.) The value of Non-Moving Packing Material amounting to Rs. Nil (Previous year Rs. Nil) and stores & Spares amounting to Rs.6.56 lakhs (Previous year Rs.6.56 Lakh) are treated as Non-Current Inventory items & disclosed in Other Non-Current Assets In Note No.-19.

नोट संख्या 22 :-व्यापारिक प्राप्य

Note No. 22: Trade Receivables

विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
(अ) 6 महीने से अधिक का व्यापारिक प्राव्य	(A) Outstanding for more than Six Months		
	from the date they became due for payment		
(1) सुरक्षित—अच्छे	(i) Secured- Considered Good	0	0
(2) असुरक्षित—अच्छे	(ii) Unsecured- Considered Good	1695295	1405490
(3) संदिग्ध	(iii) Considered Doubtful	0	0
(4) घटावः बुरे एवम् संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	(iv) Less : Allowance for Bad & Doubtful Debts	0	0
कुल (अ)	Total (A)	1695295	1405490
(ब) अन्य ऋण 6 महीने से कम व्यापारिक प्राव्य	(B) Other Debts outstanding for less than six months		
(1) सुरक्षित—अच्छे	(i) Secured- Considered Good	0	0
(2) असुरक्षित–अच्छे	(ii) Unsecured- Considered Good	175057819	83866660
(3) संदिग्ध	(iii) Considered Doubtful	0	0
(4) घटावः बुरे एवम् संदिग्ध ऋण	(iv) Less : Allowance for Bad &	0	0
के लिए प्रावधान	Doubtful Debts		
कुल (ब)	Total (B)	175057819	83866660
(स) कम्पनी के निदेशकों, अधिकारियो	Debts due by directors or officers of the company or		
(एकल अथवा संयुक्त रूप से) फर्मी,	any of them either severally or jointly with others or	NIL	NIL
निजी कम्पनियों जिसमें वे निदेशक,	by firms or private companies respectively in which any		
साझेदार या सदस्य है, से देय ऋण।	director is a partner or a director or Member		
कुल (अ +ब)	Total (A+B)	176753114	85272150





विवरण As at 31.03.2018 As at 31.03.2017 **Particulars**

उपरोक्त

- 1. व्यापारिक प्राप्य के शेष का पुष्टिकरण नही किया गया है हालांकि अधिकतर दशाओं में इसे 31.03.2018 से पहले ही प्राप्त कर लिया गया है।
- 2. वर्ष के दौरान ₹ शुन्य (पिछले वर्ष ₹ 1.21 लाख जो कि मैसर्स राजफेड) को जिप्सम से संबधित छूट दी गई।

असुरक्षितः अच्छे प्राप्यों में जिप्सम की बिक्री से संबंधित मै यू.पी. बी.एस. एन द्वारा ₹ 1728.78 लाख (पिछले वर्ष ₹ 850.73 लाख), मै. एचएलआडीसी द्वारा ₹33.85 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1.23 लाख) मै राजफैड द्वारा ₹ 4.13 (पिछले वर्ष ₹ शून्य) मै. मंगलम सीमेंट द्वारा ₹ 0.77 लाख (पिछले वर्ष ₹ शून्य) की बकाया राशि भी सम्मिलित है।

Included in the Above

- 1. Balances appearing as trade receivables are subject to confirmation. However, in most of the cases the amounts have been realized after the year ended on 31.03.2018.
- 2. An amount of Rs. Nil (previous year Rs.1.21 lakh due from M/s Raj FED) has been waived/written off.
- 3. The Unsecured Considered Good consists of outstanding dues from M/s UPBSN Rs.1728.78 lakh (previous year Rs.850.73 lakh), M/s HLRDC Rs.33.85 lakh (previous year Rs.1.23 lakh), M/s Raj Fed Rs.4.13 lakh (previous year Rs. Nil), M/s Manglam Cement Rs.0.77 lakh (previous year Rs. Nil) towards sale of gypsum.

NIL NIL

नोट संख्या 23: नगद एवं बैक शेष

- कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार कम्पनी ने अपने कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का सुरक्षित जमा प्राप्त नही किया है।
- कम्पनी ने सम्पूर्ण लाभांश को समय सीमा के अन्तर्गत भुगतान कर दिया है अतः इसमें कोई अदत शेष नही है।
- कम्पनी ने सार्वजनिक निर्गम द्वारा कोई पैसा नही लिया है।
- कम्पनी ने अंशो को वापस खरीद के लिये कोई भी धन स्क्रो एकाउन्ट में नहीं रखा है।
- बैंको के पास प्रत्याभूति एवं अन्य प्रतिबद्धों के लिए कुछ राशि के सवाधि जमा पत्रों को बंधक रखा गया है, इसका विवरण निम्न 훙:

Note No. 23: Cash and Bank Balances

- The company has not received any security deposits from its employees pursuant to the provisions of Companies Act, 2013.
- The company has paid entire dividend declared by AGM within the stipulated time and nothing is outstanding as unpaid and the account shows nil balance.
- The company has not raised any money through Public Issue.
- The company has kept no money in Escrow Account for payment of buyback consideration.
- The Value of FDRs pledged with Banks as guarantees and other commitments to the Banks, as on the date of balance sheet are separately disclosed in the following Table.



विवरण	Particulars Particulars		А	s at 31.03.2018	As at 31.03.2017
विवरण	A Cash & Cash equivalent				
अ. नकद एवं नकद तुल्य	1. Cheques, Drafts in Hand			50000	0
1. चैक, ड्राफ्ट हाथ में	2. Cash in Hand			6275	13217
2. नकद हाथ में	3. Others- Cash with Imprest Holders			45104	38746
3. अन्य-इम्प्रेस्ट	4. Other Bank balances	25874772	18712713		
4. अन्य बैको में शेष	-With PSU Banks	2966894	108166		
– सरकारी बैक	-With Other Corporate Banks				
अन्य निगमित बैकपारगमन में प्रेशक	-Remittance in transit *	0	46000000	28841666	64820879
— पारगमन म प्रशक 5. 3 महीने तक की बैंको के	5. Bank deposits with original			0	0
 उ महान तक का बका क शेष की परिपक्वता 	maturity upto 3 months				
राय पर्ग पारपपपरा।	Total (A)			28943045	64872842
ब. अन्य बैक शेष	B Other bank Balances				
1. 12 महीनो से अधिक की	1. Bank deposits with more			0	0
परिपक्वता का शेष	than 12 months maturity			·	·
2. 3 माह से अधिक परन्तु	2. Others Bank deposits with			1983315643	1948021066
12 माह से कम की परिपक्वता	original maturity more than			1303313043	1340021000
अन्य बैंको में जमा राशि	3 months but less than equals				
	to 12 months.				
3. बैंको के समक्ष बंधक 12	3. Balance with banks for				
महीने से कम की परिपक्वता	guarantees having maturity of				
	less than 12 months				
		74050000	5000000		
i) UPBSN के लिए बैंक गांरटी	a. FDRs pledged for securing bank	71360000	68380000		
हेतु जमा सवाधिप्रमाण पत्र	guarantee for UPBSN	71360000	68380000	71360000	68380000
		, 1300000	Total "B"	2054675643	2016401066
			Grand Total	2083618688	2081273908

दिनांक 31.03.2017 को कुछ तकनीिक किमयों के कारण अपने बैंक खाते में क्रेडिट नहीं हो सके। हालांकि ये फंड 31.03.2017 के पश्चात विभिन्न अवसरों पर अपने अपने खातों में क्रेडिट हो गये जिनका विवरण निम्न है: दिनांक 03.04.2017 को ICICI बैंक में ₹ 250 लाख, आंध्रा बैंक में ₹ 30 लाख, दिनांक 05.04.2017 को एसबीआई में ₹ 150 लाख वापस आ गये।

* Remittance in transit was the amount remitted to various banks through RTGS on 31.03.2017 for parking of funds in FDR but the same was not credited to respective banks due to technical error, the same was credited as follows: Rs.250.00 lakh on 03.04.2017 in ICICI Bank, Rs.30.00 lakh on 03.04.2017 in Andhra Bank, Rs.150.00 revert back in current account with SBI on 05.04.2017, Rs.30.00 lakh on 07.04.2017 in PNB.





नोट संख्या 24:- अल्पकालीन ऋण एवम् अग्रिम

Note No. 24 :Short Term Loans & Advances

विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
अ. 1. सम्बन्धित पक्षो को ऋण एवम् अग्रिम	a) 1. Loans and Advances to Related Parties		
सुरक्षित – अच्छे	SECURED-CONSIDERED GOOD	0	0
असुरक्षित – अच्छे	UNSECURED-CONSIDERED GOOD	0	0
सदिग्ध अग्रिम	DOUBTFUL ADVANCES	0	0
घटावः—खराब एवम् सदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	0	0
कुल		0	0
2. निदेशक एवम् अधिकारियों (एकल अथवा संयुक	2. Loans and advances due by directors or officers		
रूप से) देय ऋण और अग्रिम अथवा उन निजी	of the company or any of them either severally or		
कम्पनियों से/साझेदारी संस्था, जिसमें वह स्वंय	jointly with others or by firms or private companies		
अथवा किसी के साथ अंशधारण करते है, निदेशक			
है अथवा सहभागी है, से देय ऋण	or a member.		
सुरक्षित अच्छे	SECURED-CONSIDERED GOOD	0	0
असुरक्षित अच्छे	UNSECURED-CONSIDERED GOOD	21654	0
संदिग्ध—अग्रिम	DOUBTFUL ADVANCES	0	0
 घटावः— खराब एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	0	0
		21654	0
3. कर्मचारियो को ऋण एवं अग्रिम	3. Loans and advances to Employees		
सुरक्षित – अच्छे	SECURED-CONSIDERED GOOD	0	0
असुरक्षित अच्छे	UNSECURED-CONSIDERED GOOD	116955	39626
. चुं संदिग्ध—अग्रिम	DOUBTFUL ADVANCES	0	0
घटावः— खराब एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	LESS : ALLOWANCE FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	0	0
,		116955	39626
ब. अग्रिम (नकद अथवा नकदी के अन्य	B) ADVANCES - (Advances recoverable in cash or		
रूप से वसूली योग्य अग्रिम)	in kind or for value to be received)		
अस्रक्षित— अच्छे	UNSECURED - CONSIDERED GOOD		
1.ठेकेदारों	1. CONTRACTORS	0	30044
2.अपूर्तिकर्ताओं	2. SUPPLIERS	1078	0
3.अन्य	3. OTHERS	41561072	71245721
		41562150	71275765
असुक्षित– संदिग्ध– अन्य	UNSECURED - CONSIDERED DOUBTFUL-OTHERS	24069240	24069240
घटाव:– बुरे व संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	LESS: PROVISION FOR BAD AND DOUBTFUL ADVANCES	(24069240)	(24069240)
		0	0
स. जमाये	c) DEPOSITS		
रेलवे, खनन एवं अन्य सरकारी	DEPOSIT WITH RLY.AUTHORITIES, MINING AUTHORITIES		
प्राधिकरणों में जमा	& OTHER GOVT. AUTHORITIES - CONSIDERED GOOD	710000	619000
जमा – संदिग्ध	2. DEPOSITS - CONSIDERED DOUBTFUL	0	0
घटाव — प्रावधान	3. LESS: PROVISIONS	0	0
		710000	619000
कुल	Total	42410759	71934391
कम्पनी के निदेशको द्वारा देय ऋणशून्य	Debts due from Directors of the Company	Rs. Nil (Previo	us Year Rs. Nil)
वर्ष के दौरान किसी समय अधिकतम शेष	Maximum balance due at any time during the year	Rs. Nil (Previo	us Year Rs. Nil)





कम्पनी के कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम में कम्पनी के नीतियों के अनुसार PRP एवं TA की राशि शामिल है।

दिनॉक 30 मार्च 2007 को जारी अध्याय देश से राजस्थान सरकार ने दिनांक 1.4.2006 से 31.03.2007 तक ₹ 55 / – मै. टन के दर से प्रत्यापित विकास शुल्क को वापस ले लिया गया है। अतः इस पर पिछले छः वर्षो के दौरान बकाया ₹ 511.13 लाख राजस्थान सरकार से देय है। परन्तु राजस्थान सरकार को लगातार याद दिलाने के बावजूद उनकी ओर से कोई अनुकूल प्रति उत्तर प्राप्त नही हुआ है। अतः इस संबंध मे वर्ष 2010–11 के दौरान उपर्युक्त राशि ₹ 511.13 लाख का प्रावधान किया है। हालांकि कठिन परिश्रम के उपरान्त उपर्युक्त राशि में से कुछ राशि कम्पनी अधिकार शुल्क एवं सेवा शुल्क के विरूद्ध समायोजित करवाने में सफल रही है। खनन विभाग ने उपर्युक्त राशि में से ₹ 240.69 लाख पुराने अधिकार, सेवा शुल्क व उन पर ब्याज के रूप विनियोजित करते हुए शेष राशि ₹ 270.43 लाख को समायोजित करने के लिए कम्पनी को आज्ञा दे दी थी जिसको की पिछले वर्षों के दौरान समायोजित किया गया। परन्तु कम्पनी ने ₹ 240.69 लाख के लिए भी वाद प्रस्तुत किया है जिसको की अगले 12 महीनो में वसूल होने की संभावना है।

Advance to employees is towards PRP and TA etc. adjustable as per the policy of the company.

On 30th March, 2007 the Government of Rajasthan had withdrawn development charges @ Rs.55/- per MT being levied on dispatches on Gypsum w.e.f. 01.04.2006 for which a claim, for the period from April 2006 to March 2007, amounting to Rs. 511.13 Lakh was pending with the Government of Rajasthan. Despite constant follow-up there was no favourable response from the State Government. Therefore, a provision of Rs.511.13 lakh was made in the books during 2010-11 on this account. However due to vigorous follow-up, we could get the sanction of the Govt. of Rajasthan, to get the amount adjusted against the Royalty and service charges payable, on 27.12.2012. However, the DMG authorities have appropriated Rs. 240.69 Lakh towards old dues against royalty and interest on royalty etc. after allowing the same, the Company adjusted Rs. 270.43 Lakh towards royalty in the previous years. The Company has contested their claim for Rs. 240.69 Lakh, which are expected to be realised within 12 months.

नोट संख्या 25 - अन्य चल सम्पत्तियां

Note No. 25: Other Current Assets

विवरण	Particulars			31.03.2018	31.03.2017
सरकार से उपार्जित अनुदान	Accrued Government Grants			1063250	1063250
सवाधि जमा पर अर्जित ब्याज	Interest Accrued On Fdrs			74206700	70547026
पूर्वदत्त व्यय	Prepaid Expenses			787362	876867
सीएसआर अग्रिम	CSR Advance			1379000	0
जीएसटी प्राप्य	GST RECEIVABLE			5238433	0
निगम कर	Corporate Tax	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017		
वर्ष 2013—14 में अतिरिक्त जमा	Excess Deposited in Earlier Year 2013-14	0	5572430		
वर्ष 2014–15 में अतिरक्त जमा	Excess Deposited in Earlier Year 2014-15	0	6133950		
वर्ष के दौरान वापसी / समायोजन	(Refund) / Adjustment during the year	0	(11706380)		
		0	0	0	0
			Total	82674745	72487143





नोट संख्या 26 : संदिग्ध दायित्व व प्रतिबद्धताए (जिस सीमा तक इसे लेखों मे नही दिखाया गया है)

Note No. 26: Contingent Liabilities & Commitments (To the Extent not provided for)

(क) आकरिसक दायित्व		विवरण		Particulars			31.03.2018	31.03.2017
स्वारों गये दाने जो कि न्यायालय के दिक्का के निक्का के	(क) आकस्मिक दायित्व	(A)	Contingent Liabilities				
स्वारो गये दावें जो कि न्यायालय में विवाराभीग है व जिल्हें कममी गे ऋण नहीं माना है जलप प्रदेश राज्य व जन्य मैं प्रवाराभीग है व जिल्हें कममी गे ऋण नहीं माना है जलप प्रदेश राज्य व जन्य मैं अपनिथ स्वारो है जलप प्रदेश राज्य व जन्य मैं अपनिथ स्वारो है जलप प्रदेश राज्य व जन्य मैं अपनिथ स्वारो है जलप प्रदेश राज्य व जन्य मैं अपनिथ स्वारो है जलप प्रदेश राज्य व जन्य मैं अपनिथ स्वारो है अपनिय स्वर्व स्वारो है अपनिय स्वरंग स्वरंग स्वरंग से अपनिय स्वरंग स्वरंग स्वरंग स्वरंग से अपनिय स्वरंग स्वरंग से अपनिय स्वरंग स्वरंग से अप		दावें	(a)	Claims				
बलाये गये दावें जो कि न्यायालय में विवारशिन है व जिस्ते कम्पनी ने ऋण नहीं माना है लत्तर प्रतेश राज्य व अन्य में ज्ञान कम्पट्टक्षण भी जागत कम्पट्टक्षण शी जायसिंह पुत्र शी माना लोगिल शी प्रवार कुमार VS फोमिल सुशी भवेता कोहली राज जिस्सा खमार VS फोमिल सुशी भवेता कोहली राज जिस्सा खमार पड़ि माना वर्ग हो माना सुन्दा श्या वर्ग 2013—14 में डीएमजी के द्वार माना सुन्दा शाव व विवाद किया जा रहि व राय रोंगली के व्याप्त के बजाय हि स्वीमा तक नारहे है शी स्वेता बात विवाद किया जा रहा है शी स्वेता बात विवाद किया जा रहा है शी स्वेता व कोहली स्वार के अन्यर्गत सुन्दा भाग के उस्पर्गत कुमार पह की व्याप्त के अन्यर्गत सुन्दा भाग वात विवाद किया जा रहा है शी स्वेता व कोहली स्वार के अन्यर्गत सुन्दा भाग के उस्पर्गत के बात के उस्पर्गत के अन्यर्गत सुन्दा भाग के अन्यर्गत सुन्दा सुन्दा भाग के अन्यर्गत सुन्दा सुन्दा भाग के अन्यर्गत सुन्दा सुन्दा सुन्दा भाग के अन्यर्गत सुन्दा सुन्		कम्पनी पर ठेकेदारों व अन्यों द्वारा		Claims on the Company not				
में विचारशित है व जिन्हें कायनी ने litigation before courts. 31.03.2018 As at 31.03		चलाये गये दावें जो कि न्यायालय						
ल्ला नहीं माना है जल पर प्रवेश राजब ब अध्य '				_				
भै. आनत कन्द्रव्यान					21 02 2019	Ac at 21 02 2017		
मैं. आनव कल्स्ट्रबरान -M/S Aanav Construction Not ascertainable Not ascertainab				· ·				
श्री वर्गरिह पुत्र श्री सनयावसिंह शु श्री मनयावसिंह शु श्री मने सावसिंह सुश्री मदेता कोहली - Oharmesh Kumar v. FAGMIL Not ascertainable N								
श्री धर्मेश कुमार vs फेगमिल सुश्री भवेता कोहली राज जिप्सम उद्योग		**						
सुन्नी सर्वात कोहती । Shaweta Kohli Not ascertainable Not as		e e						
समान्ता सुतक्ष गया वर्ष 2013—14 में औएमजी के द्वारा ###ता सुतक्ष गया वर्ष 2013—14 में औएमजी के द्वारा ###ता सुतक्ष गया वर्ष 2013—14 में औएमजी के द्वारा ###ता सुतक्ष गया वर्ष 2013—14 में औएमजी के द्वारा ###ता सुतक्ष गया वर्ष 2013—14 में औएमजी के द्वारा ### Atters resolved. ### The Resolved is a sessed by DMG on dispatches instead ### Subabart शुरूक की अनुमानित देयताओं पर कम्मनी द्वारा वाद विवाद किया पर सम्मी द्वारा वाद विवाद किया पर समझ प्रस्तुत सवाधि पन एम.जा.उ.ज. अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षा एक्स वित्तीय आक्ष्यासन के लिए खनन प्रतिक्रण के समझ प्रस्तुत सवाधि पना प्रमाणपत्र		G .						
स्था (जिल्मन पेटाविंग)		•						
166000 160000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 16000000 160000000 1600000000 160000000000						NOT ascertamable		
मानला सुलझ गया * Matters resolved. वर्ष 2013—14 में डीएमजी के द्वारा ii The difference of Royalty wrongly 0 296115 करणीसर खान के उत्पादन के बजाय assessed by DMG on dispatches instead 0 12312519 इस्तैय पर रॉयल्टी का मूल्यांकन किया of production in respect of Karnisar 0 12312519 अधिकार सुलक की अनुमानित देखाओ पर कम्पनी द्वारा बाद विवाद किया iii Estimated liability of royalty on preliminary assessments being contested by the company. 0 12312519 प्रिक्त की सीमा तक गारंटी सुख्या एकम वित्तीय आश्वासन के लिए खना प्रमाणपत्र के समक्ष प्रस्तुत सवाधि जमा प्रमाणपत्र के समक्ष प्रस्तुत सवाधि जमा प्रमाण के समक्ष प्रसत्तुत सवाधि जमा प्रमाण के समक्ष सवाधि जमा प्रमाण के समक्ष सवाधि जमा के समक्ष सवाधि जमा के समक्ष सवाध		डॉ. एस. के. दास		-Dr. S.K.Das		- 166000	166000	166000
वर्ष 2013—14 में औएमजी के द्वारा व्यव्यावन के बजाय करणीसर खान के उत्पादन के बजाय निया जो कि गतल है विवाद किया जा रहा है। विवाद की अनुमानित देयताओं पर कम्मनी द्वारा वाद विवाद किया जा रहा है। विवाद की सियान के अन्तर्गत मुस्ति विवाद किया जा रहा है। विवाद की सियान के अन्तर्गत सुरक्षा एवम वित्तीय आखासन के लिए खनन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सवाधि जमा भागणपत्र हों। पुरसा जमा और अग्रिम मुगतान के सिरुद्ध पुर्मी वीएसएन, लखनक के समझा सवाधि जमा पर सरकार के समझ प्रस्तुत सवाधि जमा पर स्ति स्वाधि जमा पर स्वाधि जमा स्वाधि जमा स्वाधि जमा स्वाधि जमा समझ स्वाधि जमा समझ स्वाधि जमा समझ स्वाधि जमा समझ स्वाधि जमा मारू अपने के समझ सवाधि जमा मारू अपने अपने अपने अपने अपने अपने अपने अपने		गणना गनरा गण		* Matters resolved				
करणीसर खान के उत्पादन के बलाय sassessed by DMG on dispatches instead of production in respect of Karnisar nu of production in respect of Kannisar n		•					0	296115
डिस्पेच पर रॉयटली का मूल्यांकन किया गया जो कि गलत है अधिकार शुल्क की अनुमानित देयताओ पर कम्पनी द्वारा वाद विवाद किया जा रहा है। दायित्व की सीमा तक गारंटी हो एम.एम.आर.डी. अधिनेयम के अन्तर्गत सुरक्षा एवन वित्तीय आवायासन के लिए खनन प्राधिकरण के समझ प्रस्तुत सवाधि जमा हों। खुलाई माडा के समझी के लिए जुप्ता एवन प्रीचीरियमा के अत्यर्गत स्वाधि जमा होंं। खुलाई माडा के समझी सवाधि जमा होंं। एम.एस.डी.एल. गाडी के लिए कृषि विमाग, राजस्थान सरकार के समझ सवाधि जमा होंं। एम.एस.डी.एल. गाडी के लिए कृषि विमाग, राजस्थान सरकार के समझ सवाधि जमा होंं। अर्था एवम स्वाधि जमा होंं। अर्था एवम स्वाधि जमा होंं। अर्था एवम सरकार के समझ सवाधि जमा होंं। एम.एस.डी.एल. गाडी के लिए कृषि विमाग, राजस्थान सरकार के समझ सवाधि जमा होंं। एम.एस.डी.एल. गाडी के लिए कृषि विमाग, राजस्थान सरकार के समझ सवाधि जमा होंं। अर्था एवम सरकार के समझ सवाधि जमा होंं। एम.एस.डी.एल. गाडी के लिए कृषि विमाग, राजस्थान सरकार के समझ सवाधि जमा होंं। ह		• =-					O	250115
गया जो कि गलत है				·				
अधिकार शुल्क की अनुमानित देयताओ पर कम्पनी द्वारा वाद विवाद किया जा रहा है।								
आहाकार शुल्क के विज्ञानुमानित देवताआ पर कम्पनी द्वारा वाद विवाद किया जा रहा है।				•			0	12212510
जा रहा है । contested by the company. दायित्व की सीमा तक गारंटी एम.एम.आर.डी. अधिनियम के अन्तर्गत पुरक्षा एवम वित्तीय आखासन के लिए खनन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सर्वाध जमा प्रमाणपत्र ii) सुरक्षा जमा और अग्रिम भुगतान के विरुद्ध यू.पी.बी.एस.एन., लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत सर्वाध जमा iii) बुलाई भाडा के समझी के लिए जत्तर-पश्चिमी रेलवे के समझ सर्वाध जमा iv) एम.एस.टी.एल. गाडी के लिए कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के समझ सर्वाध जमा v) आर.एस.पी.सी.बी के सचिव के समझ स्वाधि जमा मारू भाक्त भाक्त श्वाधियस सरवाधि जमा मारू भाक्त भाक्त रणधीसर कवानी एस एस पी b) Guarantees to the extent of liability i) FDR's pledged to Mining Authorities towards security and financial assurance under MMDR Act. FDR's pledged with Bank for guarantee to UPBSN, Lucknow, towards security deposit and against advance payment. FDR's submitted to Bank for E-Freight agreement with NW Railway iv) FDR's pledged to Agriculture Deptt. of Rajasthan towards MSTL van. v) FDR's pledged with M/s Member Secretary, RSPCB Bharru 178260							O	12312313
दायित्व की सीमा तक गारंटी b) Guarantees to the extent of liability (प.एम.आर.डी. अधिनयम के अन्तर्गत (सुक्षा एवम् वित्तीय आश्वासम के लिए खनन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सवाधि जमा प्रमाणपत्र (ii) हDR's pledged to Mining Authorities (under MMDR Act. (iii) हDR's pledged with Bank for guarantee to UPBSN, Lucknow, towards (under MMDR Act. (iii) हDR's pledged with Bank for guarantee to UPBSN, Lucknow, towards (under MMDR Act. (iii) हDR's sledged with Bank for guarantee to UPBSN, Lucknow, towards (under MMDR Act. (iii) हDR's sledged with Bank for guarantee to UPBSN, Lucknow, towards (under MMDR Act. (iii) हDR's sledged with Bank for guarantee to UPBSN, Lucknow, towards (under MMDR Act. (iii) हDR's pledged with Bank for guarantee to UPBSN, Lucknow, towards (under MMDR Act. (iii) हDR's pledged with Bank for guarantee to UPBSN, Lucknow, towards (under MMDR Act. (iii) हDR's pledged with Bank for guarantee to UPBSN, Lucknow, towards (under MMDR Act. (iii) हDR's sledged with NA Railway (iv) FDR's pledged to Agriculture (under MMCRailway) (iv) FDR's pledged to Agriculture (under MMCRailway		पर कम्पनी द्वारा वाद विवाद किया						
i) एम.एम.आडा. अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षा एवम् वित्तीय आश्वासन के लिए खनन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सर्वाधि जमा प्रमाणपत्र ii) सुरक्षा जमा और अग्रिम भुगतान के विरुद्ध यू.पी.बी.एस.एन., लखनऊ के समक्षा प्रस्तुत सर्वाधि जमा (iii) हि.मि.'ड submitted to Bank for guarantee to UPBSN, Lucknow, towards security deposit and against advance payment. iii) यु.लाई माडा के समझौते के लिए ज्तर-पश्चिमी रेलवे के समझ सर्वाधि जमा (iii) FDR's submitted to Bank for guarantee to UPBSN, Lucknow, towards security deposit and against advance payment. iv) एम.एस.टी.एल. गाडी के लिए कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के समझ सर्वाधि जमा (iv) FDR's pledged to Agriculture (iv) FDR's pledged to Agriculture (iv) FDR's pledged to Agriculture (iv) FDR's pledged with M/s Member Secretary, RSPCB (iv) FDR's pledged with M/s Member Secretary, RSPCB (iv) FDR's pledged with (iv) FD		जा रहा है।		contested by the company.				
सुरक्षा एवम् वित्तीय आश्वासन के लिए towards security and financial assurance 13019384 10261065 संस्था एकम् प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सवाधि जमा प्रमाणपत्र ii) सुरक्षा जमा और अग्रिम भुगतान के विरुद्ध यू.पी.बी.एस.एन., लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत सवाधि जमा guarantee to UPBSN, Lucknow, towards 71360000 68380000 iii) खुलाई भाडा के समक्ष सवाधि जमा iii) FDR's pledged with Bank for guarantee to UPBSN, Lucknow, towards 24475066 13650000 iv) एम.एस.टी.एल. गाडी के लिए कृषि विमाग, राजस्थान सरकार के समक्ष सवाधि जमा iv) FDR's pledged to Agriculture 178260 178260 v) आर.एस.पी.सी.बी के सचिव के समक्ष सवाधि जमा v) M/s Member Secretary, RSPCB भारू के समक्ष सवाधि जमा Bharru 300000 भारू के समक्ष सवाधि जमा M/s Member Secretary, RSPCB भारू के समक्ष सवाधि जमा Bharru 195000 एणधीसर कावनी Kaoni 131100 एस एस पी SSP 150000		दायित्व की सीमा तक गारंटी	b)	Guarantees to the extent of liability	•			
खनन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सवाधि जमा प्रमाणपत्र ii) सुरक्षा जमा और अग्रिम भुगतान के विरुद्ध यू.पी.बी.एस.एन., लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत सवाधि जमा security deposit and against advance payment. iii) युताई भाडा के समझौते के लिए जंतर-पश्चिमी रेलवे के समक्ष सवाधि जमा security deposit and against advance payment. iv) एम.एस.टी.एल. गाडी के लिए कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के समझ सवाधि जमा v) FDR's pledged to Agriculture Deptt. of Rajasthan towards MSTL van. v) आर.एस.पी.सी.बी के सचिव के समक्ष सवाधि जमा v) FDR's pledged with M/s Member Secretary, RSPCB भारू भारू सवाधि जमा मारू Bharru 300000 भारू एणधीसर Randhisar 25000 रणधीसर Randhisar 25000 रणधीसर Randhisar 25000 रणधीसर Randhisar 25000 रणधी एस एस पी SSP 150000	i)		i)	FDR's pledged to Mining Authorities				
Gill gering प्रमाणपत्र iii) FDR's pledged with Bank for quarted to UPBSN, Lucknow, towards security deposit and against advance payment. 71360000 68380000 iii) gerif भाडा के समझौते के लिए उत्तर-पश्चिमी रेलवे के समझ सवाधि जमा iiii) FDR's submitted to Bank for policy deposit and against advance payment. 24475066 13650000 iv) एम.एस.टी.एल. गाडी के लिए कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के समझ सवाधि जमा iv) FDR's pledged to Agriculture 178260 178260 v) आर.एस.पी.सी.बी के सचिव के समझ सवाधि जमा W/s Member Secretary, RSPCB 178260 178260 भारू Bharru 300000 भारू Bharru 195000 रणधीसर Randhisar 25000 कावनी Kaoni 131100 एस एस पी SSP 150000				towards security and financial assurance	ce		13019384	10261065
ii) सुरक्षा जमा और अग्रिम भुगतान के विरुद्ध यूपी.बी.एस.एन., लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत सवाधि जमा iii) ढुलाई भाडा के समझौते के लिए जत्तर-पश्चिमी रेलवे के समक्ष सवाधि जमा iv) एम.एस.टी.एल. गाडी के लिए कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के समक्ष सवाधि जमा v) आर.एस.पी.सी.बी के सचिव के समक्ष सवाधि जमा मारू Bharru 300000 भारू एधीसर कावनी एस एस पी SPP 150000		ĕ		under MMDR Act.				
विरुद्ध यू.पी.बी.एस.एन., लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत सवाधि जमा security deposit and against advance payment. iii) दुलाई भाडा के समझ सवाधि जमा security deposit and against advance payment. iv) एम.एस.टी.एल. गाडी के लिए कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के समझ सवाधि जमा v) FDR's pledged to Agriculture Deptt. of Rajasthan towards MSTL van. v) आर.एस.पी.सी.बी के सचिव के समझ सवाधि जमा v) FDR's pledged with M/s Member Secretary, RSPCB भारू एम.एम. उ०००० मारू के समझ सवाधि जमा प्रारूप अठ००० मारू रणधीसर कावनी एस एस पी SSP 150000	::\		ii)	FDR's pledged with Bank for			71360000	68380000
समक्ष प्रस्तुत सवाधि जमा security deposit and against advance payment. iii) ढुलाई भाडा के समझौते के लिए जिए एक पि उत्तर-पश्चिमी रेलवे के समझ सवाधि जमा iiii) FDR's submitted to Bank for 50000 iv) एम.एस.टी.एल. गाडी के लिए कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के समझ सवाधि जमा iv) FDR's pledged to Agriculture Deptt. of Rajasthan towards MSTL van. 178260 178260 v) Ms Member Secretary, RSPCB HITTS HITTS Bharru 300000 भारु HITTS Bharru 195000 पणधीसर Randhisar 25000 कावनी Kaoni 131100 एस एस पी SSP 150000	11)			guarantee to UPBSN, Lucknow, towards	S			
iii) ढुलाई भाडा के समझौते के लिए जिए उत्तर-पश्चिमी रेलवे के समझ सवाधि जमा iv) एम.एस.टी.एल. गाडी के लिए कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के समझ माधि जमा v) आर.एस.पी.सी.बी के सचिव के समझ सवाधि जमा bharru b				security deposit and against advance payme	ent.			
उत्तर-पश्चिमी रेलवे के समक्ष सवाधि जमाE-Freight agreement with NW Railwayiv)एम.एस.टी.एल. गाडी के लिए कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के समक्ष सवाधि जमाiv)FDR's pledged to Agriculture178260178260v)माज अपर.एस.पी.सी.बी के सचिव के समक्ष सवाधि जमाM/s Member Secretary, RSPCB44भाक 	iii)		iii)	FDR's submitted to Bank for			24475066	13650000
विभाग, राजस्थान सरकार के समक्ष Deptt. of Rajasthan towards MSTL van. v) अगर.एस.पी.सी.बी के सचिव के समक्ष सवाधि जमा M/s Member Secretary, RSPCB भारू Bharru 195000 रणधीसर Randhisar 25000 कावनी Kaoni 131100 एस एस पी SSP 150000		उत्तर-पश्चिमी रेलवे के समक्ष सवाधि जमा		E-Freight agreement with NW Railwa	ау			
सवाधि जमा v)	iv)		iv)	FDR's pledged to Agriculture			178260	178260
v) आर.एस.पी.सी.बी के सचिव v) FDR's pledged with M/s Member Secretary, RSPCB 300000 भारू Bharru 195000 रणधीसर Randhisar 25000 कगवनी Kaoni 131100 रस एस पी SSP 150000				Deptt. of Rajasthan towards MSTL va	nn.			
के समक्ष सवाधि जमा M/s Member Secretary, RSPCB भारू Bharru 300000 भारू Bharru 195000 रणधीसर Randhisar 25000 कावनी Kaoni 131100 एस एस पी SSP 150000	<i>\(\lambda\)</i>		v)	FDR's pledged with				
भारू Bharru 300000 भारू Bharru 195000 रणधीसर Randhisar 25000 कावनी Kaoni 131100 एस एस पी SSP 150000	V)			M/s Member Secretary, RSPCB				
रणधीसर Randhisar 25000 कावनी Kaoni 131100 एस एस पी SSP 150000				Bharru	300000			
कावनी Kaoni 131100 एस एस पी SSP 150000				Bharru				
कावनी Kaoni 131100 एस एस पी SSP 150000				Randhisar				
एस एस पी SSP 150000								
		एस एस पी						
801100 801100 801100					801100		801100	801100



Particulars	31.03.2018	31.03.2017
is contingently liable. i) The Office of the Director General Foreign Trade, Jaipur have intimated that an amount of Rs.27,26,268/-which was granted as duty drawback on deemed exports for the year 98-99, 99-00 & 2000-01 is recoverable from Company. In view of the demand by JDGFT, the amount of Rs.27.26 lakh have been provided as confirmed liability and the rest of the amount received towards duty drawback for the year 1994-95,1996-97, 1997-98 and 2001-02 amounting to Rs.52.46 Lakh. for which there is no demand from JDGFT, have been treated as contingent liability.	5246000	5246000
 (B) Commitments a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for. i) PMC to M/s PDIL for SSP Project at Chittorgarh ii) Supply and erection of RCC Pillars with Barbed wire fencing at worksite nearby Suratgarh town District Sri Ganganagar b) Uncalled liability on shares and other investments partly paid c) Other Total 	28510500 1005157 0 0 0 144761467	28510500 1005157 0 0 0 140806716
	is contingently liable. i) The Office of the Director General Foreign Trade, Jaipur have intimated that an amount of Rs.27,26,268/-which was granted as duty drawback on deemed exports for the year 98-99, 99-00 & 2000-01 is recoverable from Company. In view of the demand by JDGFT, the amount of Rs.27.26 lakh have been provided as confirmed liability and the rest of the amount received towards duty drawback for the year 1994-95,1996-97, 1997-98 and 2001-02 amounting to Rs.52.46 Lakh. for which there is no demand from JDGFT, have been treated as contingent liability. (B) Commitments a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for. i) PMC to M/s PDIL for SSP Project at Chittorgarh ii) Supply and erection of RCC Pillars with Barbed wire fencing at worksite nearby Suratgarh town District Sri Ganganagar b) Uncalled liability on shares and other investments partly paid c) Other	(c) Other Money for which company is contingently liable. i) The Office of the Director General Foreign Trade, Jaipur have intimated that an amount of Rs.27,26,268/-which was granted as duty drawback on deemed exports for the year 98-99, 99-00 & 2000-01 is recoverable from Company. In view of the demand by JDGFT, the amount of Rs.27.26 lakh have been provided as confirmed liability and the rest of the amount received towards duty drawback for the year 1994-95,1996-97, 1997-98 and 2001-02 amounting to Rs.52.46 Lakh. for which there is no demand from JDGFT, have been treated as contingent liability. (B) Commitments a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for. i) PMC to M/s PDIL for SSP Project at Chittorgarh ii) Supply and erection of RCC Pillars with Barbed wire fencing at worksite nearby Suratgarh town District Sri Ganganagar b) Uncalled liability on shares and other investments partly paid c) Other

नोट सं. 27-संचालन से आय

कम्पनी एकल खनिज (जिप्सम) के खनन का ही काम कर रही है और यह एक उत्पाद शुल्क योग्य माल नही है। अतः इससे उत्पन्न आय को बिक्री मूल्य पर दिखाया गया है। कम्पनी में अन्य कोई प्रचलन आय जैसे सेवा की बिक्री, प्रतिभूति के ब्याज ये आय, अधिशुल्क और लाभांश के रूप में नहीं है। अतः इसे भारतीय लेखा मानक 9 के अनुसार अलग से दर्शाया गया है।

दो तरह के जिप्सम की बिक्री से (आर.ओ.एम. व कृषि योग्य जिप्सम पाउडर) कम्पनी राज्यस्व प्राप्त करती है, जिनका विवरण निम्न है:

Note No: 27 Revnue from operations

The Company is dealing in mining of a single mineral i.e. Gypsum which is not an excisable goods, therefore the revenue from operation is shown at its sale value. There are no other operating revenues on account of sale of goods or services rendered or income on account of interest on securities, royalties and dividends. The revenue is recognised in accordance with the provisions of AS 9.

The revenue is received from two segments of single product of Gypsum i.e. from sale of Run of Mines (ROM) Gypsum and Agriculture Grade Gypsum Powder, the details of which are as given below:



विवरण	Particulars	For the year QUANTITY (M.T.)		For the yea QUANTITY (M.T.)	
जिप्सम की बिकी	SALE OF GYPSUM				
कृषि श्रेणी	AGRICULTURE GRADE	101611.680	265151016	141050.700	219666915
आर.ओ.एम. जिप्सम	ROM GYPSUM	327136.480	220854615	422874.930	293656560
कुल		428748.160	486005631	563925.630	513323475

नोट संख्या 28 : अन्य आय

सार्वजनिक बैंकों मे अल्पकालीन सवाधि जमा पर प्राप्त ब्याज को ₹ ७४२.०७ लाख (पिछलें वर्ष ₹ ७०५.४७ लाख) को ''अन्य आय'' शीर्षक मे दर्शाया गया है। विभिन्न बैंको ने इस ब्याज की आय पर ₹156.30 लाख (पिछले वर्ष ₹169.14 लाख) स्त्रोत पर कर कटौती की है।

कम्पनी के पास समता अंश, व्याजी प्रतिभृतिया, मयुच्युअल फंड के रूप में कोई भी प्रतिभृति नहीं है अतः कम्पनी ने किसी भी प्रकार का ब्याज अथवा लाभांश प्राप्त नही किया है।

कम्पनी किसी भी संयुक्त उपक्रम, साझेदारी फर्म एवम् विशेष कार्य के लिए बनायी गई संस्थाओं में सदस्य नहीं है, अतः कम्पनी में इस व्यवस्था से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है।

अन्य आयो का विवरण नीचे वर्णित है:-

Note No. 28: Other Income

The other Income constitutes mainly, interest received on short term deposits held with scheduled commercial Banks (PSU Banks) which includes interest accrued amounting to Rs.742.07 Lakh (Previous Year Rs.705.47 Lakh) upto the date of Balance Sheet and TDS deducted by banks during the year on interest income amounting to Rs.156.30 Lakh (Previous Year Rs.169.14 Lakh).

The company neither has any investment in Equity Securities nor interest bearing securities, Mutual Funds, therefore there is no income on account of Dividends and Interest etc.,

The company is not having any Joint Ventures, Partnerships or any other controlled special purpose entities, therefore there is no income on account of "share of profits" from such arrangements.

The details of Other Income are as given below:-

विवरण	Particulars	Year 2017-18	Year 2016-17
1. अचल निवेश से आय	1. Income From Non Current Investment	0	0
2. चल निवेश से आय	2. Income From Current Investment	0	0
3. अन्य आय	3. Other Income		
परिवहन शुल्क से वसूली	- Recovery of Transport Charges	0	6265
आवास ऋण पर ब्याज	- Interest on Housing Loan	0	251
अन्य स्त्रोतो से आय	- Income From Other Sources	1367682	1061444
जमाओ से प्राप्त आय	- Interest Received on Deposits	158976132	169823087
4. स्क्रेप की बिक्री से आय	4. Sale of Scrap Material	5315	0
कुल योग	Total	160349129	170891047



नोट संख्या:- 29 खनन कार्यों मे व्यय

कम्पनी ने खनन कार्यो के संचालन लागत से सम्बन्धित निम्नालिखित व्यय जैसे अधिशुल्क, सेवा कर, स्वास्थ्य एवम् पर्यावरण के सम्बन्ध में किया है जोकि निम्न है:—

Note No. 29: Mining Operations Expenses

The Company being in Mining of Mineral Gypsum has incurred the following expenses on account of Cost of operations of Mines, Service Tax, Royalty, Health & Environmental Cess etc., as given below:

विवरण	Particulars	Year 2017-18	Year 2016-17
संचालन लागत	Operation Cost	23805533	80244315
जिप्सम परिवहन पर सेवा कर	Service Tax On Transportation Of Gypsum	28158	553866
अधिशुल्क (प्रदेश सरकार को)	Royalty To State Govt.	59631202	78930377
जिप्सम पर पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर	Environment & Health Cess On Gypsum	0	3741636
भाडा व ढुलाई व्यय	Freight & Handling Charges	81428061	8500
विविध खनन व्यय	Misc. Expenses (mines)	246378	582745
खनन की योजना व्यय	Mining Plan Expenditure	316750	117448
क्रियान्वयन के लिए सहमतिपत्र	Fee For Consent To Operate & Establishment	1268076	1062224
पर्यावरण व्यय	Environment Expenses	2335524	2691442
कुल व्यय	Total Expenditure	169059682	167932553

संचालन लागतः

वर्ष के दौरान GST Input Credit एवं कम बिक्री होने के कारण संचालन व्यय में कमी आयी है।

सेवा कर:

उपर्युक्त सेवा कर जिप्सम की ढुलाई परिवहन से सम्बन्धित है जिसमें जिप्सम को विभिन्न खानो से रेलवे साईडिंग तक पहुचाया जाता है।

अधिशुल्कः

जिप्सम के आधार मूल्य का ₹125 प्रति मै.टन शुद्ध जिप्सम के खनन का राजस्थान सरकार को दिया गया।

OPERATION COST:

Operation cost during the year is less mainly due to lesser sales and GST input credit availed during the year.

SERVICE TAX:

The Service Tax stated above is to the extent leviable on transportation portion of various contracts for transporting gypsum within mine areas and up to the Railway Siding of the Company.

ROYALTY:

Royalty on Gypsum was paid to State Government @ Rs.125/PMT as declared by the Government of Rajasthan.





वर्तमान वर्ष में GST के कारण माल को गतंव्य तक पहुचाने में लगे भाड़े को बिक्री में शामिल किया गया है अतः UPBSN एवं UP Agro को बेचे गये जिप्सम लागत पर रेलवे भाड़े के ₹814.28 लाख (पिछले वर्ष ₹ शून्य) को किराये भाड़े में शामिल किया गया है। पिछले वर्ष तक यह विक्रय का भाग नहीं था अतः किसी भी व्यय का लेखा नहीं किया गया था।

नोट संख्या: - 30 सामग्री की खपत:

कम्पनी जिप्सम के खनन का कार्य करती है एवं इसका अधिकतर कार्य को ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। अतः कच्चे माल, शक्ति एवं ईधन का प्रयोग शून्य है। हालांकि कृषि योग्य जिप्सम की बिक्री में एच डी पी ई बैग्स की आवश्यकता होती है। जिसके प्रारम्भिक रहितयों, अन्तिम रहितयों एवं क्रय का विवरण नीचे दिया गया है। संचालन के दौरान बैग्स की खपत में 5551 बैग्स नष्ट हुए जिनका मूल्य ₹ 49243 है (पिछले वर्श 9861 बैग्स ₹114205)। यह खपत निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप है।

स्टोर्स व स्पेयर्स की खपत नागव्य है।

Freight & Handling Charges includes payment of Rs. 814.28 lakh (previous year Rs. Nil) towards payment of railway freight for supplying the gypsum to M/s UPBSN and M/s UP Agro, as from the current year due to GST freight has become part of the sales for the supplies up to destination, hence corresponding expenditure is booked during the year, up to previous year the same was not part of the sales, hence no expenditure was booked.

Note No. 30: Material Consumed

The Company is doing open cast mining of mineral gypsum and most of the operations are outsourced, therefore, no raw material, power and fuel is consumed. However, the agriculture grade gypsum powder requires HDPE Bags, the details of which i.e. opening stock, closing stock and purchases is given as here under. The Consumption value of bags includes an amount of Rs.49,243/- being the value of 5,551 no. of bags (previous year Rs.1,14,205/- being the value of 9,861 no. of bags) damaged during operation, which is within the norms.

The Consumption of Stores and Spares is very minimal as shown below.

विवरण	Particulars	Year 2017-18	Year 2016-17
क. कच्चा माल की खपत	A. Raw Material Consumed	0	0
ख. शक्ति व ईधन की खपत	B. Power & Fuel Consumed	0	0
ग. पैकिग सामग्रीः प्रारम्भिक रहतिया	C. Packing Material Opening Stock	16216458	16089002
जोडः क्रय	Add : Purchases	15124992	29472000
		31341450	45561002
घटावः दिनांक 30.06.20017 के रहतियो	Less: Excise Duty Input	780808	0
में उत्पादन शुल्क इनपुट के शामिल है।	On Stock Upto 30.06.2017		
अंतिम रहतिया	Less : Closing Stock	9678060	16216458
उपभोग	Consumption	20882582	29344544
घ. स्टोर्स एवं स्पेयर्स	D. Stores & Spares		
प्रारम्भिक रहतिया	Opening Stock	723462	686245
जोड:– क्रय	Add : Purchases	660301	675542
		1383763	1361787
घटावः– अंतिम रहतिया	Less : Closing Stock	712393	723462
उपभोग	Consumption	671370	638325
ड़. बैग निरीक्षण प्रभार	E. Bags Inspection Charges	138640	174365
कुल योग	G. Total	21692592	30157234



विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
घटाव:– अन्यो को सामग्री हस्तान्तरण पर मूल्य वर्धित कर जमा	Less: Transfer Credit For Vat/issue Of Materials To Others		
1.पैकिंग सामग्री	1. Tr. Credit For Pack. Material Vat Input Credit	0	1523921
2.स्टोर्स एवं स्पेयर्स	2. Stores & Spares	0	42663
3.माल की खपत	3. Tr. Credit For Material Consumed	618772	171430
कुल	Total	618772	1738014
शुद्ध उपभोग	Net Consumption	21073820	28419220

ठेकेदारों से एच डी पी ई बैग्स के प्राप्त ₹ 6.19 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1.71 लाख) से माल के खपत की राशि कम की गई है। कृशि योग्य जिप्सम पाउडर के पैकिंग में प्रयुक्त एच डी पी ई बैग्स पर प्राप्त वैट क्रेडिट की राशि ₹ शून्य (पिछले वर्ष 15.24 लाख) एवं ठेकेदारों को दिये गये सेफ्टी शूज के मूल्य की राशि ₹ शून्य (पिछले वर्ष 0.43 लाख)

The Consumption of material is reduced by Rs.6.19 lakh (previous year Rs.1.71 lakh) towards the amount recovered from the contactors towards HDPE bags. Rs. Nil (previous year Rs.0.43 lakh) against safety shoes issued to contractor and Rs. Nil (previous year Rs.15.24 lakh) on account of VAT credit availed on purchase of HDPE Bags consumed in the process of packing agriculture grade gypsum powder.

नोट संख्या: 31 तैयार माल, चालू माल एवं व्यापारिक रहतियो मे परिवर्तन

तैयार माल को लागत व वसूली योग्य मूल्य दोनो मे जो भी कम हो, पर मूल्यांकन किया गया है। लेखा मानक 2 के अनुसार रहतियो मे खरीद की लागत, रूपांतरण लागत व अन्य लागत जिस पर की रहतियो को वर्तमान स्थान तक लाया जाता है, शामिल किये गये है।

Note No. 31: Changes in Inventories of Finished Goods, WIP & Stock in Trade

The Stock of Finished goods is valued at the cost or net realisable value whichever is lower. The cost of inventories comprises of cost of purchase, cost of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition according to AS 2.

प्रारम्भि रहतियाँ OPENING STOCK

विवरण	Particulars	For the yea QUANTITY (M.T.)		For the yea QUANTITY (M.T.)	r 2016-17 AMOUNT (RS.)
जिप्सन	Gypsum				
खान पर रहतिया	Stock At Mines				
मोहनगढ़	Mohangarh	33484.110	6301932	147947.670	24647914
सूरतगढ़	Suratgarh	50029.560	11066375	78674.660	17383494
बीकानेर	Bikaner	14208.500	2290132	2021.400	479072
रामसिंहपुर	Ramsinghpur	33000.000	25627	1254.600	122288
कुल अ.	Total "a"	130722.170	19684066	229898.330	42632768



अन्तिम रहतियाँ

CLOSING STOCK

विवरण	Particulars	For the year QUANTITY (M.T.)		For the yea QUANTITY (M.T.)	r 2016-17 AMOUNT (RS.)
जिप्सन	Gypsum				
खान पर रहतिया	Stock At Mines				
मोहनगढ़	Mohangarh	15123.120	3054945	33484.110	6301932
सूरतगढ़	Suratgarh	7521.170	3023946	50029.560	11066375
बीकानेर	Bikaner	5990.890	2941093	14208.500	2290132
रामसिंहपुर	Ramsinghpur	0.000	0	33000.000	25627
कुल अ.	Total "a"	28635.180	9019984	130722.170	19684066
कुल (अ—ब)	Total (A-B)	102086.990	10664082	99176.160	22948702

नोट 32: कर्मचारी कल्याण व्यय

01. कर्मचारी कल्याण

लेखा मानक—15 के अनुसार कर्मचारी कल्याण से संबन्धित निम्न प्रकटीकरण है:

अ. भविष्य निधिः कम्पनी के सभी कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अर्न्तगत सम्मिलित है एवं वे इनका लाभ प्राप्त करते है। कम्पनी एवं कर्मचारियों के द्वारा मासिक वेतन का 12 प्रतिशत अंशदान इसके अर्न्तगत स्थापित कोष में किया जाता है। इस कोष को कम्पनी के एक ट्रस्ट के द्वारा प्रशासित किया जाता है।

ब. उपादानः

कम्पनी के सभी कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अन्तर्गत सम्मिलित है। कम्पनी ने अपने उपादान दायित्व को पूरा करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम ली है। यह उपदान योजना कर्मचारियों के सेवानिवृत या स्वैच्छिक सेवानिवृत तक उपार्जित उनके अधिवार्शिता को भुगतान की गारंटी देता है। कम्पनी जीवन बीमा निगम के द्वारा प्रबंधित कोष में वार्षिक योगदान के माध्यम से यह लाभ प्रदान करती है। इस योजना के अन्तर्गत कम्पनी भुगतान के लिए दायी रहती है जब कि बीमा कम्पनी बीमांकित आधार पर भुगतान के प्रीमियम का निर्धारण करती व उसका प्रशासन करती है। नियोजित सम्पत्ति का विवरण नीचे नोट मे अंकित है।

Note No. 32: Employee Benefit Expenses

Employee Benefits

As per Accounting Standard 15 "Employees Benefits", the disclosures as defined in the Accounting Standard are given below:

a) Provident Fund:

All the employees of the Company are covered under PF & Miscellaneous Provisions Act and receive benefits from provident fund. The employee and employer each make monthly contributions to the plan equal to 12% of the salary. The fund is administered by the exempted Trust formed by company.

b) Gratuity:

The Gratuity Act 1972 applies to the company and all the employees on the rolls of the company are covered. To meet the requirement of the gratuity liability the company has taken a Group Gratuity Scheme under defined benefit plan of LIC of India. Gratuity Plan guarantees a payment computed as per Gratuity Act till their superannuation date unless the employee exits the company on resignation or VRS. The company provides the gratuity benefit through annual contributions to a fund managed by the Life Insurance Corporation of India. Under this plan, the settlement obligation remains with the Company, although the Insurer administers the plan and determines the contribution premium required to be paid by the Company on actuarial basis. The details of the plan assets are furnished below in the note.



02. अन्य सेवानिवृत लाभ:

अ. छुट्टियो का रोककरणः

कम्पनी ने अर्जित अवकाश एवं बीमारी अवकाश के नकदीकरण के लिए योजना एल आई सी ली है। अधिकतम 300 दिनों तक के अर्जित अवकाश के भुगतान का प्रावधान किया जाता है जिसमें वर्ष के अन्त में मूल वेतन के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता दिया जाता है। यह भूगतान लाभ हानि खाते से किया जाता है। बीमारी अवकाश का भूगतान अर्जित अवकाश के अतिरिक्त किया जाता है। हालांकि इसकी समग्र सीमा अर्जित अवकाश सहित 300 ही है। बीमारी अवकाश के नकदीकरण में मूल वेतन व मंहगाई भत्ते का आधा दिया जाता है। बीमारी के अवकाश का विनिमय नहीं किया जा सकता। वर्ष 2017-18 के दौरान भूगतान की जिम्मेदारी का लेखा बीमांकन के आधार पर किया गया है। कम्पनी ने अर्जित अवकाश के दायित्वों का भूगतान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से सामृहिक अर्जित अवकाश योजना ली है। जिसमें वार्षिक अंशदान किया जाता है इसका प्रशासन जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है एवं जिसको वेतन शीर्शक में दिखाया जाता है। योजनाओं का विवरण नीचे नोट में दिया गया है।

ब. पेन्शन योजनाः

कम्पनी ने भारत सरकार के पत्र संख्या 90/3/2010—HR-1 दिनांकः 12.09.2013 के द्वारा पेन्शन योजना का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। पेन्शन योजना जीवन बीमा निगम से 2013—14 में लिया गया था। जिसमें वेतन का 10: नियोक्ता के द्वारा व 2% कर्मचारियों द्वारा भुगतान किया जाता है।

स. कार्य निष्पादन संबन्धी वेतन(पी.आर.पी.):

कम्पनी की एक वेतन समिति है जो द्वितीय वेतन और तृतीय वेतन समिति व सार्वजनिक निगम विभाग के दिशा निर्देशों के अर्न्तगत पी. आर.पी. का निर्धारण करती है।

द. स्वैच्छिक सेवा निवृत योजना(वी. आर. एस.):

अधिक्य अतकनीकी मानवशक्ति को कम करने के उद्धेश्य से कम्पनी ने एक—एक माह के दो चरणों में वर्ष 2008—09, 2009—10, 2010—11 में स्वैच्छिक सेवानिवृत योजना प्रारम्भ की वर्ष 2016—17 व 2017—18 के दौरान कम्पनी के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत योजना नहीं स्वीकृत की गई।

2. Other Superannuation Funds.

a) Encashable Leave.

The Company has defined plan for Earned Leave Encashment and Sick Leave Encashment. Provision for Encashment of Earned Leave equivalent to maximum 300 days (basic plus dearness allowance is provided at the year end and charged to Statement of Profit & Loss. The encashment of half pay leave is allowed in addition to encashment of earned leave subject to overall limit of 300 days (including earned leave). The cash equivalent payable for Sick leave would be equal to leave salary as admissible for half pay plus DA and to make up the shortfall in earned leave. No commutation of Sick leave shall be allowed for this purpose. The liability for the year 2017-18 is accounted for on the basis of Actuarial Valuation. The company has taken a Group Leave Encashment policy with LIC of India to meet the liability of Encashable leave and the annual contributions to the fund which is managed by LIC, are included in the Salaries and Wages. The details of the plan assets are as given in the note below.

b) Pension Plan.

The Company got the approval from the Government of India vide order No.90/3/2010-HR-I dated 12th September, 2013 to go for a defined contribution pension plan. Accordingly, a pension plan was taken from LIC of India during the year 2013-14 where 10% of the salary is being contributed to the scheme by the company and minimum 2% of salary is being contributed by the employees.

c) Performance Related Pay.

The company has a remuneration committee which fixes Performance Related Payment (PRP) in compliance with the guidelines of 2nd & 3rd Pay Revision Committee and DPE guidelines.

d) Voluntary Retirement Scheme (VRS):

The Company had introduced Voluntary Retirement Scheme (VRS), with a view to prune the excess manpower in Non-Technical discipline, during the year 2008-09, 2009-10 and 2010-11, in two spells of one month each. VRS scheme was not offered to employees during the year 2016-17 and 2017-18.





विवरण	Particulars	Year 2017-18	Year 2016-17
वेतन और परिश्रमिक	Salaries & Wages	38672601	31293188
भत्ते और अनुलाभ	Perks & Allowances	11455211	6181421
कार्य सम्बन्धी भुगतान	Performance Related Pay	3200000	1350000
कम्पनी का भविष्य निधि मे अंशदान	CO'S Contribution To Provident Fund	3763200	3703462
समूह उपादान निधि मे अंशदान कामगार व अन्य स्टाफ के लिए	Contribution To Group Gratuity Fund	9988283	577294
कल्याण कारी व्यय	Workmen & Staff Welfare Expenses	2302850	3288701
पेंशन निधि अंशदान	Contribution For Pension Fund	3127666	2708326
कुल	Total	72509811	49102392

नियोजित सम्पत्तियों का विवरण

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है जो कि निम्न है

DETAILS OF PLAN ASSETS Defined Contribution Plan

Contributions to Defined Contribution Plan, recognised as expenses for the year are as under:

विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
भविष्य निधि में कम्पनी का अंशदान	Employer's Contribution to Provident Fund	3074775	3017537
भविष्य निधि की पेंशन योजना में कम्पनी का अंशदान	Employer's Contribution to EFP Scheme	688425 3763200	685925 3703462
सेवानिवृत पेशन योजना में कम्पनी का	Employer's Contribution to	3703200	0700102
अंशदान	Superannuation Fund (Pension Fund)	3127666	2708326
कुल	Total	6890866	6411788

परिभाषित लाभ योजनाः

कर्मचारियों की समूह उपादान योजना को परिभाषित लाभ योजना समझा गया है। इस योजना के अन्तर्गत कम्पनी के दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के अनुमानित क्रेडिट विधि द्वारा किया जाता है जो कि कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गयी प्रत्येक सेवा से कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त लाभ उत्पन्न करता है और अंतिम दायित्व मापने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग—अलग मापता है। रोककरण के दायित्व को उसी तरह मान्यता प्रदान की गई है जिस तरह से उपादान की मान्यता दी गई है।

Defined Benefit Plan

The employees Gratuity fund scheme is a Defined Benefit Plan. The present value of obligation is determined based on actuarial valuation using the projected unit credit method, which recognize each period of service as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. The obligation for leave encashment is recognized in the same manner as gratuity.



1. परिभाषित लाभ दायित्व के शेष का वर्ष के प्रारम्भ व अन्त में समाधान विवरण:-

1. Reconciliation of opening and closing balances of Defined Benefit Obligation (DBO)

विवरण	Particulars	Gratuity Funded		Earned Leav	Earned Leave (Funded)	
1443*1	raiticulais	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	
वर्ष के आरम्भ मे परिभाषित लाभ दायित्व का शेष	Defined Benefit Obligation at the beginning of the year	15958482	18073619	14232524	15145408	
ब्याज	Interest Cost	1276679	1445890	1138602	1211633	
पूर्व सेवा मूल्य	Past Service Cost	0	0	0	0	
वर्तमान सेवा मूल्य	Current Service Cost	509188	563619	964509	939039	
देय लाभ	Benefits Paid	(2000000)	(400000)	(97732)	(1656964)	
बीमाकिंक (लाभ) / हानि	Actuarial (gain) / loss	9495591	(124646)	2440122	(1406592)	
कुल	Total	25239940	15958482	18678025	14232524	

2. उचित रूप से मूल्यांकित नियोजित सम्पत्ति का वर्ष के प्रारम्भ व अन्त में समाधान विवरण

2. Reconciliation of opening and closing balances of Fair Value of Plan Assets

विवरण	Particulars	Gratuity (Funded)		
		2017-18	2016-17	
नियोजित सम्पत्ति का वर्ष के प्रारम्भ में उचित मूल्य	Fair value of plan assets as at the beginning of the year	17746129	20438560	
अनुमानित आय	Expected Return	1293175	1307569	
बीमांकिक (लाभ) / हानि	Actuarial (gain)/loss	0	0	
नियोक्ता द्वारा अंशदान	Contribution by Employer	0	0	
देय लाभ	Benefits paid	(2000000)	(400000)	
निपटान मूल्य	Settlement Cost	0	0	
नियोजित सम्पत्ति का वर्ष के अन्त में उचित मूल्य	Fair value of plan assets as at the end of the year	17039304	17746129	
नियोजित सम्पत्ति पर वास्तविक प्रत्यय	Actual return on plan assets	(1293175)	(1307569)	

3. तुलन पत्र में दिखायी गयी राशिओं का समाधान विवरण:

3. Reconciliation of amount recognized in Balance Sheet

विवरण	Particulars	Gratuit	y Funded	Earned Leav	Earned Leave (Funded)	
विवरण	Particulars	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	
नियोजित सम्पत्ति का उचित मूल्य	Fair value of plan assets	17039304	17746129	17785649	16708156	
दायित्वो का वर्तमान मूल्य	Present Value of obligation	25239940	15958482	18678025	14232524	
बीमाकिंक समायोजन	Actuarial Adjustment	0	0	0	0	
तुलन पत्र के नोट—19 में दर्शाया गई शुद्ध सम्पति / (दायित्व)	Net assets/ (liability) recognized in balance sheet. Ref. Note :19	(8200636)	1787647	(892376)	2475632	



4. वर्ष के दौरान लाभ ⁄हानि खाते में दिखायी गई राशिः

4. Expense Recognized during the period in Profit & Loss A/c.

विवरण	Particulars	Gratuit 2017-18	y Funded 2016-17	Earned Lea 2017-18	ve Funded 2016-17
ब्याज	Interest Cost	1276679	1445890	1138602	1211633
वर्तमान सेवा मूल्य	Current Service Cost	509188	563619	964509	939039
बीता हुआ सेवा मूल्य	Past Service Cost	0	0	0	0
नियोजित सम्पत्ति पर अनुमानित आय	Expected return on plan assets	(1293175)	(1307569)	(1175224)	(1280873)
कुल बीमांकिंक (लाभ) / हानि	Net Actuarial (gain)/loss recognized during the period	9495591	(124646)	2440122	(1406592)
लाभ हानि में दर्शायी गये व्यय	Expenses recognized in the statement of Profit & Loss	9988283	577294	3368009	(536793)

5. नियोजित सम्पत्ति पर वास्तविक आयः

5. Actual Return on Plan Assets

विवरण	Particulars		Gratuity (Funded)		
		2017-18	2016-17		
नियोजित सम्पत्ति पर अनुमानित आय	Expected return on plan assets	(1293175)	(1307569)		
बीमाकिंक (लाभ) / हानि	Actuarial (gain)/loss	0	0		
नियोजित सम्पत्ति पर वास्तविक आय	Actual Return on Plan Assets	(1293175)	(1307569)		

6. बीमांकन मान्यता के सिद्धांत:-

6. Principal Actuarial Assumptions

विवरण	Particulars	Gratuity 2017-18	Gratuity Funded 2017-18 2016-17		ve Funded 2016-17
जीवन बीमा की मासिक नश्वरता श्रेणी	Mortality Table (LIC)	1994-96		2017-18 1994-96 U	
छूट की दर	Discount Rate	8%	8%	8%	8%
भविष्य में वेतन बढ़ोतरी	Future Salary Increase	10%	10%	10%	10%
न्यूनतम निचली दर	Minimum Floor Rate	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
नियोजित सम्पत्ति पर	Expected rate of return	7.40% to	7.55% to	7.00% to	7.55% to
अनुमानित आय की दर	on plan assets (AIR range)	7.60%	7.90%	7.45%	7.90%
सेवा निवृत आयु	Retirement Age	60 Yrs	60 Yrs	60 Yrs	60 Yrs
वापसी / निकासी दर	Withdrawal Rate	1% to 3 %	1% to 3 %	1% to 3 %	1% to 3 %



नोट संख्या: 33 वित्तीय मूल्य

Note No. 33: Finance Costs

विवरण	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
अल्पकालीन ऋण पर ब्याज	Interest on Short term Loan	1275056	590673
		1275056	590673

कम्पनी ने दो अवसरों पर औसतन 30 दिनो के लिए ₹ 1443.00 लाख (₹ 255 लाख व ₹ 1188 लाख) का अल्पकालीन ऋण अपने एफडीआर के विरुद्ध वर्ष 2017—18 के दौरान लिया, जिस पर इसने 12.75 का ब्याज चुकाया। कम्पनी ने पिछले वर्ष पांच अवसरों पर औसतन 16 दिनों के लिए ₹ 1639.64 लाख (₹ 225.00 लाख, ₹ 135.00 लाख, ₹ 1020.00 लाख, ₹ 179.64 लाख ₹ 80.00 लाख) का अल्पकालीन ऋण लिया था जिस इसने ₹ 5.91 लाख का ब्याज चुकाया।

नोट संख्या: 34 मूल्यह्यास

कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची के अर्न्तगत लेखा मानक 10 के अनुसार मूर्त संपतियों पर एवं लेखा मानक 26 के अनुसार अमूर्त पर सीधे—सीधे रूप से ह्यस प्रदान किया जाता है। तदानुसार वर्ष 2017—18 के लिए मूल्यह्यस लगाया गया है। वर्ष के दौरान पुस्तको में कुल ह्यस ₹ 21.46 लाख (पिछले वर्ष ₹ 28.20 लाख) दिखाया गया। सयंत्र और मशीनरी की नागण्य कीमतो को देखते हुए घटक मूल्यहास उचित नहीं प्रतीत किया गया।

नोट संख्या: 35 अन्य व्यय

(1)कम्पनीकासमाजिकदायित्वः

कम्पनी अधिनियम 2013 एवं सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, विगत 3 वर्षों के औसत लाभ का न्यूनतम 2 प्रतिशत सी एस आर कार्यों के लिए व्यय किया जाएगा। पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत कर पूर्व लाभ (पी बी टी) ₹ 5394.64 लाख था जिसके अनुरूप सी एस आर का लक्ष्य ₹ 107.89 लाख था जबिक वर्ष 2017—18 के दौरान कम्पनी ने ₹ 111.07 लाख खर्च किए जोकि

The company has obtained short term loans against FDRs from scheduled banks during the year 2017-18 of Rs.1443.00 lakh (on two occasions Rs.255.00 lakh, Rs.1188.00 lakh) for an average period of 30 days on which an amount of Rs.12.75 Lakh was incurred towards interest, previous year the company has obtained short term loan against FDR from scheduled bank of Rs.1639.64 lakhs (on five occasions Rs.225.00 lakh, Rs. 135.00 lakh, Rs.1020.00 lakh, Rs.179.64 lakh, Rs.80.00 lakh) for an average period of 16 days on which an amount of Rs.5.91 Lakhs was incurred towards interest.

Note No. 34: Depreciation & Amortisation

The depreciation is provided on the Tangible Assets applying the rates of Schedule II of the Companies Act 2013 on SLM in compliance of AS-10 and on the Intangible Assets as per AS-26. Accordingly, the depreciation for the year 2017-18 has been charged. The aggregate depreciation and amortisation provided in the books during the year Rs.21.46 lakh (previous year Rs.28.20 lakh). The component wise depreciation is not felt appropriate looking into insignificant value of items of plant & machinery.

Note: 35 - Other Expenses

i CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

As per the new Companies Act, 2013 and Government directives, a minimum of 2% of immediately preceding 3 years average profit shall be spent towards CSR. Average PBT of the company for last three financial year is Rs.5394.64 lakh, accordingly an amount of Rs.107.89 lakh was to be spent in the year 2017-18 against which actual amount spent was Rs.111.07 lakh towards CSR that aims to provide assistance for public health and



सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सामुदायिक हॉल के निर्माण, शिक्षा, पानी की व्यवस्था इत्यादि से संबंधित थे। वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि नीचे दी गई है: medical relief, education and drinking water & sanitation facilities and construction of community halls, etc. The amount spent during the financial year is detailed below:

क्र. स.	सीएसआर परियोजनाएँ / गतिविधियाँ	क्षेत्र जिसमें परियोजना सम्मिलित है।	स्थान जिलो (राज्य)	वार्षिक परिव्यय (बजट) परियोजनाएँ (₹ लाख में)	परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उपप्रमुख (1) परियोजना या कार्यक्रम (2) ऊपरी खर्च पर प्रत्यक्ष व्यय	आवाधिक अवधि के लिए संचयी व्यय (₹ लाख में)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से लिए गए प्रत्यक्ष खर्च
1.	सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध करवाने हेतु	अनुसुचित—VII मद सं. I	श्री गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर (राज.)	21.78	21.78	21.78	प्रत्यक्ष
2.	स्वच्छ भारत कोश में योगदान	अनुसुचित—VII मद सं. I	नई दिल्ली	30.00	30.00	30.00	प्रत्यक्ष
3.	बालिकाओं के लिए शैचालय का निर्माण	अनुसुचित—VII मद सं. I	श्री गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, (राज.)	6.80	6.80	6.80	सरकारी स्कूलों के माध्यम से
4.	शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु	अनुसुचित–VII मद सं. II	श्री गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर बीकानेर (राज.)	52.24	52.24	52.24	प्रत्यक्ष एवं स्थानीय सरकारी एजेंसिया
5.	एन एस डी एफ में योगदान	अनुसुचित–VII मद सं. VIII	नई दिल्ली	2.00	2.00	2.00	प्रत्यक्ष
6.	ग्रामीण विकास	अनुसुचित-VII मद सं. X	जैसलमेर (राजस्थान)	-1.75	-1.75	-1.75	ग्राम पंचायत के माध्यम से
			कुल	111.07	111.07	111.07	

वर्श के दौरान ₹ 1.87 लाख ग्रामीण विकास के कार्यो पर व्यय किये गये। इसी दौरान ₹ 3.62 लाख सार्वजनिक निर्माण विभाग, जैसलमेर द्वारा इसी मद पर वापस किया गया।



S. No.	CSR Projects/ Activities	Sector in which Project is covered	Location Districts (State)	Annual outlay (budget) project or program wise (Rs. lakh)	Amount spent on the project or programs. Sub-heads (1) Direct expenditure on project or program (2) Overheads (Rs. lakh)	Cumulative Expenditure up to the reporting period (Rs. lakh)	Amount spent direct or through implementing agency
1.	Making available safe Drinking Water	Schedule VII item i	Sri Ganganagar, Jodhpur, Jaisalmer Bikaner, Barmer (Rajasthan)	21.78	21.78	21.78	Direct
2.	Contribution to Swachha Bharat Kosh	Schedule VII item i	New Delhi	30.00 30.00		30.00	Direct
3.	Construction of Girls Toilets	Schedule VII item i	Sri Ganganagar, Jodhpur, Jaisalmer (Rajasthan)	6.80	6.80	6.80	Through Government schools
4.	Promotion of Education	Schedule VII item ii	Sri Ganganagar, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner (Rajasthan)	52.24	52.24	52.24	Direct and Local Government agencies
5.	Contribution to	Schedule VII item viii	New Delhi	2.00	2.00	2.00	Direct
6.	Rural Development *	Schedule VII item x	Jaisalmer (Rajasthan)	-1.75	-1.75	-1.75	Through Gram Panchayat
			Total	111.07	111.07	111.07	

^{*}During the year expenditure of Rs.1.87 lakh was incurred on rural development activities and Rs.3.62 lakh was refunded by PWD, Jaisalmer for previous year's CSR jobs based on the actual cost.

2) अनुसंधान एवं विकास पर व्यय एवं सरकार से प्राप्त अनुदानः

वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर न तो कोई प्रावधान किया गया और नहीं किसी प्रकार का कोई भुगतान किया गया।

2. RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENDITURE & GRANT RECEIVED FROM GOVT. OF INDIA

Neither any provision nor any payment was made during the year on Research & Development.





(3) अन्य व्ययो का विवरण

3. Details of Other Expenses

- /					
विवरण	Particulars			2017-18	2016-17
मरम्मत कार्य	Repairs & Maintenance			474847	454572
बीमा	Insurance			148709	171526
किराया	RENT			5683004	5154902
दर व कर	Rates & Taxes			0	1355
विदेशी यात्रा सहित यात्रा व्यय	Travelling Expenses Including Foreign To	ours		2432729	2100615
स्थानान्तरण पर यात्रा व्यय	Travelling Expenses On Transfer			127875	147714
निदेशक यात्रा व्यय	Director's Travelling Expenses			466558	388915
निदेशक चिकित्सा व्यय	Director's Medical Expenditure				
मात्रात्मक छूट/बट्टा	Quantitative Rebate / Discount			2021	160479
व्यवसाय विकास व्यय	Business Development Expenses			4379474	9951032
विशेषज्ञ परामर्श शुल्क	Expert Consultancy Fee			11737	234563
सुरक्षा व्यय	Security Expenses	5835430	4561187	1318645	1575703
सुरक्षा व्यय					
पर सेवा कर	Service Tax On Security Expenses	199496	637223		
		6034926	5198410	6034926	5198410
विज्ञापन व्यय	Advertisement			3458050	2536783
दूरभाष व्यय	Telephone Charges			866038	916118
बिजली व्यय	Electricity Charges			729844	850712
वाहन किराया व्यय	Hire Charges On Vehicle	896098	1585940		
वाहन किराया व्यय	Service Tax On Hire	17266	97404		
पर सेवा कर	Charges On Vehicle	913364	1683344	913364	1683344
निदेशकों की बैठक शुल्क	Sitting Fee Of Director's			250000	38000
सी.एस.आर. एवं एस डी के लिए प्रावधान	Expenditure On Csr			9268028	2262012
TEFR पर व्यय	Expense On TEFR			0	0
वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	Statutory Auditor Fee			115000	115000
कर एवं अन्य अंकेक्षण शुल्क	Tax & Other Audit Fee Etc.			98000	83250
ठेके पर श्रम	Cost Of Contract Labour Deployed	12396572	10465860		
ठेके पर श्रम	Service Tax On Cost Of	460295	1505596		
पर सेवा कर	Contract Labour Deployed				11971456
		12856867	11971456	12856867	11371430
विक्रय संवर्धन व्यय	Sale Promotion Expenses			0	9878
अपलिखित किये गये विविध देनदार	Sundry Debtor Waived / Written Of	ff		0	121219
पजीकरण व लाइसेस शुल्क	Registration And Licence Fee			47508	24835
अन्य विविध व्यय	Other Misc. Expenses			4116057	3741560
कुल				53799281	49893953

वर्श के दौरान ₹ शून्य (पिछले वर्श मैसर्स राजफंड को जिप्सम की बिक्री से अप्राप्य ₹ 1.21 लाख) को अपलिखित किया गया।

An amount of Rs. Nil (previous year Rs.1.21 lakh due from M/s Raj Fed towards supply of gypsum powder for the year 2016-17) had been waived/written off.



नोट संख्या ३६:- पूर्वावधि समायोजना

लेखाकन मानंक—5 के अनुसार उन पूर्वावधि व्ययो को अलग से दिखाया जा रहा है जिनका पिछले वर्ष सही अनुमान नहीं लगाया गया था।

(3) अन्य व्ययो का विवरण

Note No. 36: Prior Period Adjustments

As per AS 5 the amounts are separately disclosed under prior period expenses that were arising out of errors in estimation in the previous years and are given below.

3. Details of Other Expenses

विवरण	Particulars	FY31.03.2018	FY 31.03.2017
(अ) व्यय	Expenditure		
वेतन तथा मजदूरी	Salaries & Wages	0	0
अन्य व्यय	Other Expenses	3737	27100
कुल	Total	3737	27100
(ब) आय	Income		
अन्य आय	Other Income	0	-3358
कुल	Total	0	-3358
शुद्ध आय/व्यय	Net Expenditure / Income	3737	30458

₹ 0.04 लाख पिछले वर्ष से संबंधित है। जिसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था।

Rs.0.04 lakh relates to previous year for which no provision was made.

नोट संख्या ३७:- असाधारण मर्दे- आय/(व्यय)

Note No. 37: Exceptional Items - Income / (Expenditure)

विवरण	Particulars	FY31.03.2018	FY 31.03.2017
वापस किया गया अतिरिक्त प्रावधान	Excess Provision Written Back	102940113	189432388
सम्पत्तियो के बिक्री पर लाभ	Profit on Sale of Assets	836	5535
सम्पत्तियो के बिक्री पर हानि	Loss on Sale of Assets	0	(12627)
कुल	Total	102940949	189425296

पिछले वर्षो में पी.आर.पी के लिए ₹ 4.88 लाख, 5 हेक्टेअर की कावनी खान से सम्बन्धित मांग ₹ 597.47 लाख, DMF शुल्क के लिए ₹ 112.97 लाख एंव अधिकार शुल्क, न्युनतम किराये, पिसाई पर हुए नुकसान के लिए ₹ 311.73 लाख का अधिक प्रावधान, किया गया था, जिसे वर्श के दौरान वापस लिया गया है।

Excess Provision written back during the year includes writing back of excess provision created in earlier years i.e. Rs.4.88 lakh towards excess provision of PRP, Rs.597.47 lakh towards demand for Kaoni 5.0 hect. Mines, Rs.112.97 lakh towards excess provision of DMF cess and Rs.311.73 lakh towards excess provision of dead rent, royalty, grinding loses.

नोट संख्या 38: असाधारण मदे

Note No. 38: Extraordinary Items

विवरण	Particulars	FY31.03.2018	FY 31.03.2017
वर्ष के दौरान कोई भी असाधारण	There is no Extraordinary Items	0	0
व्यय नही पाये गये है।	dureing the year	0	0



नोट संख्या: 39 अतिरिक्त सूचनायें

(1) संबंधितपक्षो से संबंधित विवरण

संबंधित पक्षो के प्रकटीकरण पर लेखांकन मानक (ए.एस.-18) के अनुसार सूचना नीचे दी गई है:

कम्पनी लेखा मानक 18 के अनुसार रासायनिक और उर्वरक मत्रालय भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित है तथा प्रशासनिक नियत्रंण के अधीन है।

(अ)प्रमुख प्रबंधकीय कमियाँ

- (1) श्री धर्मपाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 13.06.2017 तक
- (2) श्रीमति अल्का तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 14.06.2017 से
- (3) श्री एस.एस. शेखावत, मुख्य वित्तीय अधिकारी
- (4) श्री सिद्धार्थ कुमार, कम्पनी सचिव

ऊपर बताए गए पक्षो से संबंधित विवरण

विवरण	2017—18	2016—17
श्री धर्मपाल	0	0
श्रीमति अल्का तिवारी	0	0
श्री एस.एस. शेखावत	27.80	27.80
श्री सिद्धार्थ कुमार	11.06	10.35

उपरोक्त राशि में वेतन, भत्ते, भविष्य निधि में योगदान, पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, छुट्टियों का प्रकटीकरण आदि शामिल है। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ये लोग गैर-मौदिक लाभो के भी योग्य है।

मुख्य प्रबंधन किमयों के पारिश्रमिक में ग्रेच्युटी एवं नकद छुट्टी के प्रावधान, को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये कम्पनी के बीमांकिक आधार पर निर्धारित होते है। उपर्युक्त लोगों से प्राप्य अदत्त ऋणों एवं अग्रिमों को नोट संख्या 24 में दिखाया गया है।

Note No. 39: Additional Information

1. Related Party Disclosure

Information as per Accounting Standard (AS-18) on Related Party Disclosure is given below:

Company is under the administrative control of Ministry of Chemical and Fertilizers, Government of India and is within the meaning of state controlled enterprise as per para 10.13 of Accounting Standard-18.

a. Key Management Personnel

- (i) Shri Dharampal, Chairman & Managing Director up to 13.06.17
- (ii) Smt. Alka Tiwari, Chairperson & Managing Director w.e.f. 14.06.17
- (iii) Shri S. S. Shekhawat, Chief Financial Officer
- (iv) Shri Siddharth Kumar, Company Secretary Details relating to parties referred in above:

Remuneration:

Particulars Particulars Particulars	2017-18	2016-17
Shri Dharampal	0	0
Smt. Alka Tiwari	0	0
Shri S.S.Shekhawat	27-80	27-80
Shri Siddharth Kumar	11-06	10-35

The above amount includes salaries and allowances, contribution to Provident fund, pension etc. and actual payments towards leave encashment, medical reimbursement if any, in addition to the above above they are eligible for non-monetary perquisites as per Government of India guidelines.

The remuneration to key management personnel does not include the provisions made for gratuity, leave encashment as they are determined on an actuarial basis for the Company as a whole.

Outstanding loans and advances from the above referred parties are dealt in note no. 24.



(2) देनदार व लेनदार

देनदारों व लेनदारों के शेष का पुष्टिकरण बाकी है, हालांकि अधिकतर दशाओं में उन्हे 31.03.2018 से पहले प्राप्त / दे दिया गया है।

(3) चल परिसम्पत्तियां

प्रबन्धन की राय में चल सम्पत्तियों, ऋणों व अग्रिमो को सामान्य व्यापार की दशा में प्राप्य मूल्य पर दिखया गया है एवं सभी दायित्वों का पर्याप्त रूप से प्रावधान किया गया है। स्टोर्स एवं स्पेयर्स पर अधिक्य/अप्रचलित/गैर प्रगतिशील मदो में नुकसान हेतु प्रबंधकीय आंकलन के अनुसार पर्याप्त रूप से प्रावधान किया गया है।

(4)मूल्यवर्धितकर

राजस्थान राज्य में 01.04.2006 से 30.06.2017 तक मूल्य वर्धित कर को लागू किया गया। जिसके लिए कुल देय कर पर इनपुट क्रेडिट स्वीकृत किया जाता है। कम्पनी ने वर्ष के दौरान पैकिंग सामग्री पर ₹ 15.24 लाख की इनपुट क्रेडिट प्राप्त की है।

(5)माल एवं सेवा कर

माल एवं सेवा कर को दिनांक 01.07.2017 से लागू किया गया जिसके अन्तर्गत उत्पादन पर कुल देय कर को इनपुट क्रेडिट के विरूद्ध समायोजित किया जाता है। वर्ष के दौरान उत्पादन पर कुल कर दायित्व ₹195.82 लाख था, जिसमें से ₹ 26.35 लाख का नकद भुगतान किया गया। रिवर्स चार्ज के कारण कुल देयता ₹ 49.88 लाख बनी जिसका भी नकद भुगतान किया गया। कुल स्वीकृत इनपुट कर की राशि ₹ 221.85 लाख थी। इसमें ₹ 49.00 लाख के स्वीकृत रिवर्स चार्ज इनपुट कर की राशि शामिल है। इस राशि को उत्पादन पर देय कर की राशि ₹ 169.47 लाख से समायोजित किया गया एवं शेष राशि ₹ 52.38 लाख वर्ष के अन्त में प्राप्य है।

(6) संचालन चक्रः

कम्पनी का संचालन चक्र 12 महीनों का होता है व व्यापारिक प्राप्य व रहतियों के चल व अचल होने का वर्गीकरण भी उसी के अनुसार किया जाता है।

2. Debtors & Creditors

Balances appearing as Debtors & Creditors are subject to confirmation. However, in most of the cases the amounts have been realized/paid after the year ended on 31.03.2018.

3. Current Assets

In the opinion of the Management, current assets, loans & advances have the value on realization in the ordinary course of business equal to the amount at which they are stated and all known liabilities have been adequately provided for. Adequate provision for loss on surplus/obsolete/non-moving items of stores/spares has been made based on Management's assessment.

4. Value Added Tax

The Value Added Tax (VAT) was applicable in the State of Rajasthan w.e.f. 01.04.2006 to 30.06.2017, for which the input credit is being granted against the total tax payable. The company during the year has availed an input credit of Rs. Nil (Previous year Rs.15.24 Lakh) paid on packing material.

5. Goods and Service Tax

The Goods and Service Tax (GST) has been made applicable w.e.f. 01.07.2017, under which the input credit is being granted against the total output tax payable. During the year, total output tax liability was Rs.195.82 lakh out of which Rs.26.35 lakh was paid in cash, liability on account of reverse charge was Rs.49.88 lakh which was paid in cash. The admissible credit for input tax for the year is Rs.221.85 lakh (including Rs.49.00 lakh admissible reverse charge input tax), out of which Rs.169.47 lakh has been set off against output tax and Rs.52.38 lakh is receivable at the end of the year.

6. Operating Cycle

The Operating Cycle of the Company is 12 months and the current & non-current classification of inventories and Trade Receivables etc. is done accordingly.



(7) लागत, बीमा व भाड़ा के आधार पर आयातों का मूल्य:-

7. Value of Imports on CIF Basis

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
अ. पूँजीगत सामान	a. Capital Goods	Nil	Nil
ब. पुर्जे एवं स्पेयर्स	b. Components & Spare Parts	Nil	Nil
स. प्रयुक्त सामग्री का विवरणः	c. Particulars of Materials Consumed	Nil	Nil

(Figures in bracket are for the previous year)

	आयतित Inported		घरेलू Indigenous		कुल . उपयोग मृल्य
विवरण Prticulars	मूल्य (₹ लाख) Falue (Rupees)	कुल उपयोग का प्रतिशत % of Total Consumpiton	मूल्य (₹ लाख) Falue (Rupees)	कुल उपयोग का प्रतिशत % of Total Consumpiton	(₹ লাख) Value of Total Consumption (Rs.)
कच्चा माल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
Raw Material	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
पैकिंग सामग्री	शून्य	शून्य	20882582	100% (100%)	20882582
Packing Material	Nil (Nil)	Nil (Nil)	(29344544)		(29344544)
स्टोर्स एवं स्पेयर्स	शून्य	शून्य	671370	100% (100%)	671370
Stores & Spares	Nil (Nil)	Nil (Nil)	(638325)		(638325)

द. विदेशी मुद्रा में व्यय:

d. Expenditure in Foreign Currency

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
(1) डिजाइन, अभियान्त्रिकी,अधिग्रहण, लाइसेस	 Design, Engineering, Procurement, Licence & know-how 	Nil	Nil
(2) अन्य(3) विदेशी मुद्रा में आय	ii. Others iii. Earnings in Foreign Currency	Nil Nil	Nil Nil

8. पुर्नगठन

जहां आवश्यक था पिछले वर्ष के लेखो को पुर्नगठित किया गया है।

8. Regrouping

Previous year's figures have been recast/ rearranged & regrouped wherever necessary to make them comparable with current year figures.



मैसर्स मेड़तिया डागा एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफ आर एनः 002056C M/s Mertia Daga & Associates CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:002056C

ह.	ह.	ह.
(खुशबू डागा)	(अनिल कुमार वी पाटिल)	(अलका तिवारी)
साझेदार	निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध
सदस्यता संख्या 521175	i	निदेशिका

Sig. Sig. Sig. (Khushboo Daga) (Anilkumar V Patil) (Alka Tiwari)
PARTNER Director CMD
M.No. 521175

ह. ह. दिनांक 27.06.2018 (सिद्धार्थ कुमार) (एस.एस.शेखावत) स्थानः नई दिल्ली कम्पनी सचिव महाप्रबन्धक

Dated: 27 / 06 / 2018 Sig. Sig.

Place: New Delhi (Siddharth Kumar) (S.S.Shekhawat)

Company Secretary General Manager





नोट संख्या 40: 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिये महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा लेखों पर टिप्पणियाँ।

(क) महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1.0 सामान्यः

- 1.1 वित्तीय विवरण चालू कम्पनी के रूप में ऐतिहासिक लागत परम्परा और प्रोद्भवन लेखा पद्धित के अंतर्गत बनाये गये है एवं सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों एवं भारत में लागू लेखा मानकों के अनुसार है तथा 2013—14 तक कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुरूप है उसके पश्चात् कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुरूप है ।
- 1.2 वित्तीय विवरण को सामान्य रूप से मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप बनाने के लिए अनुमान और कल्पना की आवश्यकता होती है जोकि वित्तीय विवरण की तिथि को पिरसम्पित्तयों एवं देनदारी व आकिस्मक देनदारी का प्रकटन एवं राजस्व एवं व्यय का दर्शित मूल्य, उस तिथि के वित्तीय विवरण को प्रभावित करता है। वास्तविक पिरणाम और अनुमान भिन्न हो सकते है एवं वास्तविक पिरणाम और अनुमान में अन्तर जिस समय पता चला उसी समय वह लेखों में समाहित किये गये है।

2.0 स्थायी परिसम्पतियाँ:

- 2.1 स्थायी परिसम्पतियाँ को उनकी अर्जन लागत पर लिया गया है जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क एवं कर तथा अर्जन से संबंधित आकस्मिक व्यय भी शामिल है।
- 2.2 परिसंपतियों का पूंजीकरण उनके पूरा होने तथा उपयोग में आने के प्रमाण पत्र के बाद किया जाता है।

3.0 मूल्यहासः

3.1 स्थायी परिसम्पतियों पर मूल्यहास दिनांक 31.03.2014 तक कम्पनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित अनुसूची XIV के अनुसार सीधी दरोंसे तथा दिनांक 01.04.2014 से कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।। के भाग सी के अनुसार लगाया गया।

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2018.

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1.0 GENERAL:

- 1.1 The financial statements have been prepared as of a going concern on historical cost convention and on accrual method of accounting, in accordance with the generally accepted accounting principles and applicable Accounting Standards in India and as per the provisions of the Companies Act, 1956 upto F.Y. 2013-14 and thereafter as per Companies Act, 2013.
- 1.2 The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities on the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates and differences between actual results and estimates are recognized in the periods in which the results are known/materialized.

2.0 FIXED ASSETS:

- 2.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties & taxes and incidental expenses related to acquisition.
- 2.2 Assets are capitalized after they are certified to be complete and put to use.

3.0 **DEPRECIATION:**

3.1 Depreciation on Fixed Assets is charged on straight-line method on pro-rata basis at the rates specified in schedule XIV of the Companies Act, 1956 till 31.03.2014 and according to Part C of Schedule II of Companies Act, 2013.



- 3.2 पट्टाशुदा भूमि को पट्टे की अविध के आधार पर/अधिग्रहण की अविध से शेष बची हुई अविध के आधार पर अवलेखित किया जाता है।
- 3.3 वर्ष 2013—14 तक ₹ 5000 / मूल्य तक की परिसम्पतियों को खरीदे जाने के वर्ष में ही पूरी तरह मूल्यह्वासित कर दिया जाता था लेकिन 01.04.2014 से लागू नई दरों के अनुसार मूल लागत का 5: अविशष्ट मूल्य रखा जाता है ।
- 3.4 दिनांक 31.03.2014 तक संयंत्र एवं मशीनरी पर उसकी मूल लागत से 95 प्रतिशत तक एवं अन्य परिसम्पतियों को उनकी मूल लागत का 100 प्रतिशत तक (एक रूपयें का शेष छोड़ते हुए) मूल्यहासित कर दिया जाता था। परन्तु नई दरों के लागू होने के पश्चात् सभी मूर्त सम्पत्तियों को उसकी वास्तविक लागत का 5 प्रतिशत अविशश्ट मूल्य के रूप में चिट्टे में रखते है।
- 3.5 पूँजीकृत परिसम्पतियों / निपटाई गई सम्पतियों पर मूल्यहास अधिग्रहण की गई तिथि से / निपटान की गई तिथि तक लगाया जाता है।

4.0 वस्तुसूचियाँ:

- 4.1 पैकिंग सामग्री, स्टोर्स एवं अतिरिक्त पुर्जो की लागत गतिशील भारित औसत आधार पर या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर आँकी जाती है।
- 4.2 कार्यशील रहतियो का मूल्यांकन लागत अथवा वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो पर किया जाता है।
- 4.3 अंतिम रहतियो का मूल्यांकन लागत अथवा वसूली योग्य मूल्य अथवा प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित जो भी कम हो पर किया जाता है। अंतिम रहतियो का लेखांकन प्रत्यक्ष सत्यापन के आधार पर किया जाता है।

5.0 कमियाँ / वृद्धियाँ:

पैकिंग सामग्री, स्टोर्स एवं अतिरिक्त पुर्जो एवं अंतिम उत्पाद में प्रत्यक्ष सत्यापन के आधार पर ऑकी गई किमयों / वृद्धियों को उपभोग / उत्पादन के अंतर्गत समायोजन किया जाता हैं।

6.0 बिक्री:

बिक्रीको ग्राहकों को बेची गई मात्रा के आधार पर लेखित किया जाता है एवं बिक्री कर/वैट को निवल रूप में निरूपित किया जाता है।

- 3.2 Lease hold land is amortized over the lease period/ over the residual period from the date of possession.
- 3.3 Assets costing up to Rs. 5000/- each are fully depreciated in the year of purchase till F.Y. 2013-14 and w.e.f. 01.04.2014 at applicable rates keeping residual value at 5% of the original cost.
- 3.4 Depreciation is provided up to 95% of the cost of Plant & Machinery and 100% in respect of other assets leaving a balance of Re. 1/-.up to 31.03.2014, thereafter residual value of all tangible assets whose carrying amount (not less than 5% of original cost) exist in the balance sheet are kept at residual value 5% of original cost.
- 3.5 Depreciation on assets capitalized /disposed off during the year is provided proportionate to the date of addition /disposal/discard.

4.0 INVENTORIES:

- 4.1 Packing material, stores and spare parts are valued at weighted average cost or net realizable value whichever is lower.
- 4.2 Work in progress is valued at cost or net realizable value whichever is lower.
- 4.3 Finished products are valued at lower of the cost or net realizable value and as certified by the management. Closing balance of finished stock are accounted for on the basis of physically verified quantities.

5.0 SHORTAGE/EXCESS:

Shortages/Excesses of Packing materials, stores & spares and finished stock arising from physical verification are charged/adjusted to consumption/production.

6.0 SALES:

Sales are accounted for on the basis of Quantity sold to the customers and is stated net of Sales Tax/VAT.



7.0 सब्सिडी:

राजस्थान सरकार की योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में अपूरित की गई कृषि श्रेणी के जिप्सम पर संब्सिडी का लेखांकन बेची गई मात्रा के अनुसार उपार्जित आधार पर किया जाता है और इसे कुल बिक्री में समावेशित किया जाता है।

8.0 दावे:

मार्गस्थ सामग्री के लिए बीमा कम्पनियों एवं रेलवे सहित परिवहकों पर उनसे प्राप्त कमी के प्रमाण पत्र के आधार पर दावों का लेखांकन आर्थिक दावा प्रस्तुत करने के वर्ष मे किया जाता है।

9.0 पूर्व चुकता व्ययः

₹ 25,000 मूल्य तक के प्रत्येक पूर्व दत्त व्यय को उसी वर्ष में लेखित किया जाता है जिसमें वे किये गये हों।

10.0 सेवानिवृत्ति लाभः

- 10.1 भविष्य निधि एवं कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत कम्पनी के अंशदान का लेखांकन उपार्जित आधार पर किया जाता है।
- 10.2 आनुतोषिक की देयता का प्रावधान भारतीय जीवन बीमा निगम के ग्रुप ग्रेच्युटी कम लाइफ इंश्योरेंस योजना के अंतर्गत आता है एवं कम्पनी द्वारा स्थापित अलग ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है। देयता का निर्धारण भारतीय जीवन बीमा निगम के वास्तविक बीमाकंन मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 10.3 छुट्टियों के नकदीकरण (अर्जित अवकाश व बीमारी अवकाश) के लिए प्रावधान का लेखांकन भारतीय जीवन बीमा निगम (जो कि कम्पनी द्वारा स्वीकृत ग्रुप अवकाश नकदीकरण जीवन बीमा योजना (जी.एल.ई.एस.) के निधि प्रबंधक है) के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 10.4 कम्पनी ने जीवन बीमा से कर्मचारियों के कल्याण हेतु एक पेन्शन स्कीम लागू की है जिसमें कि बेसिक व मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत कम्पनी द्वारा व 2 प्रतिशत कर्मचारियों द्वारा अंशदान किया जाता है।

7.0 SUBSIDY:

Subsidy on Agriculture Grade Gypsum supplied, if any, in the State of Rajasthan is accounted for on accrual basis based on quantity sold through dealers as per the scheme of the State Govt. of Rajasthan, and is included in Sales Turn over.

8.0 CLAIMS:

Claims on underwriters, transporters including Railways for goods in transit based on the shortage certificate from the respective transporters (or railways) are accounted for in the year of lodgement of monetary claims.

9.0 PREPAID EXPENSES:

Expenditure up to ₹ 25000/- in each case is charged to revenue in the current year.

10.0 RETIREMENT BENEFITS:

- 10.1 Company's contribution under Provident Fund and Employees Family Pension Scheme are accounted for on accrual basis.
- 10.2 Liability for Gratuity is covered by group gratuity cum Life Assurance Scheme of Life Insurance Corporation of India and is administered through a separate Trust set up by the Company. The liability provided/paid on the basis of actuarial valuation of LIC of India.
- 10.3 Liability for encashable leave (earned leave & sick leave) is accounted for on the basis of actuarial valuation of LIC of India (Who are the fund managers for group leave encashment life assurance scheme (GLES) taken by the Company).
- 10.4 The company has implemented the defined contribution pension scheme for the welfare of employees with LIC of India in which 10% & 2% of basic and dearness allowance is contributed by the company and employees respectively.



11.0 आस्थगितराजस्वव्ययः

लेखा मानक 26 के अनिवार्य होने की तिथि से पहले किये गये खर्चों का शेष जो तुलन—पत्र में दर्शाए गये है, उन्हें पाँच वर्ष की अविध के दौरान व्ययों से अवलेखित किया जाता है।

12.0 आस्थगितकरारोपणः

आस्थिगित कर का लेखांकन समय के अंतर के आधार पर किया जाता है। समय में अंतर का कारण कर योग्य आय एवं लेखाकन आय का अंतर है जो एक वर्ष में पैदा होता है एवं आने वाले एक या अनेक वर्षी में समाप्त हो जाता है।

13.0 अनुसंधान और विकास व्ययः

अनुसंधान और विकास पर राजस्व व्यय को, सरकारी सहायता यदि कोई हो, को घटाकर जिस वर्ष में वह व्यय हुआ है, व्यय में लिया गया है।

अनुसंधान और विकास पर पूँजीगत व्यय को स्थायी परिसम्पत्ति में अलग से दर्शाया जाता है एवं इन परिसम्पत्तियों को लागू दर पर हासित किया जाता है।

14.0 सरकार द्वारा प्राप्त राजस्वः

सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान को उपार्जन के आधार पर उससे सम्बन्धित व्यय से कटौती कर के प्रदर्शित किया जाता है। पूंजीगत प्रकृति के अनुदान को, जब तक उसे उपयोग में न लिया जाए, स्थगित सरकारी अनुदान के रूप में दर्शाया जाता है।

पूंजीगत अनुदान से प्राप्त पूंजी गत सम्पत्तियों को आय के दृष्टिकोण के आधार पर स्थिगत आय मानकर इन सम्पत्तियों पर उपयोगी जीवन के आधार पर अनुपातिक रूप से मूल्य ह्यस लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है।

11.0 DEFERRED REVENUE EXPENDITURE:

The balances of expenditure incurred before the date of AS 26 becoming mandatory and appearing in the Balance Sheet are amortized and charged to expenses over a period of five years

12.0 DEFERRED TAXATION:

Deferred tax is recognized subject to consideration of prudence, on timing differences, being the difference between taxable income and accounting income that originate in one year and capable of reversal in one or more subsequent years.

13.0 RESEARCH AND DEVLOPMENT EXPENDITURE:

Revenue expenditure on Research and Development net of grants on accrual basis, if any is recognized as an expense in the year in which it is incurred.

Capital expenditure on R & D is shown as an addition to the Fixed Assets and such assets are depreciated at applicable rates.

14.0 GRANTS

"Govt. grants of revenue nature are recognized on accrual basis according to their spending and disclosed as deduction from the respective head of expenditure. Further, the grants of capital nature are recognized as "Deferred Govt. Grants" till utilization of grants."

"Further Fixed Assets acquired out of capital grants are treated on the basis of income approach and are treated as deferred income and recognized in the P&L statement over the useful life of related assets and in proportion to which depreciation on these assets is provided."



Form No. MGT-11 Proxy Form

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rules 19(3) of Companies (Management and Administration) Rules 2014]

Name of the Company: FCI A	ravali Gypsum and Minerals India Limited,
Registered Office: Mangu Si	ngh Razvi Marg, Paota B Road, Jodhpur.
Name of Member (s)	:
Registered address	:
E Mail ID	:
Folio No./Client ID	:
DPID	:
I/We being a member(s) of . Name	shares of above named company, hereby appoint :
Address	:
E Mail ID	:
Signature	:
Or failing him	:
Name	:
Address	:
E Mail ID	:
Signature	:

As my/our proxy to attend and vote (on poll) for me/ us on my/our behalf at the 15th Annual General Meeting/Extraordinary General Meeting of the company to be held on the 20.09.2018, at 4:00 p.m. at Registered office of the company at Mangu Singh Razvi Marg, Paota B Road, Jodhpur and at adjournment thereof in respect of such resolution as are indicated below:



S.No.	Rsolutions	For	Against
1	To receive, consider and adopt the audited Financial Statement of the Company for the financial year ended March 31, 2018, the reports of the Board of Directors' and Auditors' thereon		
2	To declare dividend on Equity Shares of the Company		
3	To fix the remuneration of Auditor's and consider and if thought fit, to pass the following resolution as an Ordinary Resolution		

Signed this day of2018.	
Signature of Marshar	
Signature of Member	

Signature of Proxy holder(s)

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the registered office of the company not less than 48 hour before the commencement of the meeting.









एफ सी आई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड FCLARAVALI GYPSUM & MINERALS INDIA LTD.

भारत सरकार का उपक्रम A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING

A Mini Ratna -II Company



A Mini Ratna -II Company

Mangu Singh Rajvi Marg, Paota 'B' Road, Jodhpur (Rajasthan) INDIA Ph.: +91-0291-2544392, +91-0291-2549016 ● Fax: +91-0291-2544523

मांगूसिंह राजवी मार्ग, पावटा ''बी'' रोड, जोधपुर (राजस्थान) भारत

फोन : +91-0291-2544392, + 91-0291-2544523 • फैक्स +91-0291-2544523

www.fagmil.nic.in

